CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
संख्या-सा-3-697/दस-308/97
लखनऊ: दिनॉक: 5 मई, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

विषय:- दिनॉक 1-1-1996 के पूर्व की अवधि में सरकारी कार्मिकों द्वारा आहरित पुराने वेतन का 40% प्रतिशत वेतन में जोड़कर लाभ देने हेतु।

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1720/दस-308-97, दिनॉक 23 दिसम्बर 1997 के प्रस्तर-8 में निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है:-

"8-जिन सरकारी सेवकों ने पुनरीक्षित वेतनमान को वरण करने का विकल्प दिया है और नये वेतनमान में 10 माह की पूर्ण अवधि का लाभ पाने के पूर्व ही सेवानिवृत्त हो जाते है उनकी सेवानिवृति के 10 माह पूर्व के वेतन की गणना निम्न प्रकार की जायेगी:-

(क) जिस अवधि में पुराने वेतनमान में वेतन आहरित किया है उस अवधि का मूल वेतन तथा उस पर देय महँगाई भत्ता एवं अन्तरिम सहायता की प्रथम एवं द्वितीय किस्त जो 1-1-1996 को लागू थी, और

(ख) जिस अवधि में वेतन पुनरीक्षित हो गया है उसके पुनरीक्षित मूल वेतन की धनराशि।

उपरोक्त प्रस्तर-8 (क) की व्यवस्था में दिनॉक 1-1-1996 के पूर्व के माहों की अवधि में आहरित वेतन की धनराशि के 40% प्रतिशत के बराबर धनराशि जोड़कर अन्तिम 10 माह के औसत निकालने की व्यवस्था नहीं है।

2- उपरोक्त संदर्भित व्यवस्था पर सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय ने उक्त व्यवस्था के स्थान पर निम्न व्यवस्था स्थापित करने के आदेश दिए है:-

8-(क) जिन सरकारी सेवकों ने पुनरीक्षित वेतनमान को वरण करने का विकल्प दिया है और नये वेतनमान में 10 माह की पूर्ण अवधि का लाभ पाने के पूर्व ही सेवानिवृत्त हो गये हैं उनकी सेवानिवृति के 10 माह पूर्व के वेतन की गणना निम्न प्रकार से की जायेगी।

...2...

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

(1) मूल वेतन (वेतनवृद्धियों सहित, यदि मध्यवर्ती अवधि के दौरान आहरित की गयी)

(2) महँगाई भत्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1510 तक अर्थात् मूल वेतन के 148%, 111% और 96% की दर से जैसा भी मामला हो।

(3) संगत अवधि के दौरान आहरित मूलवेतन पर अन्तरिम राहत की समुचित पहली और दूसरी किश्तें।

(4) पूर्व संशोधित वेतनमान में मूल वेतन पर 40% निर्धारित लाभ देते हुए मूल वेतन में सैद्धान्तिक वृद्धि।

(ख) उस अवधि हेतु जिसमें वेतन संशोधित वेतनमान में आहरित किया गया :-

उन महीनों के मूल वेतन का पूर्णयोग जिसमें संशोधित वेतनमान में वेतन आहरित किया गया।

अन्तिम 10 माह के औसत वेतन की गणना उपरोक्त 8(क) (1), (2), (3), (4), एवं 8(ख) की मदों को जोड़कर की जायेगी।

3- उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार पेंशन संशोधन की कार्यवाही संबंधित पेंशनस्वीकर्ता अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से की जायेगी। 40% धनराशि को जोड़कर (जहाँ अनुमन्य हो) पेंशन पुनरीक्षित किये जाने की कार्यवाही हेतु सरकारी कर्मचारी द्वारा नये आवेदन-पत्र दिये जाने की आवश्यकता नहीं है तथा उक्त व्यवस्था उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी जो 1 जनवरी से 30 सितम्बर, 1996 तक की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए हों। पेंशन स्वीकर्ता अधिकारी संशोधित प्राधिकार पत्र संबंधित कोषाधिकारी को यथाशीघ्र भेजेंगे।

4- तत्काल संदर्भ की सुविधा हेतु अनुबन्ध-1 (संलग्न) पर सोदाहरण उपलब्ध है।

5- कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-3-1720/दस-308/97, दिनाँक 23-12-1997 के प्रस्तर 8(क) एवं (ख) की व्यवस्था उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझी जाये।

6- समस्त कोषाधिकारियों/ बैंको से यह अपेक्षा की जाती है कि वे

...3...

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उपरोक्त आदेशों के अनुसार कार्यवाही करते हुए संबंधित पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षित करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(विजय कुमार शर्मा)
सचिव वित्त।

1- समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

सोदाहरण — अनुबंध-1

पूर्व संशोधित वेतनमान (1-1-1996 से पूर्व)	2200-4000 रू0
तदनुरूप संशोधित वेतनमान (1-1-1996 से)	8000-13500 रू0
पूर्व संशोधित वेतनमान में वेतन-वृद्धि की तारीख	1 जून, 1995
पूर्व संशोधित वेतनमान में मूल वेतन, मई 1995 तक	3400 रू0
जून से दिसम्बर, 1995 तक	3500 रू0
सेवानिवृत्ति की तारीख	31 जनवरी, 1996

(क) पूर्व संशोधित वेतनमान में आहरित परिलब्धियाँ:-

1 अप्रैल, 1995 से 30 अप्रैल, 1995

मूल वेतन	3400 रू0
महँगाई भत्ता उ0मू0सू0 1510 (इस मामले में 148% की दर से)	5032 रू0
अंतरिम राहत (I) और (II) (100रू0+मूल का 10%)	440 रू0
निर्धारण संबंधी लाभ (मूल वेतन का 40%)	1360 रू0
कुल	10232 रू0

2 महीने (अप्रैल और मई, 1995) की कुलपरिलब्धियाँ

(10232 रू0 × 2 = 20464 रू0

(II) 1 जून, 1995 से 30 जून, 1995

मूल वेतन	3500 रू0
महँगाई राहत उ0मू0सू0 1510 (इस मामले में 148% की दर से)	5180 रू0
अंतरिम राहत (I) और (II) (रू0 100+मूल वेतन का 10%)	450 रू0
निर्धारण संबंधी लाभ (मूल वेतन का 40%)	1400 रू0
कुल	10530 रू0

7 महीने की कुल परिलब्धियाँ (अर्थात् जून से दिसम्बर 1995)

10530 × 7 = 73710 रू0

(ख) संशोधित वेतनमान में आहरित परिलब्धियाँ

1 जनवरी, 1996 से 31 जनवरी, 1996 तक (एक महीना)

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

मूल वेतन	10750 रू0
एक महीने की कुल परिलब्धियाँ	10750 रू0
(ग) 10 महीने की कुल परिलब्धियाँ= क(I) + क (II) ... (ख)	104924 रू0
(घ) औसत परिलब्धियाँ=104924 / 10	10492 रू0

मासिक पूर्ण पेंशन (औसत परिलब्धियाँ का 50%:अर्थात् घ का

$$50\% \ (10492 \text{ रू0}) = \frac{10492}{2} = 5246 \text{ रू0}$$

टिप्पणी : (क) पूर्व संशोधित वेतनमान के मूल वेतन में मूल वेतन का 40% निर्धारण लाभ जमा होगा।

(ख) वास्तविक आहरित महँगाई भत्ते के स्थान पर उ0मू0सू0 1510 की दर से महँगाई राहत मूल वेतन के विशेष स्लैब के सुसंगत होगी।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या–वे0आ0–1–1020/दस–2000–42(एम)/97

प्रेषक,

श्री वी0 के0 शर्मा,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
(5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश–4 प्राग नारायण रोड़, लखनऊ।
(6) समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
(7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक :5 दिसम्बर, 2000

विषय :– राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान–दिनांक 01 जुलाई, 2000 से लागू दर।

पठित निम्नलिखित :–

(1) शासनादेश संख्या–वे0आ0–1–377/दस–2000–42(एम)/97,दिनांक 28 जुलाई, 2000
(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग कार्यालय ज्ञापन–एफ–सं0–1(6)/2000–ई–II(बी)/1050, दिनांक 26 सितम्बर, 2000।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्र0सं0 (1) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 28 जुलाई, 2000 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों व यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को दिनांक 01 जुलाई, 2000 से निम्नानुसार संशोधित दर पर मंहगाई भत्तें के भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है।

तिथि जिस दिन से देय है	प्रतिमाह मंहगाई भत्ते की दर
01 जुलाई, 2000	वेतन का 41 प्रतिशत

2. इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–वे0आ0–1–1599/दस–42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर–3, 4, 5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेगें।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

3. ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके वेतनमानों का दिनांक 01 जनवरी, 1996 से पुनरीक्षण नहीं हुआ है, के मामलों में दिनांक 01 जुलाई, 2000 से मंहगाई भत्ते के भुगतान हेतु उपर्युक्त विषयांकित क्र0सं0 (1) पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 28 जुलाई, 2000 के प्रस्तर–3 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे मामलों में दिनांक 01 जुलाई, 2000 से प्रभावी मंहगाई भत्ता वेतन के 33 प्रतिशत के आधार पर शासनादेश दिनांक 02 जून, 1998 के प्रस्तर–5 में दी गयी प्रकिया के आधार पर आगणित किया जायेगा।

4. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते की दिनांक 01 जुलाई, 2000 से दिनांक 30 नवम्बर, 2000 तक की देय अवशेष धनराशि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 दिसम्बर, 2000 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2002 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नही है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी। मंहगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा की जाने वाली अवशेष धनराशि से सम्बन्धित बिल/शेड्यूल/चालान पर शासनादेश संख्या–सा0–4–12/दस–97–500(1)–97, दिनांक 07 अक्टूबर, 1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिए।

5. इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान रू0 10,500 या उससे कम प्रतिमाह वेतन पाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01 दिसम्बर, 2000 (भुगतान दिनांक 01 जनवरी, 2001 को देय) से नकद किया जायेगा। रू0 10,500 प्रतिमाह से अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में नियमित अंशदान की तरह अलग से माह फरवरी, 2001 (जिसका भुगतान दिनांक 01 मार्च, 2001 को देय होगा) तक, उस पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी। सामान्य भविष्य निधि खाते में इस प्रकार जमा की जाने वाली धनराशि को, उन मामलों को छोडकर जिनमें भविष्य निधि नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final withdrawal) देय हो जाय, दिनांक 31 मार्च, 2002 के पूर्व निकाला नहीं जा सकेगा। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे मंहगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो उसे नकद दे दी जायेगी।

6. इन आदेशों द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के भुगतान की प्रकिया, जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

7. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गयी हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 मई, 2001 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय मंहगाई भत्ते के बकाया की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,

ती0 के0 शर्मा
सचिव, वित्त

संख्या–वे0आ0–1–1020(1)/दस–2000–42(एम)–97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–1 एवं 2 तथा (आडिट)–1 एवं 2 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
(2) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा न0 261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली–110001।
(4) सचिव, राज्यपाल महोदय, लखनऊ।
(5) सचिव, विधान सभा/परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
(6) निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(7) रीजनल प्राविडेण्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर।
(8) संयुक्त निदेशक, कोषागार शिविर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल), कचहरी रोड, इलाहाबाद।
(9) निदेशक, पंचायती राज (लेखा) उत्तर प्रदेश, लखनऊ (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित, जो समस्त वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश को भेजी जायेंगी)।
(10) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(11) शिक्षा अनुभाग–3, 5, 6, 8, और 11, उच्च शिक्षा अनुभाग–2 व 4, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1, 2, नगर विकास अनुभाग–1 तथा पंचायती राज अनुभाग–1, सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1, 2 (अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
(12) इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ)।
(13) समस्त ए0वि0प0 अनुभाग वित्त (ई–6), वित्त (ई–11), वित्त (सामान्य) अनुभाग–1, 2 उत्तरांचल विकास अनुभाग–2, चिकित्सा अनुभाग–2, कृषि अनुभाग–8, पंचायती राज अनुभाग–3, आवास अनुभाग–2, नगर विकास अनुभाग–3।
(14) सचिवालय के अन्य समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

आर0 के0 वर्मा
संयुक्त सचिव, वित्त (वेतन आयोग)

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 110 सा० वित्त—6-12-2000—(4602)—8000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

प्रपत्र-8

सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये निजी फोटो युक्त सचिवालय प्रवेश-पत्र जारी करने हेतु प्रपत्र

(इसके साथ $1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$ इंच आकार की एक फोटो की नवीनतम प्रति संलग्न करना अनिवार्य है)

1. नाम जिसके लिये प्रवेश पत्र जारी होना है.....
2. पिता का नाम.....
3. स्थानीय पता (टेलीफोन नम्बर सहित, यदि कोई हो तो.....
4. सेवानिवृत्ति की तिथि.....
5. किस पद से सेवानिवृत्त हुए हैं.....
6. किस कार्य के लिये सचिवालय आना पड़ता है.....
7. कितनी अवधि के लिये प्रवेश पत्र अपेक्षित है दिनांक.....से.....तक

प्रार्थी के हस्ताक्षर

श्री/श्रीमती/कु0.....

के नाम.....वर्ष.....की सचिवालय प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाय।

प्रमुख सचिव
सचिवालय प्रशासन विभाग ।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा०—3–जी०आई०—45/दस–308/97.

प्रेषक,

श्री शिव प्रकाश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक 4 दिसम्बर, 2000

विषय :–दिनांक 1-1-1986 के बाद किन्तु दिनांक 1-1-1996 से पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की कुटुम्ब पेंशन के संशोधन/अद्यतन करने हेतु एवं दिनांक 1-1-1996 से सभी पेंशनभोगियों की पेंशन दिनांक 1-1-1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम न होने के संबंध में कार्यवाही हेतु आवेदन-पत्र देने की तिथि में वृद्धि।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग–3

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–सा–3-384/दस–300/99, दिनांक 13-4-2000 में दिनांक 1-1-1986 के बाद किन्तु दिनांक 1-1-1996 से पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की कुटुम्ब पेंशन के संशोधन/अद्यतन करने हेतु एवं दिनांक 1-1-1996 से सभी पेंशनभोगियों की पेंशन (कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि का ध्यान किए बिना) दिनांक 1-1-1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम न होने के संबंध में कार्यवाही हेतु आवेदन-पत्र देने के लिये 180 दिन अथवा 30-9-2000 तक की समय-सीमा निर्धारित की गयी थी। उक्त समय-सीमा समाप्त हो चुकी है।

प्रदेश के पेंशनर संघ एवं पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर यह मांग कर रहे हैं कि चूंकि प्रवेश के अन्दर एवं बाहर निवास कर रहे अनेक पेंशनरों की इस सुविधा की जानकारी अभी भी न होने कारण वे अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके हैं, अतएव आवेदन-पत्र देने की समय-सीमा बढ़ा दी जाए।

उपरोक्त पर विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रार्थना-पत्र देने की तिथि दिनांक 31-3-2001 तक बढ़ा दी जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश के निर्गत होने एवं दिनांक 30-9-2000 की मध्यावधि में प्राप्त आवेदन पत्रों को भी वैध माना जाए एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

संख्या सा०—3–जी०आई०—45(1)/दस–308/97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

संख्या सा०—3–जी०आई०—45(2)/दस–308/97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
2—सचिव, विधान सभा, परिषद् विधान भवन, लखनऊ।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

3—निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

4—निदेशक पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

5—मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी एवं बैंक लेखा विभाग केन्द्रीय कार्यालय, नया केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह रोड मुम्बई—400023।

6—सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रचारार्थ।

7—उप सचिव, इरला चेक अनुभाग, सचिवालय, लखनऊ।

8—समस्त पेंशनर संघ, उत्तर प्रदेश।

9—वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, विक्रीकर विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पशुपालन निदेशालय, कृषि विभाग तथा वन विभाग; लखनऊ, पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, उद्योग निदेशालय, कानपुर, राजस्व परिषद, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन निदेशालय, पर्यटन निदेशालय, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, गन्ना तथा चीनी विभाग, राज्यपाल सचिवालय, आयुक्त चकबन्दी प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, लखनऊ, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कारागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, निबन्धक सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश, महानिरीक्षक होम गार्ड्स, उत्तर प्रदेश, प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, नैनीताल, आबकारी विभाग, इलाहाबाद, श्रम विभाग, कानपुर, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, महानिदेशक स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा विभाग, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, मेडिकल कालेज, आगरा, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, मेडिकल कालेज, कानपुर, मेडिकल कालेज, मेरठ, मेडिकल कालेज, झांसी, मेडिकल कालेज, गोरखपुर प्रत्येक को प्रतियां।

आज्ञा से,

शिव प्रकाश,

विशेष सचिव।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 112 सा० वित्त—7-12-2000—(4652)—10,000—कम्प्यूटर/आफसेट।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा०—3-जी०आई०—45/दस-308/97

प्रेषक,

श्री शिव प्रकाश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक 4 दिसम्बर, 2000

विषय :—दिनांक 1-1-1986 के बाद किन्तु दिनांक 1-1-1996 से पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की कुटुम्ब पेंशन के संशोधन/अद्यतन करने हेतु एवं दिनांक 1-1-1996 से सभी पेंशनभोगियों की पेंशन दिनांक 1-1-1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम न होने के संबंध में कार्यवाही हेतु आवेदन-पत्र देने की तिथि में वृद्धि।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग-3

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-सा-3-384/दस-300/99, दिनांक 13-4-2000 में दिनांक 1-1-1986 के बाद किन्तु दिनांक 1-1-1996 से पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की कुटुम्ब पेंशन के संशोधन/अद्यतन करने हेतु एवं दिनांक 1-1-1996 से सभी पेंशनभोगियों की पेंशन (कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि का ध्यान किए बिना) दिनांक 1-1-1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम न होने के संबंध में कार्यवाही हेतु आवेदन-पत्र देने के लिये 180 दिन अथवा 30-9-2000 तक की समय-सीमा निर्धारित की गयी थी। उक्त समय-सीमा समाप्त हो चुकी है।

प्रदेश के पेंशनर संघ एवं पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर यह मांग कर रहे हैं कि चूंकि प्रवेश के अन्दर एवं बाहर निवास कर रहे अनेक पेंशनरों की इस सुविधा की जानकारी अभी भी न होने कारण वे अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके हैं, अतएव आवेदन-पत्र देने की समय-सीमा बढ़ा दी जाए।

उपरोक्त पर विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रार्थना-पत्र देने की तिथि दिनांक 31-3-2001 तक बढ़ा दी जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश के निर्गत होने एवं दिनांक 30-9-2000 की मध्यावधि में प्राप्त आवेदन पत्रों को भी वैध माना जाए एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

संख्या सा०—3-जी०आई०—45(1)/दस-308/97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

संख्या सा०—3-जी०आई०—45(2)/दस-308/97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
2—सचिव, विधान सभा, परिषद् विधान भवन, लखनऊ।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा०—3–जी०आई०—45/दस–308/97

प्रेषक,

श्री शिव प्रकाश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 4 दिसम्बर, 2000

विषय :—दिनांक 1-1-1986 के बाद किन्तु दिनांक 1-1-1996 से पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की कुटुम्ब पेंशन के संशोधन/अद्यतन करने हेतु एवं दिनांक 1-1-1996 से सभी पेंशनभोगियों की पेंशन दिनांक 1-1-1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम न होने के संबंध में कार्यवाही हेतु आवेदन-पत्र देने की तिथि में वृद्धि।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग–3

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–सा–3-384/दस–300/99, दिनांक 13-4-2000 में दिनांक 1-1-1986 के बाद किन्तु दिनांक 1-1-1996 से पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की कुटुम्ब पेंशन के संशोधन/अद्यतन करने हेतु एवं दिनांक 1-1-1996 से सभी पेंशनभोगियों की पेंशन (कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि का ध्यान किए बिना) दिनांक 1-1-1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम न होने के संबंध में कार्यवाही हेतु आवेदन-पत्र देने के लिये 180 दिन अथवा 30-9-2000 तक की समय-सीमा निर्धारित की गयी थी। उक्त समय-सीमा समाप्त हो चुकी है।

प्रदेश के पेंशनर संघ एवं पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर यह मांग कर रहे हैं कि चूंकि प्रवेश के अन्दर एवं बाहर निवास कर रहे अनेक पेंशनरों की इस सुविधा की जानकारी अभी भी न होने कारण वे अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके हैं, अतएव आवेदन-पत्र देने की समय-सीमा बढ़ा दी जाए।

उपरोक्त पर विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रार्थना-पत्र देने की तिथि दिनांक 31-3-2001 तक बढ़ा दी जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश के निर्गत होने एवं दिनांक 30-9-2000 की मध्यावधि में प्राप्त आवेदन पत्रों को भी वैध माना जाए एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

संख्या सा०—3–जी०आई०—45(1)/दस–308/97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

संख्या सा०—3–जी०आई०—45(2)/दस–308/97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
2—सचिव, विधान सभा, परिषद् विधान भवन, लखनऊ।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

3—निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

4—निदेशक पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

5—मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी एवं बैंक लेखा विभाग केन्द्रीय कार्यालय, नया केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह रोड मुम्बई—400023।

6—सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रचारार्थ।

7—उप सचिव, इरला चेक अनुभाग, सचिवालय, लखनऊ।

8—समस्त पेंशनर संघ, उत्तर प्रदेश।

9—वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, बिक्रीकर विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पशुपालन निदेशालय, कृषि विभाग तथा वन विभाग, लखनऊ, पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, उद्योग निदेशालय, कानपुर, राजस्व परिषद, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन निदेशालय, पर्यटन निदेशालय, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, गन्ना तथा चीनी विभाग, राज्यपाल सचिवालय, आयुक्त चकबन्दी प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, लखनऊ, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कारागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, निबन्धक सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश, महानिरीक्षक होम गार्ड्स, उत्तर प्रदेश, प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, नैनीताल, आबकारी विभाग, इलाहाबाद, श्रम विभाग, कानपुर, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, महानिदेशक स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा विभाग, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, मेडिकल कालेज, आगरा, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, मेडिकल कालेज, कानपुर, मेडिकल कालेज, मेरठ, मेडिकल कालेज, झांसी, मेडिकल कालेज, गोरखपुर प्रत्येक को प्रतियां।

आज्ञा से,

शिव प्रकाश,

विशेष सचिव।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 112 सा० वित्त—7-12-2000—(4652)—10,000—कम्प्यूटर/आफसेट।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा०—3–जी०आई०—45/दस–308/97

प्रेषक,

श्री शिव प्रकाश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 4 दिसम्बर, 2000

विषय :—दिनांक 1-1-1986 के बाद किन्तु दिनांक 1-1-1996 से पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की कुटुम्ब पेंशन के संशोधन/अद्यतन करने हेतु एवं दिनांक 1-1-1996 से सभी पेंशनभोगियों की पेंशन दिनांक 1-1-1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम न होने के संबंध में कार्यवाही हेतु आवेदन-पत्र देने की तिथि में वृद्धि।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग–3

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–सा–3-384/दस–300/99, दिनांक 13-4-2000 में दिनांक 1-1-1986 के बाद किन्तु दिनांक 1-1-1996 से पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की कुटुम्ब पेंशन के संशोधन/अद्यतन करने हेतु एवं दिनांक 1-1-1996 से सभी पेंशनभोगियों की पेंशन (कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि का ध्यान किए बिना) दिनांक 1-1-1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम न होने के संबंध में कार्यवाही हेतु आवेदन-पत्र देने के लिये 180 दिन अथवा 30-9-2000 तक की समय-सीमा निर्धारित की गयी थी। उक्त समय-सीमा समाप्त हो चुकी है।

प्रदेश के पेंशनर संघ एवं पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर यह मांग कर रहे हैं कि चूंकि प्रवेश के अन्दर एवं बाहर निवास कर रहे अनेक पेंशनरों को इस सुविधा की जानकारी अभी भी न होने कारण वे अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके हैं, अतएव आवेदन-पत्र देने की समय-सीमा बढ़ा दी जाए।

उपरोक्त पर विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रार्थना-पत्र देने की तिथि दिनांक 31-3-2001 तक बढ़ा दी जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश के निर्गत होने एवं दिनांक 30-9-2000 की मध्यावधि में प्राप्त आवेदन पत्रों को भी वैध माना जाए एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

संख्या सा०—3–जी०आई०—45(1)/दस–308/97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

संख्या सा०—3–जी०आई०—45(2)/दस–308/97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
2—सचिव, विधान सभा, परिषद् विधान भवन, लखनऊ।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

3—निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

4—निदेशक पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

5—मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी एवं बैंक लेखा विभाग केन्द्रीय कार्यालय, नया केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह रोड मुम्बई—400023।

6—सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रचारार्थ।

7—उप सचिव, इरला चेक अनुभाग, सचिवालय, लखनऊ।

8—समस्त पेंशनर संघ, उत्तर प्रदेश।

9—वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, विक्रीकर विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पशुपालन निदेशालय, कृषि विभाग तथा वन विभाग, लखनऊ, पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, उद्योग निदेशालय, कानपुर, राजस्व परिषद, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन निदेशालय, पर्यटन निदेशालय, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, गन्ना तथा चीनी विभाग, राज्यपाल सचिवालय, आयुक्त चकबन्दी प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, लखनऊ, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कारागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, निबन्धक सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश, महानिरीक्षक होम गार्ड्स, उत्तर प्रदेश, प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, नैनीताल, आबकारी विभाग, इलाहाबाद, श्रम विभाग, कानपुर, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, महानिदेशक स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा विभाग, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, मेडिकल कालेज, आगरा, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, मेडिकल कालेज, कानपुर, मेडिकल कालेज, मेरठ, मेडिकल कालेज, झांसी, मेडिकल कालेज, गोरखपुर प्रत्येक को प्रतियां।

आज्ञा से,

शिव प्रकाश,

विशेष सचिव।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 112 सा० वित्त—7-12-2000—(4652)—10,000—कम्प्यूटर/आफसेट।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा०—3–जी०आई०—45/दस–308/97

प्रेषक,

श्री शिव प्रकाश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 4 दिसम्बर, 2000

विषय :—दिनांक 1-1-1986 के बाद किन्तु दिनांक 1-1-1996 से पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की कुटुम्ब पेंशन के संशोधन/अद्यतन करने हेतु एवं दिनांक 1-1-1996 से सभी पेंशनभोगियों की पेंशन दिनांक 1-1-1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम न होने के संबंध में कार्यवाही हेतु आवेदन-पत्र देने की तिथि में वृद्धि।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग–3

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–सा–3-384/दस–300/99, दिनांक 13-4-2000 में दिनांक 1-1-1986 के बाद किन्तु दिनांक 1-1-1996 से पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की कुटुम्ब पेंशन के संशोधन/अद्यतन करने हेतु एवं दिनांक 1-1-1996 से सभी पेंशनभोगियों की पेंशन (कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि का ध्यान किए बिना) दिनांक 1-1-1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम न होने के संबंध में कार्यवाही हेतु आवेदन-पत्र देने के लिये 180 दिन अथवा 30-9-2000 तक की समय-सीमा निर्धारित की गयी थी। उक्त समय-सीमा समाप्त हो चुकी है।

प्रदेश के पेंशनर संघ एवं पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर यह मांग कर रहे हैं कि चूंकि प्रवेश के अन्दर एवं बाहर निवास कर रहे अनेक पेंशनरों की इस सुविधा की जानकारी अभी भी न होने कारण वे अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके हैं, अतएव आवेदन-पत्र देने की समय-सीमा बढ़ा दी जाए।

उपरोक्त पर विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रार्थना-पत्र देने की तिथि दिनांक 31-3-2001 तक बढ़ा दी जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश के निर्गत होने एवं दिनांक 30-9-2000 की मध्यावधि में प्राप्त आवेदन पत्रों को भी वैध माना जाए एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

संख्या सा०—3–जी०आई०—45(1)/दस–308/97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

संख्या सा०—3–जी०आई०—45(2)/दस–308/97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
2—सचिव, विधान सभा, परिषद् विधान भवन, लखनऊ।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

3—निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

4—निदेशक पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

5—मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी एवं बैंक लेखा विभाग केन्द्रीय कार्यालय, नया केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह रोड मुम्बई—400023।

6—सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रचारार्थ।

7—उप सचिव, इरला चेक अनुभाग, सचिवालय, लखनऊ।

8—समस्त पेंशनर संघ, उत्तर प्रदेश।

9—वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, विक्रीकर विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पशुपालन निदेशालय, कृषि विभाग तथा वन विभाग, लखनऊ, पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, उद्योग निदेशालय, कानपुर, राजस्व परिषद, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन निदेशालय, पर्यटन निदेशालय, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, गन्ना तथा चीनी विभाग, राज्यपाल सचिवालय, आयुक्त चकबन्दी प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, लखनऊ, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कारागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, निबन्धक सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश, महानिरीक्षक होम गार्ड्स, उत्तर प्रदेश, प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, नैनीताल, आबकारी विभाग, इलाहाबाद, श्रम विभाग, कानपुर, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, महानिदेशक स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा विभाग, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, मेडिकल कालेज, आगरा, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, मेडिकल कालेज, कानपुर, मेडिकल कालेज, मेरठ, मेडिकल कालेज, झांसी, मेडिकल कालेज, गोरखपुर प्रत्येक को प्रतियां।

आज्ञा से,

शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 112 सा० वित्त—7-12-2000—(4652)—10,000—कम्प्यूटर/आफसेट।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा०—3–जी०आई०—45/दस–308/97

प्रेषक,

श्री शिव प्रकाश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 4 दिसम्बर, 2000

विषय :—दिनांक 1-1-1986 के बाद किन्तु दिनांक 1-1-1996 से पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की कुटुम्ब पेंशन के संशोधन/अद्यतन करने हेतु एवं दिनांक 1-1-1996 से सभी पेंशनभोगियों की पेंशन दिनांक 1-1-1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम न होने के संबंध में कार्यवाही हेतु आवेदन-पत्र देने की तिथि में वृद्धि।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग–3

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–सा–3-384/दस–300/99, दिनांक 13-4-2000 में दिनांक 1-1-1986 के बाद किन्तु दिनांक 1-1-1996 से पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की कुटुम्ब पेंशन के संशोधन/अद्यतन करने हेतु एवं दिनांक 1-1-1996 से सभी पेंशनभोगियों की पेंशन (कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि का ध्यान किए बिना) दिनांक 1-1-1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम न होने के संबंध में कार्यवाही हेतु आवेदन-पत्र देने के लिये 180 दिन अथवा 30-9-2000 तक की समय-सीमा निर्धारित की गयी थी। उक्त समय-सीमा समाप्त हो चुकी है।

प्रदेश के पेंशनर संघ एवं पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर यह मांग कर रहे हैं कि चूंकि प्रवेश के अन्दर एवं बाहर निवास कर रहे अनेक पेंशनरों की इस सुविधा की जानकारी अभी भी न होने कारण वे अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके हैं, अतएव आवेदन-पत्र देने की समय-सीमा बढ़ा दी जाए।

उपरोक्त पर विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रार्थना-पत्र देने की तिथि दिनांक 31-3-2001 तक बढ़ा दी जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश के निर्गत होने एवं दिनांक 30-9-2000 की मध्यावधि में प्राप्त आवेदन पत्रों को भी वैध माना जाए एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

संख्या सा०—3–जी०आई०—45(1)/दस–308/97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

संख्या सा०—3–जी०आई०—45(2)/दस–308/97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
2—सचिव, विधान सभा, परिषद् विधान भवन, लखनऊ।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

3—निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

4—निदेशक पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

5—मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी एवं बैंक लेखा विभाग केन्द्रीय कार्यालय, नया केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह रोड मुम्बई—400023।

6—सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रचारार्थ।

7—उप सचिव, इरला चेक अनुभाग, सचिवालय, लखनऊ।

8—समस्त पेंशनर संघ, उत्तर प्रदेश।

9—वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, विक्रीकर विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पशुपालन निदेशालय, कृषि विभाग तथा वन विभाग, लखनऊ, पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, उद्योग निदेशालय, कानपुर, राजस्व परिषद, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन निदेशालय, पर्यटन निदेशालय, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, गन्ना तथा चीनी विभाग, राज्यपाल सचिवालय, आयुक्त चकबन्दी प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, लखनऊ, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कारागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, निबन्धक सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश, महानिरीक्षक होम गार्ड्स, उत्तर प्रदेश, प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, नैनीताल, आबकारी विभाग, इलाहाबाद, श्रम विभाग, कानपुर, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, महानिदेशक स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा विभाग, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, मेडिकल कालेज, आगरा, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, मेडिकल कालेज, कानपुर, मेडिकल कालेज, मेरठ, मेडिकल कालेज, झांसी, मेडिकल कालेज, गोरखपुर प्रत्येक को प्रतियां।

आज्ञा से,

शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

पी०एस०यू०पी० ए०पी० 112 सा० वित्त 7-12-2000 (4652) 10,000 कम्प्यूटर/आफसेट।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा०—3–जी०आई०—45/दस–308/97

प्रेषक,

श्री शिव प्रकाश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक 4 दिसम्बर, 2000

विषय :--दिनांक 1-1-1986 के बाद किन्तु दिनांक 1-1-1996 से पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की कुटुम्ब पेंशन के संशोधन/अद्यतन करने हेतु एवं दिनांक 1-1-1996 से सभी पेंशनभोगियों की पेंशन दिनांक 1-1-1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम न होने के संबंध में कार्यवाही हेतु आवेदन-पत्र देने की तिथि में वृद्धि।

महोदय,

चित्त (सामान्य)
अनुभाग–3

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–सा–3-384/दस–300/99, दिनांक 13-4-2000 में दिनांक 1-1-1986 के बाद किन्तु दिनांक 1-1-1996 से पूर्व सेवानिवृत/दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की कुटुम्ब पेंशन के संशोधन/अद्यतन करने हेतु एवं दिनांक 1-1-1996 से सभी पेंशनभोगियों की पेंशन (कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि का ध्यान किए बिना) दिनांक 1-1-1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम न होने के संबंध में कार्यवाही हेतु आवेदन-पत्र देने के लिये 180 दिन अथवा 30-9-2000 तक की समय-सीमा निर्धारित की गयी थी। उक्त समय-सीमा समाप्त हो चुकी है।

प्रदेश के पेंशनर संघ एवं पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर यह मांग कर रहे हैं कि चूंकि प्रवेश के अन्दर एवं बाहर निवास कर रहे अनेक पेंशनरों की इस सुविधा की जानकारी अभी भी न होने कारण वे अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके हैं, अतएव आवेदन-पत्र देने की समय-सीमा बढ़ा दी जाए।

उपरोक्त पर विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रार्थना-पत्र देने की तिथि दिनांक 31-3-2001 तक बढ़ा दी जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश के निर्गत होने एवं दिनांक 30-9-2000 की मध्यावधि में प्राप्त आवेदन पत्रों को भी वैध माना जाए एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

संख्या सा०—3–जी०आई०—45(1)/दस–308/97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

संख्या सा०—3–जी०आई०—45(2)/दस–308/97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
2—सचिव, विधान सभा, परिषद् विधान भवन, लखनऊ।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

3—निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

4—निदेशक पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

5—मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी एवं बैंक लेखा विभाग केन्द्रीय कार्यालय, नया केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह रोड मुम्बई—400023।

6—सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रचारार्थ।

7—उप सचिव, इरला चेक अनुभाग, सचिवालय, लखनऊ।

8—समस्त पेंशनर संघ, उत्तर प्रदेश।

9—वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, विक्रीकर विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पशुपालन निदेशालय, कृषि विभाग तथा वन विभाग, लखनऊ, पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, उद्योग निदेशालय, कानपुर, राजस्व परिषद, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन निदेशालय, पर्यटन निदेशालय, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, गन्ना तथा चीनी विभाग, राज्यपाल सचिवालय, आयुक्त चकबन्दी प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, लखनऊ, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कारागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, निबन्धक सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश, महानिरीक्षक होम गार्ड्स, उत्तर प्रदेश, प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, नैनीताल, आबकारी विभाग, इलाहाबाद, श्रम विभाग, कानपुर, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, महानिदेशक स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा विभाग, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, मेडिकल कालेज, आगरा, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, मेडिकल कालेज, कानपुर, मेडिकल कालेज, मेरठ, मेडिकल कालेज, झांसी, मेडिकल कालेज, गोरखपुर प्रत्येक को प्रतियां।

आज्ञा से,

शिव प्रकाश,

विशेष सचिव।

पी०एस०यू०पी० ए०पी० 112 सा० वित्त 7-12-2000 (4652) 10,000 कम्प्यूटर/आफसेट।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा०—3–जी०आई०—45/दस–308/97

प्रेषक,

श्री शिव प्रकाश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक 4 दिसम्बर, 2000

विषय :–दिनांक 1-1-1986 के बाद किन्तु दिनांक 1-1-1996 से पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की कुटुम्ब पेंशन के संशोधन/अद्यतन करने हेतु एवं दिनांक 1-1-1996 से सभी पेंशनभोगियों की पेंशन दिनांक 1-1-1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम न होने के संबंध में कार्यवाही हेतु आवेदन-पत्र देने की तिथि में वृद्धि।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग–3

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–सा–3-384/दस–300/99, दिनांक 13-4-2000 में दिनांक 1-1-1986 के बाद किन्तु दिनांक 1-1-1996 से पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की कुटुम्ब पेंशन के संशोधन/अद्यतन करने हेतु एवं दिनांक 1-1-1996 से सभी पेंशनभोगियों की पेंशन (कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि का ध्यान किए बिना) दिनांक 1-1-1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम न होने के संबंध में कार्यवाही हेतु आवेदन-पत्र देने के लिये 180 दिन अथवा 30-9-2000 तक की समय-सीमा निर्धारित की गयी थी। उक्त समय-सीमा समाप्त हो चुकी है।

प्रदेश के पेंशनर संघ एवं पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर यह मांग कर रहे हैं कि चूंकि प्रदेश के अन्दर एवं बाहर निवास कर रहे अनेक पेंशनरों की इस सुविधा की जानकारी अभी भी न होने कारण वे अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके हैं, अतएव आवेदन-पत्र देने की समय-सीमा बढ़ा दी जाए।

उपरोक्त पर विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रार्थना-पत्र देने की तिथि दिनांक 31-3-2001 तक बढ़ा दी जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश के निर्गत होने एवं दिनांक 30-9-2000 की मध्यावधि में प्राप्त आवेदन पत्रों को भी वैध माना जाए एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

संख्या सा०—3–जी०आई०—45(1)/दस–308/97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

संख्या सा०—3–जी०आई०—45(2)/दस–308/97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
2—सचिव, विधान सभा, परिषद् विधान भवन, लखनऊ।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

3—निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

4—निदेशक पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

5—मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी एवं बैंक लेखा विभाग केन्द्रीय कार्यालय, नया केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह रोड मुम्बई—400023।

6—सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रचारार्थ।

7—उप सचिव, इरला चेक अनुभाग, सचिवालय, लखनऊ।

8—समस्त पेंशनर संघ, उत्तर प्रदेश।

9—वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, विक्रीकर विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पशुपालन निदेशालय, कृषि विभाग तथा वन विभाग, लखनऊ, पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, उद्योग निदेशालय, कानपुर, राजस्व परिषद, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन निदेशालय, पर्यटन निदेशालय, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, गन्ना तथा चीनी विभाग, राज्यपाल सचिवालय, आयुक्त चकबन्दी प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, लखनऊ, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कारागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, निबन्धक सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश, महानिरीक्षक होम गार्ड्स, उत्तर प्रदेश, प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, नैनीताल, आबकारी विभाग, इलाहाबाद, श्रम विभाग, कानपुर, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, महानिदेशक स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा विभाग, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, मेडिकल कालेज, आगरा, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, मेडिकल कालेज, कानपुर, मेडिकल कालेज, मेरठ, मेडिकल कालेज, झांसी, मेडिकल कालेज, गोरखपुर प्रत्येक को प्रतियां।

आज्ञा से,

शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 112 सा० वित्त—7-12-2000—(4652)—10,000—कम्प्यूटर/आफसेट।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या : सा.-3-1982/दस-301/2000
लखनऊ : दिनांक : 15 दिसम्बर, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

विषय : राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा०-3-1066/दस-301-2000,दिनांक 31 जुलाई, 2000 जिसके द्वारा महंगाई राहत की एक किस्त 01 जनवरी, 2000 से स्वीकृत की गई थी, के क्रम में राज्यपाल महोदय ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई के 306.33 (जैसा कि 01-01-1996 को थी) औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई अतिरिक्त वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31 जुलाई, 2000 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जुलाई, 2000 से महंगाई राहत की एक और किस्त 03 प्रतिशत (तीन प्रतिशत) की किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। तद्नुसार दिनांक 01-07-2000 से राहत की दर बढ़कर 41 प्रतिशत हो गयी है।

2-महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रुपयों में राउण्ड कर दिया जायेगा।

3-यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4-यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5-शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या ए-1-252/दस-10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

Government of Uttar Pradesh
Finance (General) Section-3

No. Sa.-3-1982/X-301/2000
Dated : Lucknow : 15 December, 2000

Office Memorandum

Subject :- Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners.

The undersigned is directed to refer to this office Memo no. Sa.-3-1066/X-301-2000, Dated July 31, 2000 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from January 1, 2000 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of Dearness Relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average Consumer Price Index 306.33 (as on 1.1.1996) at the rate of 3% (Three percent) with effect from July 1, 2000 in super-session of the rates mentioned in the O.M., dated July 31, 2000 referred to above. Accordingly the rate of Dearness Relief of Pension/Family Pension w.e.f. 01-07-2000 has risen to 41%.

2. Payment of Dearness relief involving a fraction of a rupee, shall be rounded off to the next higher rupee.

3. These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of U.P. Public Service Commission, employees of Local Bodies and Public Undertakings/Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State Fund under the Education/Technical Education Departments whose pension/family pension is at par with the pensioners of the State Government.

5. As per orders issued in O.M. no. A-1-252/X-10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant Generals Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under this O.M. shall be made by the paying authorities/Public Sector Banks.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

6—महंगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबंध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विजय कुमार शर्मा,
सचिव।

सेवा में,

उ० प्र० शासन के प्रमुख सचिव, समस्त सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व में निर्धारित वितरण सूची में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण।

6. Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

VIJAY KUMAR SHARMA,
Secretary.

To,

Principal Secretaries to Government of Uttar Pradesh, all Secretaries heads of Department/Offices, all treasury Officers and other officers as per previous distribution list.

पी०एस०यू०पी०—ए० पी० 116 सा० वित्त—20.12.2000—(4793)—25,000—(कम्प्यूटर / आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या : सा.-3-1982/दस-301/2000
लखनऊ : दिनांक : 15 दिसम्बर, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

विषय : राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा०-3-1066/दस-301-2000,दिनांक 31 जुलाई, 2000 जिसके द्वारा महंगाई राहत की एक किस्त 01 जनवरी, 2000 से स्वीकृत की गई थी, के क्रम में राज्यपाल महोदय ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई के 306.33 (जैसा कि 01-01-1996 को थी) औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई अतिरिक्त वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31 जुलाई, 2000 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जुलाई, 2000 से महंगाई राहत की एक और किस्त 03 प्रतिशत (तीन प्रतिशत) की किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। तद्नुसार दिनांक 01-07-2000 से राहत की दर बढ़कर 41 प्रतिशत हो गयी है।

2-महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रुपयों में राउण्ड कर दिया जायेगा।

3-यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4-यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5-शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या ए-1-252/दस-10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

Government of Uttar Pradesh
Finance (General) Section-3

No. Sa.-3-1982/X-301/2000
Dated : Lucknow : 15 December, 2000

Office Memorandum

Subject :- Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners.

The undersigned is directed to refer to this office Memo no. Sa.-3-1066/X-301-2000, Dated July 31, 2000 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from January 1, 2000 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of Dearness Relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average Consumer Price Index 306.33 (as on 1.1.1996) at the rate of 3% (Three percent) with effect from July 1, 2000 in super-session of the rates mentioned in the O.M., dated July 31, 2000 referred to above. Accordingly the rate of Dearness Relief of Pension/Family Pension w.e.f. 01-07-2000 has risen to 41%.

2. Payment of Dearness relief involving a fraction of a rupee, shall be rounded off to the next higher rupee.

3. These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of U.P. Public Service Commission, employees of Local Bodies and Public Undertakings/Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State Fund under the Education/Technical Education Departments whose pension/family pension is at par with the pensioners of the State Government.

5. As per orders issued in O.M. no. A-1-252/X-10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant Generals Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under this O.M. shall be made by the paying authorities/Public Sector Banks.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

6—महंगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबंध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विजय कुमार शर्मा,
सचिव।

सेवा में,

उ० प्र० शासन के प्रमुख सचिव, समस्त सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व में निर्धारित वितरण सूची में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण।

6. Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

VIJAY KUMAR SHARMA,
Secretary.

To,

Principal Secretaries to Government of Uttar Pradesh, all Secretaries heads of Department/Offices, all treasury Officers and other officers as per previous distribution list.

पी०एस०यू०पी०—ए० पी० 116 सा० वित्त—20.12.2000—(4793)—25,000—(कम्प्यूटर / आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या : सा.-3-1982/दस-301/2000
लखनऊ : दिनांक : 15 दिसम्बर, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

विषय : राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा०-3-1066/दस-301-2000,दिनांक 31 जुलाई, 2000 जिसके द्वारा महंगाई राहत की एक किस्त 01 जनवरी, 2000 से स्वीकृत की गई थी, के क्रम में राज्यपाल महोदय ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई के 306.33 (जैसा कि 01-01-1996 को थी) औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई अतिरिक्त वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31 जुलाई, 2000 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जुलाई, 2000 से महंगाई राहत की एक और किस्त 03 प्रतिशत (तीन प्रतिशत) की किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। तद्नुसार दिनांक 01-07-2000 से राहत की दर बढ़कर 41 प्रतिशत हो गयी है।

2-महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रुपयों में राउण्ड कर दिया जायेगा।

3-यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4-यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5-शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या ए-1-252/दस-10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

Government of Uttar Pradesh
Finance (General) Section-3

No. Sa.-3-1982/X-301/2000
Dated : Lucknow : 15 December, 2000

Office Memorandum

Subject :- Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners.

The undersigned is directed to refer to this office Memo no. Sa.-3-1066/X-301-2000, Dated July 31, 2000 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from January 1, 2000 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of Dearness Relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average Consumer Price Index 306.33 (as on 1.1.1996) at the rate of 3% (Three percent) with effect from July 1, 2000 in super-session of the rates mentioned in the O.M., dated July 31, 2000 referred to above. Accordingly the rate of Dearness Relief of Pension/Family Pension w.e.f. 01-07-2000 has risen to 41%.

2. Payment of Dearness relief involving a fraction of a rupee, shall be rounded off to the next higher rupee.

3. These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of U.P. Public Service Commission, employees of Local Bodies and Public Undertakings/Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State Fund under the Education/Technical Education Departments whose pension/family pension is at par with the pensioners of the State Government.

5. As per orders issued in O.M. no. A-1-252/X-10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant Generals Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under this O.M. shall be made by the paying authorities/Public Sector Banks.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

6–महंगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबंध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विजय कुमार शर्मा,
सचिव।

सेवा में,

उ० प्र० शासन के प्रमुख सचिव, समस्त सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व में निर्धारित वितरण सूची में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण।

6. Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

VIJAY KUMAR SHARMA,
Secretary.

To,

Principal Secretaries to Government of Uttar Pradesh, all Secretaries heads of Department/Offices, all treasury Officers and other officers as per previous distribution list.

पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 116 सा० वित्त–20.12.2000–(4793)–25,000–(कम्प्यूटर / आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या : सा.-3-1982/दस-301/2000
लखनऊ : दिनांक : 15 दिसम्बर, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

विषय : राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा०-3-1066/दस-301-2000,दिनांक 31 जुलाई, 2000 जिसके द्वारा महंगाई राहत की एक किस्त 01 जनवरी, 2000 से स्वीकृत की गई थी, के क्रम में राज्यपाल महोदय ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई के 306.33 (जैसा कि 01-01-1996 को थी) औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई अतिरिक्त वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31 जुलाई, 2000 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जुलाई, 2000 से महंगाई राहत की एक और किस्त 03 प्रतिशत (तीन प्रतिशत) की किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। तदनुसार दिनांक 01-07-2000 से राहत की दर बढ़कर 41 प्रतिशत हो गयी है।

2-महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रुपयों में राउण्ड कर दिया जायेगा।

3-यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4-यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5-शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या ए-1-252/दस-10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

Government of Uttar Pradesh
Finance (General) Section-3

No. Sa.-3-1982/X-301/2000
Dated : Lucknow : 15 December, 2000

Office Memorandum

Subject :- Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners.

The undersigned is directed to refer to this office Memo no. Sa.-3-1066/X-301-2000, Dated July 31, 2000 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from January 1, 2000 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of Dearness Relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average Consumer Price Index 306.33 (as on 1.1.1996) at the rate of 3% (Three percent) with effect from July 1, 2000 in super-session of the rates mentioned in the O.M., dated July 31, 2000 referred to above. Accordingly the rate of Dearness Relief of Pension/Family Pension w.e.f. 01-07-2000 has risen to 41%.

2. Payment of Dearness relief involving a fraction of a rupee, shall be rounded off to the next higher rupee.

3. These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of U.P. Public Service Commission, employees of Local Bodies and Public Undertakings/Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State Fund under the Education/Technical Education Departments whose pension/family pension is at par with the pensioners of the State Government.

5. As per orders issued in O.M. no. A-1-252/X-10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant Generals Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under this O.M. shall be made by the paying authorities Public Sector Banks.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

6—महंगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबंध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विजय कुमार शर्मा,
सचिव।

सेवा में,

उ० प्र० शासन के प्रमुख सचिव, समस्त सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व में निर्धारित वितरण सूची में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण।

6. Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

VIJAY KUMAR SHARMA,
Secretary.

To,

Principal Secretaries to Government of Uttar Pradesh, all Secretaries heads of Department/Offices, all treasury Officers and other officers as per previous distribution list.

पी०एस०यू०पी०—ए० पी० 116 सा० वित्त—20.12.2000—(4793)—25,000—(कम्प्यूटर / आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या : सा.-3-1982/दस-301/2000
लखनऊ : दिनांक : 15 दिसम्बर, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

विषय : राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा०-3-1066/दस-301-2000,दिनांक 31 जुलाई, 2000 जिसके द्वारा महंगाई राहत की एक किस्त 01 जनवरी, 2000 से स्वीकृत की गई थी, के क्रम में राज्यपाल महोदय ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई के 306.33 (जैसा कि 01-01-1996 को थी) औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई अतिरिक्त वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31 जुलाई, 2000 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जुलाई, 2000 से महंगाई राहत की एक और किस्त 03 प्रतिशत (तीन प्रतिशत) की किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। तदनुसार दिनांक 01-07-2000 से राहत की दर बढ़कर 41 प्रतिशत हो गयी है।

2-महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रुपयों में राउण्ड कर दिया जायेगा।

3-यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4-यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5-शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या ए-1-252/दस-10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

Government of Uttar Pradesh
Finance (General) Section-3

No. Sa.-3-1982/X-301/2000
Dated : Lucknow : 15 December, 2000

Office Memorandum

Subject :- Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners.

The undersigned is directed to refer to this office Memo no. Sa.-3-1066/X-301-2000, Dated July 31, 2000 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from January 1, 2000 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of Dearness Relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average Consumer Price Index 306.33 (as on 1.1.1996) at the rate of 3% (Three percent) with effect from July 1, 2000 in super-session of the rates mentioned in the O.M., dated July 31, 2000 referred to above. Accordingly the rate of Dearness Relief of Pension/Family Pension w.e.f. 01-07-2000 has risen to 41%.

2. Payment of Dearness relief involving a fraction of a rupee, shall be rounded off to the next higher rupee.

3. These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of U.P. Public Service Commission, employees of Local Bodies and Public Undertakings/Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State Fund under the Education/Technical Education Departments whose pension/family pension is at par with the pensioners of the State Government.

5. As per orders issued in O.M. no. A-1-252/X-10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant Generals Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under this O.M. shall be made by the paying authorities/Public Sector Banks.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

6–महंगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबंध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विजय कुमार शर्मा,
सचिव।

6. Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

VIJAY KUMAR SHARMA,
Secretary.

सेवा में,

उ० प्र० शासन के प्रमुख सचिव, समस्त सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व में निर्धारित वितरण सूची में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण।

To,

Principal Secretaries to Government of Uttar Pradesh, all Secretaries heads of Department/Offices, all treasury Officers and other officers as per previous distribution list.

पी०एस०यू०पी०–ए० पी० 116 सा० वित्त–20.12.2000–(4793)–25,000–(कम्प्यूटर / आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या : सा.-3-1982/दस-301/2000
लखनऊ : दिनांक : 15 दिसम्बर, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

विषय : राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा०-3-1066/दस-301-2000,दिनांक 31 जुलाई, 2000 जिसके द्वारा महंगाई राहत की एक किस्त 01 जनवरी, 2000 से स्वीकृत की गई थी, के क्रम में राज्यपाल महोदय ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई के 306.33 (जैसा कि 01-01-1996 को थी) औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई अतिरिक्त वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31 जुलाई, 2000 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जुलाई, 2000 से महंगाई राहत की एक और किस्त 03 प्रतिशत (तीन प्रतिशत) की किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। तद्नुसार दिनांक 01-07-2000 से राहत की दर बढ़कर 41 प्रतिशत हो गयी है।

2-महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रुपयों में राउण्ड कर दिया जायेगा।

3-यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4-यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5-शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या ए-1-252/दस-10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

Government of Uttar Pradesh
Finance (General) Section-3

No. Sa.-3-1982/X-301/2000
Dated : Lucknow : 15 December, 2000

Office Memorandum

Subject :- Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners.

The undersigned is directed to refer to this office Memo no. Sa.-3-1066/X-301-2000, Dated July 31, 2000 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from January 1, 2000 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of Dearness Relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average Consumer Price Index 306.33 (as on 1.1.1996) at the rate of 3% (Three percent) with effect from July 1, 2000 in super-session of the rates mentioned in the O.M., dated July 31, 2000 referred to above. Accordingly the rate of Dearness Relief of Pension/Family Pension w.e.f. 01-07-2000 has risen to 41%.

2. Payment of Dearness relief involving a fraction of a rupee, shall be rounded off to the next higher rupee.

3. These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of U.P. Public Service Commission, employees of Local Bodies and Public Undertakings/Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State Fund under the Education/Technical Education Departments whose pension/family pension is at par with the pensioners of the State Government.

5. As per orders issued in O.M. no. A-1-252/X-10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant Generals Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under this O.M. shall be made by the paying authorities/Public Sector Banks.

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

6—महंगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबंध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विजय कुमार शर्मा,
सचिव।

सेवा में,

उ० प्र० शासन के प्रमुख सचिव, समस्त सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व में निर्धारित वितरण सूची में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण।

6. Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

VIJAY KUMAR SHARMA,
Secretary.

To,

Principal Secretaries to Government of Uttar Pradesh, all Secretaries heads of Department/Offices, all treasury Officers and other officers as per previous distribution list.

पी०एस०यू०पी०—ए० पी० 116 सा० वित्त—20.12.2000—(4793)—25,000—(कम्प्यूटर / आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या : सा.-3-1982/दस-301/2000
लखनऊ : दिनांक : 15 दिसम्बर, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

विषय : राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा०-3-1066/दस-301-2000,दिनांक 31 जुलाई, 2000 जिसके द्वारा महंगाई राहत की एक किस्त 01 जनवरी, 2000 से स्वीकृत की गई थी, के क्रम में राज्यपाल महोदय ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई के 306.33 (जैसा कि 01-01-1996 को थी) औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई अतिरिक्त वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31 जुलाई, 2000 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जुलाई, 2000 से महंगाई राहत की एक और किस्त 03 प्रतिशत (तीन प्रतिशत) की किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। तद्नुसार दिनांक 01-07-2000 से राहत की दर बढ़कर 41 प्रतिशत हो गयी है।

2-महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रुपयों में राउण्ड कर दिया जायेगा।

3-यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4-यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5-शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या ए-1-252/दस-10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

Government of Uttar Pradesh
Finance (General) Section-3

No. Sa.-3-1982/X-301/2000
Dated : Lucknow : 15 December, 2000

Office Memorandum

Subject :- Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners.

The undersigned is directed to refer to this office Memo no. Sa.-3-1066/X-301-2000, Dated July 31, 2000 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from January 1, 2000 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of Dearness Relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average Consumer Price Index 306.33 (as on 1.1.1996) at the rate of 3% (Three percent) with effect from July 1, 2000 in super-session of the rates mentioned in the O.M., dated July 31, 2000 referred to above. Accordingly the rate of Dearness Relief of Pension/Family Pension w.e.f. 01-07-2000 has risen to 41%.

2. Payment of Dearness relief involving a fraction of a rupee, shall be rounded off to the next higher rupee.

3. These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of U.P. Public Service Commission, employees of Local Bodies and Public Undertakings/Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State Fund under the Education/Technical Education Departments whose pension/family pension is at par with the pensioners of the State Government.

5. As per orders issued in O.M. no. A-1-252/X-10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant Generals Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under this O.M. shall be made by the paying authorities/Public Sector Banks.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

6—महंगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबंध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विजय कुमार शर्मा,
सचिव।

सेवा में,

उ० प्र० शासन के प्रमुख सचिव, समस्त सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व में निर्धारित वितरण सूची में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण।

6. Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

VIJAY KUMAR SHARMA,
Secretary.

To,

Principal Secretaries to Government of Uttar Pradesh, all Secretaries heads of Department/Offices, all treasury Officers and other officers as per previous distribution list.

पी०एस०यू०पी०—ए० पी० 116 सा० वित्त—20.12.2000—(4793)—25,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या : सा.-3-1982/दस-301/2000
लखनऊ : दिनांक : 15 दिसम्बर, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

विषय : राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा०-3-1066/दस-301-2000,दिनांक 31 जुलाई, 2000 जिसके द्वारा महंगाई राहत की एक किस्त 01 जनवरी, 2000 से स्वीकृत की गई थी, के क्रम में राज्यपाल महोदय ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई के 306.33 (जैसा कि 01-01-1996 को थी) औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई अतिरिक्त वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31 जुलाई, 2000 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जुलाई, 2000 से महंगाई राहत की एक और किस्त 03 प्रतिशत (तीन प्रतिशत) की किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। तद्नुसार दिनांक 01-07-2000 से राहत की दर बढ़कर 41 प्रतिशत हो गयी है।

2-महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रुपयों में राउण्ड कर दिया जायेगा।

3-यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4-यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5-शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या ए-1-252/दस-10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

Government of Uttar Pradesh
Finance (General) Section-3

No. Sa.-3-1982/X-301/2000
Dated : Lucknow : 15 December, 2000

Office Memorandum

Subject :- Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners.

The undersigned is directed to refer to this office Memo no. Sa.-3-1066/X-301-2000, Dated July 31, 2000 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from January 1, 2000 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of Dearness Relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average Consumer Price Index 306.33 (as on 1.1.1996) at the rate of 3% (Three percent) with effect from July 1, 2000 in super-session of the rates mentioned in the O.M., dated July 31, 2000 referred to above. Accordingly the rate of Dearness Relief of Pension/Family Pension w.e.f. 01-07-2000 has risen to 41%.

2. Payment of Dearness relief involving a fraction of a rupee, shall be rounded off to the next higher rupee.

3. These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of U.P. Public Service Commission, employees of Local Bodies and Public Undertakings/Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State Fund under the Education/Technical Education Departments whose pension/family pension is at par with the pensioners of the State Government.

5. As per orders issued in O.M. no. A-1-252/X-10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant Generals Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under this O.M. shall be made by the paying authorities/Public Sector Banks.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

6—महंगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबंध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विजय कुमार शर्मा,
सचिव।

सेवा में,

उ० प्र० शासन के प्रमुख सचिव, समस्त सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व में निर्धारित वितरण सूची में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण।

6. Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

VIJAY KUMAR SHARMA,
Secretary.

To,

Principal Secretaries to Government of Uttar Pradesh, all Secretaries heads of Department/Offices, all treasury Officers and other officers as per previous distribution list.

पी०एस०यू०पी०—ए० पी० 116 सा० वित्त—20.12.2000—(4793)—25,000—(कम्प्यूटर / आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या : सा.-3-1982/दस-301/2000
लखनऊ : दिनांक : 15 दिसम्बर, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

विषय : राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषय पर वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा०-3-1066/दस-301-2000, दिनांक 31 जुलाई, 2000 जिसके द्वारा महंगाई राहत की एक किस्त 01 जनवरी, 2000 से स्वीकृत की गई थी, के क्रम में राज्यपाल महोदय ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों के लिए महंगाई के 306.33 (जैसा कि 01-01-1996 को थी) औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई अतिरिक्त वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31 जुलाई, 2000 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01 जुलाई, 2000 से महंगाई राहत की एक और किस्त 03 प्रतिशत (तीन प्रतिशत) की किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। तदनुसार दिनांक 01-07-2000 से राहत की दर बढ़कर 41 प्रतिशत हो गयी है।

2-महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रुपये के गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रुपयों में राउण्ड कर दिया जायेगा।

3-यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे। उनके संबंध में संबंधित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4-यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5-शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या ए-1-252/दस-10(3)-81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान अधिकारियों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस कार्यालय ज्ञाप के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

Government of Uttar Pradesh
Finance (General) Section-3

No. Sa.-3-1982/X-301/2000
Dated : Lucknow : 15 December, 2000

Office Memorandum

Subject :- Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners.

The undersigned is directed to refer to this office Memo no. Sa.-3-1066/X-301-2000, Dated July 31, 2000 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from January 1, 2000 and to say that the Governor is pleased to revise the rates of Dearness Relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average Consumer Price Index 306.33 (as on 1.1.1996) at the rate of 3% (Three percent) with effect from July 1, 2000 in super-session of the rates mentioned in the O.M., dated July 31, 2000 referred to above. Accordingly the rate of Dearness Relief of Pension/Family Pension w.e.f. 01-07-2000 has risen to 41%.

2. Payment of Dearness relief involving a fraction of a rupee, shall be rounded off to the next higher rupee.

3. These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of U.P. Public Service Commission, employees of Local Bodies and Public Undertakings/Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State Fund under the Education/Technical Education Departments whose pension/family pension is at par with the pensioners of the State Government.

5. As per orders issued in O.M. no. A-1-252/X-10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant Generals Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment of dearness relief as admissible under this O.M. shall be made by the paying authorities/Public Sector Banks.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

6—महंगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में अन्य शर्तें एवं प्रतिबंध, जो इससे संबंधित पूर्व शासनादेशों में निर्धारित हैं, पूर्ववत् लागू रहेंगे।

विजय कुमार शर्मा,
सचिव।

सेवा में,

उ० प्र० शासन के प्रमुख सचिव, समस्त सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, कोषाधिकारी एवं पूर्व में निर्धारित वितरण सूची में उल्लिखित अन्य सभी अधिकारीगण।

6. Other terms and conditions regarding grant of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

VIJAY KUMAR SHARMA,
Secretary.

To,

Principal Secretaries to Government of Uttar Pradesh, all Secretaries heads of Department/Offices, all treasury Officers and other officers as per previous distribution list.

पी०एस०यू०पी०—ए० पी० 116 सा० वित्त—20.12.2000—(4793)—25,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या–वे0आ0–1–926 / दस–2000–13(एम) / 2000

प्रेषक,

श्री विजय कुमार शर्मा,
सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2) वित्त अधिकारी / कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) / शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद / लखनऊ।
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
(5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, 4–प्राग नारायण रोड, लखनऊ।
(6) समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
(7) निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 24 अक्टूबर, 2000

बोनस–तदर्थ बोनस :– राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल / दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 1999–2000 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान।

पठित : निम्नलिखित–

(1) शासनादेश संख्या–वे0आ0–1–740 / दस–37(एम) / 99, दिनांक 3 नवम्बर, 1999
(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, कार्यालय ज्ञापन संख्या–14(4) / संस्था समन्वय–1 / 99, दिनांक 28 सितम्बर, 2000।

उत्पादकता से जुड़ी किसी भी बोनस योजना के अन्तर्गत न आने वाले उपर्युक्त श्रेणी के कर्मचारियों के लिए बोनस की विस्तृत योजना के अभाव में उक्त शासनादेश दिनांक 3 नवम्बर, 1999 द्वारा राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं व स्थानीय निकायों के कर्मचारियों तथा कैजुअल / दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 1998–99 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस भुगतान के आदेश जारी किये गये थे।

2. भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपर्युक्त क्रम संख्या–2 पर उल्लिखित कार्यालय ज्ञापन दिनांक 28 सितम्बर, 2000 द्वारा वर्ष 1999–2000 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर तदर्थ बोनस की स्वीकृति के आदेश जारी किये गये हैं।

3. उपर्युक्त क्रम संख्या–1 पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 3 नवम्बर, 1999 के क्रम में राज्यपाल महोदय इस प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों तथा राज्य निधि से सहायता प्रापत शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के ऐसे कर्मचारियों जिनके वेतनमान का अधिकतम रू0 10,500 तक है, को वर्ष 1999–2000 के लिए तदर्थ बोनस के रूप में 30 दिन की परिलब्धियों की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं। इस प्रयोजन के लिए

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

एक माह में औसत दिनों की संख्या 30.4 के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2000 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियॉ आगणित की जायेंगी। तदर्थ बोनस का भुगतान निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा :–

(1) तदर्थ बोनस की उक्त सुविधा केवल उन अराजपत्रित कर्मचारियों, जिनके पद के पुनरीक्षित वेतनमान का अधिकतम रूपया 10,500 तक है, को ही अनुमन्य होगा। वेतनमान रू0 6500–10500 तक के पद पर कार्यरत ऐसे अराजपत्रित कर्मचारियों को, जिन्हें दिनांक 1.1.1996 को उनके पूर्ववर्ती वैयक्तिक प्रोन्नति/अगला वेतनमान का सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य हुआ है और उनकी प्रास्थिति (स्टेटस) में परिवर्तन नहीं हुआ है, को भी तदर्थ बोनस अनुमन्य होगा। ऐसे कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 1.1.1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में ही बने रहनें के लिए विकल्प दिया हो, के सम्बन्ध में पद के वेतनमान का अधिकतम रूपया 3500 तक माना जायेगा। परन्तु रू0 6500–10500 (पूर्ववर्ती रूपये 2000–3500) या इससे कम वेतनमान के राजपत्रित अधिकारियों को तदर्थ बोनस अनुमन्य नहीं होगा।

(2) उक्त सुविधा केवल उन कर्मचारियों को अनुमन्य होगी जो दिनांक 31 मार्च, 2000 को सेवा में थे और जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2000 को एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली थी।

(3) तदर्थ बोनस की अधिकतम देय धनराशि रू0 2500 प्रतिमाह की परिलब्धियॉ पाने वाले कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य राशि तक सीमित रहेगी अर्थात जिन कर्मचारियों की परिलब्धियॉ रू0 2500 से अधिक थी, उनके लिए तदर्थ बोनस का आगणन इस प्रकार किया जायेगा मानो उनकी परिलब्धियॉ रू0 2500 प्रतिमाह है।

(4) उपर्युक्त प्रयोजन हेतु परिलब्धियों का तात्पर्य मूल वेतन, वैयक्तिक वेतन, विशेष वेतन जैसाकि क्रमशः मूल नियम 9(21) (1), 9(23) तथा 9(25) में परिभाषित है, प्रतिनियुक्ति भत्ता और मंहगाई भत्ता से होगा। परन्तु ऐसे कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 1.1.1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में ही बने रहने के लिए विकल्प दिया हो, अथवा जिन कर्मचारियों का दिनांक 1.1.1996 से वेतनमान पुनरीक्षण नहीं हुआ है, के लिए शासनादेश संख्या–वे0आ0–1–2043/दस–93–39(एम)/93, दिनांक 14 अक्टूबर, 1993 तथा शासनादेश संख्या–वे0आ0–1–624/दस–39(एम)/93 टी0सी0, दिनांक 16 अगस्त, 1995 के अनुसार अन्तरिम सहायता क्रमशः रू0 100/– प्रतिमाह की प्रथम किश्त तथा मूल वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु कम से कम रू0 100/– प्रतिमाह की द्वितीय किश्त की धनराशि भी परिलब्धियों में जोड़ी जायेगी।

(5) मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता, पर्वतीय विकास भत्ता, परियोजना भत्ता, विशेष भत्ता, शिक्षा भत्ता आदि को परिलब्धियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। शासनादेश संख्या–वे0आ0–1–774/दस–39(एम)/93 टी0सी0, दिनांक 27 सितम्बर, 1996 द्वारा स्वीकृत "अन्तरिम सहायता" की धनराशि को भी परिलब्धियों में सम्मिलित नहीं किया जोयगा।

(6) रू0 2500 प्रतिमाह की परिलब्धियों पर दिनांक 31 मार्च, 2000 को ग्राह्य परिलब्धियों के अनुसार 30 दिन की परिलब्धियॉ तदर्थ बोनस के रूप में रू0 2467/– होंगी (रू0 2500X30 /30.4 = 2467.10)।

(7) ऐसे कर्मचारी जिनके विरूद्ध वर्ष 1999–2000 में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी हो या जिनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी होने के बाद वर्ष 1999–2000 में कोई दण्ड दिया गया हो, उन्हें तदर्थ बोनस देय नहीं होगा।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

(8) इन आदेशों द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस की आगणित धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात् 50 पैसे या उससे अधिक को एक रूपया मानकर और उससे कम को शामिल न करते हुए किया जायेगा।

4. कैजुअल/दैनिक वेतन भागी कर्मचारियों को जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2000 को तीन वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों, को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारियों को भी जिन्होंने दिनांक 31 मार्च, 2000 तक एक वर्ष निरन्तर सेवा पूरी नहीं की है परन्तु उक्त तिथि तक कैजुअल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में (दोनों अवधियों को सम्मिलित करते हुए) तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहें हों, यह सुविधा अनुमन्य होगी। ऐसे मामलें में सम्बन्धित कर्मचारी के लिए मासिक परिलब्धियॉ रू0 1200 प्रतिमाह मानी जायेंगी और इस प्रकार तदर्थ बोनस की देय धनराशि रू0 1200X30/30.4 = 1184.21 अर्थात 1184/– (पूर्णांकित) होंगी। परन्तु ऐसे कर्मचारी जिनकी वास्तविक परिलब्धियॉ रू0 1200 प्रतिमाह से कम हैं उन्हें तदर्थ बोनस की धनराशि उनकी वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर आंकलित की जायेंगी।

5. सभी श्रेणी के कर्मचारियों, जिन्हें उक्त सुविधा अनुमन्य है, को तदर्थ बोनस की अनुमन्य धनराशि का 50 प्रतिशत भाग सम्बन्धित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत धनराशि का नकद भुगतान दो बराबर किस्तों में माह दिसम्बर, 2000 तथा जनवरी, 2001 में किया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी भविष्य निधि खाते का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी। जो कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 मार्च, 2000 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा दिनांक 31 मई, 2001 तक सेवानिवृत्त होने वाले हो उनको अनुमन्य तदर्थ बोनस की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा। तदर्थ बोनस की धनराशि के आहरण की प्रकिया इस शासनादेश के संलग्नक के अनुसार होगी।

6. बोनस के भुगतान से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–वे0आ0–1–120/दस–1(एम)/84, दिनांक 18 जनवरी, 1984 के प्रस्तर–1(7), 5 तथा 6 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्ध इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत तदर्थ बोनस के साथ भी यथावत् लागू रहेंगी।

7. उक्त स्वीकृत तदर्थ बोनस को आय–व्ययक के उसी लेखा शीर्षक के नामे डाला जायेगा जिससे सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों को वहन किया जाता है तथा उसे मानक मद "वेतन" के अन्तर्गत पुस्तांकित किया जायेगा।

भवदीय,

विजय कुमार शर्मा
सचिव, वित्त।

संख्या–वे0आ0–1–926(1)/दस–2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) I एवं II तथा (आडिट) एवं I एवं II, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश/वेतन एवं लेखाधिकारी, यू0पी0 भवन, नई दिल्ली।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

(3) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा न0–261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली–110 001।

(4) सचिव, राज्यपाल महोदय, लखनऊ।

(5) सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(6) रजिस्ट्रार, हाई कोर्ट, इलाहाबाद।

(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–6/11, वित्त (सामान्य) अनुभाग–1/2, उत्तरांचल विकास अनुभाग–2, चिकित्सा अनुभाग–2, नगर विकास अनुभाग–3, कृषि अनुभाग–8, पंचायती राज अनुभाग–3, आवास अनुभाग–2, सार्वजनिक उद्यम अनुभाग–1।

(8) शिक्षा अनुभाग–3, 5, 6, 8, 11, 13 और 15 प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1/2, नगर विकास अनुभाग–1 तथा पंचायती राज अनुभाग–1 (अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

(9) सचिवालय के अन्य समस्त अनुभाग।

(10) रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर।

(11) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(12) निदेशक, पंचायती राज (लेखा), उत्तर प्रदेश (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित जो समस्त वित्तीय परामर्शदाता, जिला परिषद उत्तर प्रदेश को भेजी जायेंगी)।

आज्ञा से,

(आर0 के0 वर्मा)
संयुक्त सचिव, वित्त (वेतन आयोग)

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

शासनादेश संख्या–वे0आ0–1–926 / दस–2000–13(एम) / दस–2000, दिनांक 24 अक्टूबर, 2000 का संलग्नक

(1) तदर्थ बोनस की अनुमन्य धनराशि के आहरण हेतु बिल माह नवम्बर, 2000 के वेतन बिल बनाये जाने के समय ही बनाकर कोषागार में इस प्रकार प्रस्तुत किया जाये कि बोनस की नकद भुगतान की जाने वाली धनराशि का भुगतान दो बराबर किश्तों में (1) दिसम्बर, 2000 तथा (2) जनवरी, 2001 को अथवा उसके बाद हो जाये।

(2) तदर्थ बोनस की धनराशि के आहरण हेतु बिल में अनुमन्य धनराशि, जी0पी0एफ0 में जमा की जाने वाली 50 प्रतिशत धनराशि तथा नकद भुगतान की जाने वाली शेष 50 प्रतिशत धनराशि को दो बराबर किश्तों में अलग अलग कॉलम में दर्शाया जाय। उदाहरण के लिए किसी कर्मचारी को अनुमन्य तदर्थ बोनस की धनराशि रू0 2467 के आहरण एवं भुगतान को बिल में निम्नवत दर्शाया जाना होगा :–

नाम / पदनाम	तदर्थ बोनस की अनुमन्य धनराशि	जी0पी0एफ0 में जमा की जाने वाली धनराशि	जी0पी0एफ0 एकाउन्ट नम्बर	नकद भुगतान की जाने वाली धनराशि	
				(क)	(ख)
श्री	2467	1233		617	617
योग					

(3) ऐसे मामलों में जिनमें कर्मचारी जी0पी0एफ0 का सदस्य न हो और धनराशि एन0एस0सी0 के रूप में दी जानी हो अथवा उन मामलों में जिनमें अनुमन्य तदर्थ बोनस की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जाना हो उसे सम्बन्धित कर्मचारी के समक्ष स्तम्भ (क) में दर्शाया जाय।

(4) कोषागार द्वारा नकद भुगतान की जाने वाली धनराशि के लिए उपरोक्तानुसार बिल में कॉलम (क) तथा (ख) के अन्तर्गत अंकित धनराशि के दो चेक क्रमशः "भुगतान दिनांक 1.12.2000 के पूर्व देय नहीं" तथा "भुगतान दिनांक 1.1.2001 के पूर्व देय नहीं" अंकन के साथ निर्गत किये जायेंगे।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 86 सा० वित्त—25-10-2000—(2232)—2000—8000—(कम्प्यूटर /आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या : जी–1–373/दस–99–205-99

प्रेषक,

मु० हलीम खाँ,
सचिव,
उ० प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 11 जून, 1999

विषय :—वेतन समिति, 1998 की संस्तुतियों पर लिये गये शासन के निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–1

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–जी–1-900/दस–263-88, दिनांक 24 जुलाई, 1992 के अनुसार नगरों/नगरीय क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को विभिन्न वेतन सीमाओं में विभिन्न दरों पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य कराया गया था तथा शासनादेश संख्या–जी–1–60/दस–95–219/87, दिनांक 13 जनवरी, 1995 एवं संख्या–जी–1–91/दस–95–219/87, दिनांक 1 जून, 1995 द्वारा भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ ऐसे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी यथा भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा के अधिकारी जिन्हें लखनऊ में सरकारी आवास नहीं मिल पाता है अथवा वे अपने निजी आवास में निवास करते हैं, को प्रतिपूर्ति आवासीय भत्ता अनुमन्य कराया गया था।

2—वेतन समिति, 1998 द्वारा इस सम्बन्ध में की गई संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार निम्नांकित तालिकाओं में उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों में विभाजित नगरों/क्षेत्रों में कार्यरत ऐसे समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों, जो अधिष्ठान आय-व्ययक से दिनांक 1 जनवरी, 1996 से लागू नवीन वेतनमानों में वेतन आहरित कर रहे हैं, को विभिन्न वेतन सीमाओं में उनके सम्मुख उल्लिखित दरों पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

मकान किराया भत्ता की धनराशि से सम्बन्धित तालिका

क्रम-सं०	वेतन सीमा (रु०)	श्रेणी–ए, बी–1 तथा बी–2 के नगरों में	श्रेणी–सी के नगरों में	अवर्गीकृत नगरीय श्रेणी
1	2	3	4	5
1	2550–3049	380	190	125
2	3050–3799	455	230	150
3	3800–4549	570	285	190
4	4550–5299	680	340	225
5	5300–6049	795	395	265
6	6050–6799	905	455	300
7	6800–7549	1020	510	340
8	7550–8299	1130	565	375
9	8300–9049	1245	620	415
10	9050–9799	1355	680	450

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

1	2	3	4	5
11	9800–10799	1470	735	490
12	10800–11799	1620	810	540
13	11800–12799	1770	885	590
14	12800–13799	1920	960	640
15	13800–14799	2070	1035	690
16	14800–15799	2220	1110	740
17	15800–16799	2370	1185	790
18	16800–17799	2520	1260	840
19	17800–18799	2670	1335	890
20	18800–19799	2820	1410	940
21	19800–21299	2970	1485	990
22	21300–22799	3195	1595	1065
23	22800–24299	3420	1710	1140
24	24300–25799	3645	1820	1215
25	25800 तथा अधिक	3870	1935	1290

श्रेणी ए, बी–1, बी–2, "सी" तथा अवर्गीकृत श्रेणी में आने वाले नगरों/क्षेत्रों से सम्बन्धित तालिका

श्रेणी	नगर/क्षेत्र
ए, बी–1, बी–2	लखनऊ (शहरी क्षेत्र), कानपुर (शहरी क्षेत्र), मेरठ (शहरी क्षेत्र), बरेली (शहरी क्षेत्र), इलाहाबाद (शहरी क्षेत्र), वाराणसी (शहरी क्षेत्र), आगरा (शहरी क्षेत्र), गोरखपुर (शहरी क्षेत्र)।
'सी'	देहरादून (शहरी क्षेत्र), काशीपुर, रूद्रपुर, हल्द्वानी-कम-काठ-गोदाम, नजीबाबाद, नगीना, चाँदपुर, बिजनौर (शहरी क्षेत्र), चन्दौसी, सम्भल, नोएडा, अमरोहा, रामपुर, देवबन्द, सहारनपुर, रूड़की (शहरी क्षेत्र), हरिद्वार (शहरी क्षेत्र), शामली, कैराना, मुजफ्फरनगर, (शहरी क्षेत्र), बड़ौत, मवाना, पिल्खुआ, हापुड़, मोदीनगर (शहरी क्षेत्र), खुर्जा, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर, हाथरस, मथुरा, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद (शहरी क्षेत्र), कासगंज, एटा, मैनपुरी, साहस्वान, बदायूँ, पीलीभीत, उन्नाव, शाहजहाँपुर (शहरी क्षेत्र), लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, शाहबाद, गंगाघाट (जिला उन्नाव), रायबरेली, कन्नौज, उरई, फर्रुखाबाद-कम-फतेहगढ़ (शहरी क्षेत्र), औरैया, इटावा, झांसी (शहरी क्षेत्र), ललितपुर, महोबा, बांदा, फतेहपुर, बेला-प्रतापगढ़, बहराइच, बलरामपुर, गोण्डा, नवाबगंज, टाण्डा, फैजाबाद (शहरी क्षेत्र), सुल्तानपुर, बस्ती, देवरिया, मऊनाथभंजन, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, भदोही, मुगलसराय (शहरी क्षेत्र), मिर्जापुर कम विन्ध्यांचल, मुरादाबाद (शहरी क्षेत्र), गाजियाबाद (शहरी क्षेत्र), अलीगढ़।
अवर्गीकृत	उपर्युक्त श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य समस्त नगरीय क्षेत्र

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

3—वेतन का तात्पर्य उस वेतन से है जैसाकि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–2 भाग 2—4 के मूल नियम 9 (21) (1) में परिभाषित है। ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने दिनांक 1–1–96 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों के बजाय पूर्ववर्ती वेतनमान में ही बने रहने के लिए विकल्प दिया हो, के लिए वेतन का तात्पर्य मूल वेतन के अतिरिक्त दिनांक 1–1–96 को शासनादेश संख्या वे० आ०–1–297/दस–48 (एम)/88, दिनांक 21–5–96 के अनुसार देय महंगाई भत्ता और शासनादेश संख्या वे० आ०–1–2043/दस–93–39 (एम)/93, दिनांक 14–10–93 तथा शासनादेश संख्या वे० आ०–1–624/दस–39 (एम)/93 टी० सी०, दिनांक 16–8–95 के अनुसार देय अन्तरिम सहायता क्रमशः रु० 100.00 प्रतिमाह की प्रथम किश्त तथा वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु कम से कम रु० 100.00 प्रतिमाह की द्वितीय किश्त की राशि का योग होगा।

4—सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों (जिला पंचायतों/जल संस्थानों एवं विकास प्राधिकरणों सहित) तथा सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में मकान किराया भत्ता की उपरोक्त दरें स्वतः लागू नहीं होगी। उनके सम्बन्ध में उपरोक्त दरें मार्गदर्शी हैं। सम्बन्धित संस्थायें अपनी वित्तीय स्थिति एवं भुगतान क्षमता को देखते हुए निर्णय लेने में सक्षम हैं। इन संस्थाओं को संशोधित दरों के अधीन रहते हुए इस बात की स्वतंत्रता होगी कि संशोधित दरें किस तिथि से लागू की जायें।

5—भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ-साथ अन्य अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी यथा भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा के अधिकारियों जिन्हें लखनऊ में सरकारी आवास नहीं मिल पाता है अथवा अपने निजी आवास में रहते हैं, को शासनादेश संख्या जी–1–60/दस–95–219–87, दिनांक 13 जनवरी, 1995 एवं शासनादेश संख्या जी–1–91/दस–95–219–87, दिनांक 1 जून, 1995 के अनुसार उन्हें अनुमन्य आवासीय भत्ता के अतिरिक्त अनुमन्य भत्ते की धनराशि के दो गुना प्रतिपूर्ति आवासीय भत्ता स्वीकृत किया गया था। वेतन समिति 1998 की संस्तुतियों पर शासन के निर्णयानुसार राज्य सरकार के अधीन कार्य करने वाले सभी वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों जिन्हें मकान किराया भत्ता वर्तमान में दिया जा रहा है तथा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को यह भत्ता समान रूप से दिया जाये। अतः अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को भी मकान किराया भत्ता की धनराशि से सम्बन्धित तालिका के अनुसार ही मकान किराया भत्ता अनुमन्य होगा।

6—ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों, जो उत्तर प्रदेश के बाहर नियुक्त हैं को मकान किराया भत्ता उसी दर पर अनुमन्य होगा जो उस नगर में नियुक्त भारत सरकार के कर्मचारियों को उतने वेतन पर देय हो।

7—संशोधित मकान किराया भत्ता ऐसे समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जिन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है। यह भत्ता दोनों प्रकार के सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जो किराये के मकान में रहते हैं अथवा अपने निजी आवास में निवास करते हैं।

8—ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को ग्रामीण आवास भत्ता के सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

9—उपरोक्त शासनादेश संख्या जी–1–60/दस–95–219/87, दिनांक 13 जनवरी, 1995 एवं जी–1–91/दस–95–219/87, दिनांक 1 जून, 1995, दिनांक 1 जून, 1999 से निष्प्रभावी समझे जायें। शासनादेश संख्या जी–1–900/दस–263/88, दिनांक 24 जुलाई, 1992 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

10—यह आदेश दिनांक 1 जून, 1999 से प्रभावी होंगे।

भवदीय,

मु० हलीम खाँ,

सचिव, वित्त विभाग।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या : जी–1–373(1)/दस–99–205-99, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश–1, 2, 3, इलाहाबाद/लखनऊ।

2—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

3—वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1।

4—वित्त (पद माप दण्ड निर्धारण) अनुभाग।

5—राज्यपाल सचिवालय।

6—विधान सभा/परिषद् सचिवालय।

7—निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 28 सा० वित्त –14 6 99 (383)–13,000 कम्प्यूटर/आफसेट।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या जी–1–526/दस–205–99

प्रेषक,

श्री सुशील चन्द्र त्रिपाठी,

प्रमुख सचिव वित्त,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) शिक्षा निदेशक,
उच्च शिक्षा, माध्यमिक एवं बेसिक,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।

(2) निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–1

लखनऊ: दिनांक 22 जुलाई, 1999

विषय :–*वेतन समिति, 1997 की संस्तुतियों पर लिये गये शासन के निर्णय के अनुसार सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता की संशोधित दरों* की अनुमन्यता।

महोदय,

वेतन समिति 1997 द्वारा की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या जी–1–373/दस–99–205–99, दिनांक 11 जून, 1999 के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में विभाजित नगरों में कार्यरत ऐसे समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को जो अधिष्ठान आय-व्ययक से दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू नवीन वेतनमानों में वेतन आहरित कर रहे हैं, विभिन्न वेतन सीमाओं में संशोधित दरों पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य कराया गया था।

2—इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के उन शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, जिन्हें पूर्व में मकान किराया भत्ता अनुमन्य था, को शासनादेश संख्या जी–1–373/दस–99–205–99, दिनांक 11 जून, 1999 में उल्लिखित तालिकाओं के अनुसार विभिन्न वेतन सीमाओं के अन्तर्गत, उक्त शासनादेश में इंगित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन 01 जनवरी, 1996 से लागू नवीन वेतनमानों में संशोधित दरों पर दिनांक 01 जून, 1999 से मकान किराया भत्ता अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

भवदीय,
सुशील चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

संख्या जी–1–526 (1)/दस–99-205-99, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) प्रमुख सचिव/सचिव, शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन।
(2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, 1,2,3, इलाहाबाद/लखनऊ।
(3) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(4) वित्त (पद माप दण्ड निर्धारण) अनुभाग।
(5) राज्यपाल सचिवालय।
(6) विधान सभा/परिषद् सचिवालय।
(7) निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(8) समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 63 सा० वित्त—7-8-99—(899)—1999—2,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या जी-1-510/दस-99-205/99

प्रेषक,

मु0 हलीम खां,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक 6 अगस्त, 1999

विषय:—वेतन समिति, 1998 की संस्तुतियों पर लिये गये शासन के निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग-1

उपर्युक्त विषयक वेतन समिति, 1998 की संस्तुतियों पर शासन के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या जी-1-373/दस-99-205-99, दिनांक 11 जून, 1999 एवं शासनादेश संख्या जी-1-526/दस-99-205-99, दिनांक 22 जुलाई, 1999 एवं शासनादेश संख्या जी-1-439/दस-99-205-99, दिनांक 30 जुलाई, 1999 के अनुसार उक्त शासनादेश में उल्लिखित तालिकाओं में विभिन्न श्रेणियों में विभाजित नगरों में कार्यरत क्रमश: समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों जो कि अधिष्ठान आय-व्ययक से दिनांक 1 जनवरी, 1996 से लागू नवीन वेतनमानों में वेतन आहरित कर रहे हैं, को संशोधित दरों पर दिनांक 1 जून, 1999 से मकान किराया भत्ता अनुमन्य कराया गया है।

2—इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश संख्या जी-1-373/दस-99-205-99, दिनांक 11 जून, 1999 में मकान किराया भत्ता की धनराशि से सम्बन्धित तालिका में श्रेणीवार इंगित मकान किराया भत्ता की धनराशि यदि किसी सरकारी कर्मचारी तथा सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, चाहें वह नगरीय क्षेत्र में सेवारत हो अथवा ग्रामीण क्षेत्र में, के मामले में उनके द्वारा पूर्व में आहरित धनराशि से कम हो रही हो तो उन्हें पूर्व देय धनराशि ही दिनांक 1 जून, 1999 से अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3—उपरोक्त शासनादेश संख्या जी-1-373/दस-99-205/99, दिनांक 11 जून, 1999 एवं शासनादेश संख्या जी 1-526/दस-99-205-99, दिनांक 22 जुलाई, 1999, शासनादेश संख्या जी 1-439/दस-99-205-99, दिनांक 30 जुलाई, 1999 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। शेष शर्तें जो कि उक्त शासनादेश में इंगित हैं; यथावत् रहेंगी।

4—उपरोक्त आदेश दिनांक 1 जून, 1999 से प्रभावी होंगे।

भवदीय,
मु0 हलीम खां,
सचिव।

संख्या जी 1-510 (1)/दस-99-205/99, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश 1, 2, 3, इलाहाबाद/लखनऊ।
(2) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(3) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग।
(4) वित्त (पद माप दण्ड निर्धारण) अनुभाग।
(5) राज्यपाल सचिवालय।
(6) विधान सभा/परिषद् सचिवालय।
(7) निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध एवं शोध संस्थान, उ0 प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 68 सा0 वित्त-23 8-99-(966)-1999—8000 (मैक0)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या जी–1–889/दस–99–205–99

प्रेषक,

श्री वी० के० शर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक 6 दिसम्बर, 1999

विषय :–मकान किराया भत्ता की संशोधित दरों की अनुमन्यता।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–1

वेतन समिति, 1998 की संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या जी–1–373/दस–99–205–99, दिनांक 11 जून, 1999 में इंगित तालिकाओं के अनुसार नगरों/नगरीय क्षेत्रों को "ए", "बी–1", "बी–2", "सी" एवं अवर्गीकृत श्रेणी में विभाजित करते हुए वहां कार्यरत ऐसे समस्त पूर्ण कालिक सरकारी कर्मचारियों, जो अधिष्ठान आय-व्ययक से दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू नवीन वेतनमानों में वेतन आहरित कर रहे हैं, को विभिन्न वेतन सीमाओं में संशोधित मकान किराया भत्ता दिनांक 1 जून, 1999 से अनुमन्य कराया गया है।

2—इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त उत्तरांचल स्थित हिल स्टेशन अल्मोड़ा, भवाली, चकराता, मुक्तेश्वर, मंसूरी, नैनीताल, पिथौरागढ़, टिहरी एवं पौड़ी गढ़वाल शहरी क्षेत्रों को "सी" श्रेणी में, नोएडा क्षेत्र (जनपद गौतमबुद्ध नगर) एवं गाजियाबाद शहरी क्षेत्रों को "ए" श्रेणी में रखते हुए उपर्युक्त अंकित शासनादेश संख्या जी–1–373/दस–99–205–99, दिनांक 11 जून, 1999 में इंगित मकान किराया भत्ता की धनराशि से संबंधित तालिका के अनुसार मकान किराया भत्ता की संशोधित दरें अनुमन्य कराने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3—उपरोक्त व्यवस्था सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के उन शिक्षकों/शिक्षणेतर कर्मचारियों पर भी लागू होंगी जिन्हें पूर्व में मकान किराया भत्ता अनुमन्य था।

4—शासनादेश संख्या जी–1-373/दस–99–200-99, दिनांक 11 जून, 1999 तथा शासनादेश संख्या जी–1–526/दस–295–99, दिनांक 22 जुलाई, 1999 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें जो उक्त शासनादेश में इंगित हैं, यथावत रहेगी।

5—उपरोक्त आदेश दिनांक 1 जून, 1999 से प्रभावी होंगे।

भवदीय,
वी० के० शर्मा,
सचिव।

संख्या जी–1–889(1)/दस–99–205-99, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश–1,2,3 इलाहाबाद/लखनऊ।
2—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
3—वित्त (पद माप दण्ड निर्धारण) अनुभाग।
4—राज्यपाल सचिवालय।
5—विधान सभा/परिषद् सचिवालय।
6—निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7—निदेशक, उच्च शिक्षा, माध्यमिक एवं बेसिक, उ० प्र० इलाहाबाद/लखनऊ।
8—निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ० प्र० कानपुर।
9—समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 124 सा०वित्त—30-12-99—(1709)—6,000—कम्प्यूटर/आफसेट।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या जी–1–439/दस–99–205-99

प्रेषक,

श्री सुशील चन्द्र त्रिपाठी,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–1

लखनऊ: दिनांक 30 जुलाई, 1999

विषय :–वेतन समिति, 1998 के सातवें प्रतिवेदन पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्तों की अनुमन्यता विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या जी–1–932/दस–267/88, दिनांक 24 जुलाई, 1992 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को विभिन्न वेतन सीमाओं के अन्तर्गत विभिन्न दरों पर ग्रामीण आवास भत्ता अनुमन्य कराया गया था। शासनादेश संख्या जी–1–373/दस–99–205/99, दिनांक 11 जून, 1999 के अनुसार नगरों/नगरीय क्षेत्रों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को उपरोक्त शासनादेश में अंकित मकान किराया भत्ता की धनराशि से सम्बन्धित तालिका में उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों में विभाजित नगरों/क्षेत्रों में कार्यरत ऐसे समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों, जो अधिष्ठान आय-व्ययक से दिनांक 1 जनवरी, 1996 से लागू नवीन वेतनमानों में वेतन आहरित कर रहे हैं, को विभिन्न वेतन सीमाओं में उनके सम्मुख उल्लिखित दरों पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य कराया गया था तथा यह इंगित किया गया था कि ग्रामीण आवास भत्ता के सम्बन्ध में अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

2—वेतन समिति, 1998 द्वारा की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात ऐसे समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को दिनांक 1 जून, 1999 से ग्रामीण आवास भत्ता मिलना समाप्त हो जायेगा तथा उक्त दिनांक से उन्हें ग्रामीण आवास भत्ता के स्थान पर मकान किराया भत्ता उन दरों पर अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जिनका उल्लेख उक्त शासनादेश दिनांक 11 जून, 1999 के प्रस्तर–2 में दी गयी मकान किराया भत्ता की धनराशि से सम्बन्धित तालिका की अवर्गीकृत नगरीय श्रेणी में किया गया है।

3—सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शासनादेश संख्या जी–1–526/दस–205/99, दिनांक 22 जुलाई, 1999 द्वारा दिनांक 1 जून, 1999 से संशोधित दरों पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य कराया गया था। इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में तैनात शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी को भी उपर्युक्त प्रस्तर–2 के अनुसार संशोधित दरों पर मकान किराया भत्ता अनुमन्य होगा।

4—वेतन का तात्पर्य उस वेतन से है जैसा कि वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–2, भाग–2–4 के मूल नियम 9 (21) (1) में परिभाषित किया गया है।

5—उपरोक्त शासनादेश संख्या जी–1–932/दस–267/88, दिनांक 24 जुलाई, 1992 एवं शासनादेश संख्या जी–1–373/दस–99–205/99, दिनांक 11 जून, 1999 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये तथा इसके अतिरिक्त अन्य शर्तें जैसी कि उक्त शासनादेशों में इंगित हैं, यथावत् रहेंगी।

6—यह आदेश दिनांक 1 जून, 1999 से प्रभावी होंगे।

भवदीय,

सुशील चन्द्र त्रिपाठी,

प्रमुख सचिव।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या जी–1–439 (1)/दस–99-205/99, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, 1,2,3, इलाहाबाद/लखनऊ।

(2) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(3) वित्त (पद माप दण्ड निर्धारण) अनुभाग।

(4) राज्यपाल सचिवालय।

(5) विधान सभा/परिषद् सचिवालय।

(6) निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(7) समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 65 सा० वित्त—7-8-99—(901)—1999—10,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या : जी-1-239/दस2000-205-99

प्रेषक,

श्री विजय कुमार शर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊ : दिनांक 25 फरवरी, 2000

विषय :—मकान किराया भत्ता की अनुमन्यता।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग-1

शासनादेश संख्या जी-1-1795/दस-81, 209-81; दिनांक 15 दिसम्बर, 1981 में यह प्राविधान है कि मकान किराया भत्ता संबंधित नगर की अर्हकारी सीमा के बाहर 8 किलोमीटर की दूरी तक स्थित कार्यालयों में कार्यरत सरकारी सेवकों को देय होगा चाहें संबंधित सरकारी सेवक कहीं भी निवास करता हो। 8 किलोमीटर की दूरी सबसे कम दूरी वाले मार्ग से नापी जायेगी और इसकी पुष्टि पूर्व की भांति जिलाधिकारी से करानी आवश्यक होगी। शासनादेश संख्या जी-1-1887/दस-209-81; दिनांक 29 अक्टूबर, 1984 में यह भी व्यवस्था की गयी थी कि मकान किराया भत्ता प्रख्यापित नगरपालिकाओं से संलग्न स्थानीय निकायों की पूरी सीमा में पूर्ववत मिलता रहेगा, किन्तु उक्त संलग्न स्थानीय निकायों के बाहर स्थित कार्यालयों से दूरी मकान किराया भत्ता के लिये मूल नगरपालिका की सीमा से ही नापी जायेगी, संलग्न स्थानीय निकाय की सीमा से नहीं।

2—इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त व्यवस्था शासनादेश संख्या : जी-1-373/दस-99-205-99, दिनांक 11 जून, 1999 एवं शासनादेश संख्या : जी-1-526/दस-205-99; दिनांक 22 जुलाई, 1999 द्वारा संशोधित मकान किराया भत्ता की दरों के संदर्भ में भी लागू रहेगी।

भवदीय,
विजय कुमार शर्मा,
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या : जी-1-239 (1)/दस-2000--205-99

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) महालेखाकार- 1, 2, 3 उत्तर प्रदेश, लखनऊ/इलाहाबाद।
(2) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(3) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
(4) वित्त (पद माप दण्ड निर्धारण) अनुभाग।
(5) राज्यपाल सचिवालय।
(6) विधान सभा/परिषद् सचिवालय।
(7) शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा, माध्यमिक एवं बेसिक, उ० प्र० इलाहाबाद/लखनऊ।
(8) निदेशक प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
(9) निदेशक वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(10) समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० 190 सा० वित्त--18-3-2000--(2406)-2000-6000 (मैक)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा-3-1029/दस-308/97

प्रेषक,

सुशील चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 13 जून, 2000

विषय:-कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-3-1062/दस-308/97, दिनांक 24-8-1998एवं शासनादेश संख्या सा-3-384/दस-300/99, दिनांक 13-4-2000एवं शासनादेश संख्या सा-3-697/दस-308/97, दिनांक 5-5-2000के संदर्भ में स्पष्टीकरण।

महोदय,

दिनांक 1-1-1986 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के संशोधन के संदर्भ में कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-3-1062/दस-308/97, दिनांक 24-8-1998 निर्गत किया गया है। शासनादेश संख्यासा-3-384/दस-300/99, दिनांक 13-4-2000 में यह व्यवस्था की गयी है कि दिनांक 1-1-96 से सभी पेंशनरों की पेंशन की धनराशि दिनांक 1-1-1996 से पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 50 % से कम नही होगी, बशर्ते कि सेवा निवृति की तिथि को कर्मचारी ने 33 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूरी कर ली हो। इसी प्रकार से दिनांक 1-1-1986से 31-12-1995 के मध्य सेवानिवृत/दिवंगत कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशनकी धनराशि, अन्तिम आहरित वेतन के 30% से कम नही होगी। कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-3-697/दस-309/97, दिनांक 5-5-2000 में यह व्यवस्था की गयी है कि जो कर्मचारी दिनांक 1-1-1996 को अथवा उसके उपरान्त परन्तु दिनांक 30-9-1996 के पूर्व सेवा निवृत हुए है और पुनरीक्षित वेतनमान को चुनने का विकल्प दिया है, परन्तु 10 माह का औसत वेतन प्राप्त नही कर सके है, उन्हे दिनांक 1-1-1996 के पूर्व अवधि में आहरित वेतन के 40 % का वेटेज दे दिया जाए।

2. उपरोक्त निर्गत कार्यालय-ज्ञापों एवं शासनादेश के संदर्भ में शासन को विभिन्न क्षेत्रों से कतिपय जिज्ञासा/प्रस्ताव संदर्भित हुए जिनपर

----2/

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

सम्यक विचारोपरान्त मुझे निम्नलिखित स्पष्टीकरण निर्गत करने के निदेश हुए है:-

1- कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1062/दस-308/97, दिनॉक 24-8-1998 के अधीन प्रार्थना पत्र देने हेतु।

- - - - - - - - - - - - - -

उपरोक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 24-8-1998 के अधीन दिनॉक 1-1-1986 के पूर्व के पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों द्वारा अपनी पेंशन/ पारिवारिक पेंशन के पुनर्निर्धारण हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए थे जिन्हें कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष के माध्यम से महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को प्रेषित किया जाना था। शासन स्तर पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार महालेखाकार उत्तर प्रदेश द्वारा बहुत ही कम मामलों में पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण करके संशोधित पी0पी0ओ0 निर्गत किए गए है और बहुत बड़ी संख्या में पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण अभी भी नहीं हो सका है। जिन पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण अभी तक नहीं हो पाया है, उन पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शासनादेश संख्या-सा-3-384/दस-300/99, दिनॉक 13-4-2000 के साथ संलग्न अनुबन्ध-1 एवं 2 (जो भी लागू हो) पर अपना आवेदन पत्र भरकर उसमें की गयी अपेक्षानुसार प्रेषित करने का कष्ट करें। विभागाध्यक्ष/ कोषाधिकारी को ऐसा प्रपत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त, संबंधित पेंशनर पूर्व में भरे गए प्रपत्र के अनुसार कार्यवाही करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। ऐसे प्रपत्र शासनादेश निर्गत होने के 180 दिन के भीतर प्रस्तुत कर दिए जाए। यदि कोषाधिकारी द्वारा शासनादेश दिनॉक 13-4-2000 के अनुसार पेंशन पुनरीक्षित किये जाने के 06माह के भीतर महालेखाकार से शासनादेश दिनॉक 24-8-98 के परिप्रेक्ष्य में पुनरीक्षित प्राधिकार पत्र आ जाता है तो कोषाधिकारी द्वारा शासनादेश 13-4-2000 की न्यूनतम सीमा का संरक्षण किया जाना (पूर्ण सेवा पेंशन, वेतनमान के न्यूनतम के 50% तथा कम सेवा होने पर पेंशन आनुपातिक रूप से कम एवं पारिवारिक पेंशन नये वेतनमान के न्यूनतम का 30% (सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।

....3/-

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

2- शासनादेश संख्या-सा-3-384/दस-300/99, दिनॉक 13-4-2000 के संदर्भ में।

- - - - -

शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि कुछ विभागाध्यक्षों के यहाँ उक्त शासनादेश दिनॉक 13-4-2000 का लाभ केवल 1-1-86 से 31-12-1995 के मध्य सेवानिवृत/ मृत सरकारी सेवकों की पारिवारिक पेंशन केपुनरीक्षण हेतु ही [illegible] जा रहा है और अन्य अवधि में सेवानिवृत्त / मृत सरकारी सेवकों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण यह कहकर नहीं किया जा रहा है कि उक्त शासनादेश केवल दिनांक 01-01-86 से 31-12-95 के मध्य सेवा-निवृत्त / मृत सरकारी सेवकों पर लागू है। उक्त के संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 13-4-2000 के प्रथम पृष्ठ के प्रस्तर-1 की व्यवस्था दिनांक 01-01-86 से 31-12-[illegible]5 के मध्य सेवानिवृत्त / दिवंगत सरकारी सेवकों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु है तथा प्रक्रिया का विस्तृत विवरण शासनादेश के भाग एक में दिया गया है। इसी शासनादेश के पृष्ठ-1 के प्रस्तर-2 में दिनांक 01-01-96 से सभी पेंशन भोगियों चाहे वे कभी भी सेवानिवृत्त हुए हों, [illegible] पेंशन पुनरीक्षण की व्यवस्था निहित है। इस हेतु की जाने वाली कार्यवाही का उल्लेख शासनादेश के भाग-2 में दिया गया है। अतः जिन पेंशन भोगियों की पेंशन पुनरीक्षण शासनादेश दिनांक 13-4-2000 के प्रस्तर-2 के अनुसार किया जाना है उनमें समयबद्ध गति से कार्यवाही की जाये।

(2)(1) शासनादेश संख्या-सा-3-384/दस-300/99, दिनांक 13-4-2000 में यह आदेश प्रसारित है कि दिनांक 1-1-1996 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्ति के मामलों में कर्मचारी की पेंशन उसके पद के वेतनमान के पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम नहीं होगी, बशर्ते कि कर्मचारी की अर्हकारी सेवा 33 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। यह जिज्ञासा की गयी है कि उपरोक्त प्रकार के संशोधन के फलस्वरूप क्या पेंशन के अन्तर की धनराशि का राशिकरण अनुमन्य होगा। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक01-01-1996 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्ति के मामलों में शासनादेश दिनांक 13-4-2000 के अनुसार पुनरीक्षण के फलस्वरूप पेंशन में अन्तर की धनराशि के एक भाग का राशिकरण अनुमन्य होगा जो पूर्व पेंशन तथा उसके राशिकृत भाग के अनुपात में ही अनुमन्य होगा। (उल्लेखनीय है कि राशिकरण दिनांक 1-1-96 को या उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को मूल पेंशन का अधिकतम 40% ही

....4/...

CC-0: Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

सम्यक विचारोपरान्त मुझे निम्नलिखित स्पष्टीकरण निर्गत करने के निदेश हुए हैं:-

1- कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1062/दस-308/97, दिनॉक 24-8-1998 के अधीन प्रार्थना पत्र देने हेतु।
- - - - - - - - - - - - - -

उपरोक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक 24-8-1998 के अधीन दिनॉक 1-1-1986 के पूर्व के पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों द्वारा अपनी पेंशन/ पारिवारिक पेंशन के पुनर्निर्धारण हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए थे जिन्हें कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष के माध्यम से महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को प्रेषित किया जाना था। शासन स्तर पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार महालेखाकार उत्तर प्रदेश द्वारा बहुत ही कम मामलों में पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण करके संशोधित पी0पी0ओ0 निर्गत किए गए है और बहुत बड़ी संख्या में पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण अभी भी नहीं हो सका है। जिन पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण अभी तक नहीं हो पाया है, उन पेंशनरों/ पारिवारिक पेंशनरों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शासनादेश संख्या-सा-3-384/दस-300/99, दिनॉक 13-4-2000 के साथ संलग्न अनुबन्ध-1 एवं 2 (जो भी लागू हो) पर अपना आवेदन पत्र भरकर उसमें की गयी अपेक्षानुसार प्रेषित करने का कष्ट करें। विभागाध्यक्ष/ कोषाधिकारी को ऐसा प्रपत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त, संबंधित पेंशनर पूर्व में भरे गए प्रपत्र के अनुसार कार्यवाही करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। ऐसे प्रपत्र शासनादेश निर्गत होने के 180 दिन के भीतर प्रस्तुत कर दिए जाए। यदि कोषाधिकारी द्वारा शासनादेश दिनॉक 13-4-2000 के अनुसार पेंशन पुनरीक्षित किये जाने के 06माह के भीतर महालेखाकार से शासनादेश दिनॉक 24-8-98 के परिप्रेक्ष्य में पुनरीक्षित प्राधिकार पत्र आ जाता है तो कोषाधिकारी द्वारा शासनादेश 13-4-2000 की न्यूनतम सीमा का संरक्षण किया जाना (पूर्ण सेवा पेंशन, वेतनमान के न्यूनतम के 50% तथा कम सेवा होने पर पेंशन आनुपातिक रूप से कम एवं पारिवारिक पेंशन नये वेतनमान के न्यूनतम का 30% (सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।

....3/-

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

2- शासनादेश संख्या-सा-3-384/दस-300/99, दिनॉक 13-4-2000 के संदर्भ में।

शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि कुछ विभागाध्यक्षों के यहाँ उक्त शासनादेश दिनॉक 13-4-2000 का लाभ केवल 1-1-86 से 31-12-1995 के मध्य सेवानिवृत/ मृत सरकारी सेवकों की पारिवारिक पेंशन केपुनरीक्षण हेतु ही [illegible] जा रहा है और अन्य अवधि में सेवानिवृत्त / मृत सरकारी सेवकों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण यह कहकर नहीं किया जा रहा है कि उक्त शासनादेश केवल दिनांक 01-01-86 से 31-12-95 के मध्य सेवानिवृत्त / मृत सरकारी सेवकों पर लागू है। उक्त के संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 13-4-2000 के प्रथम पृष्ठ के प्रस्तर-1 की व्यवस्था दिनांक 01-01-86 से 31-12-[illegible]5 के मध्य सेवानिवृत्त / दिवंगत सरकारी सेवकों की पेंशन / पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु है तथा प्रक्रिया का विस्तृत विवरण शासनादेश के भाग एक में दिया गया है। इसी शासनादेश के पृष्ठ-1 के प्रस्तर-2 में दिनांक 01-01-96 से सभी पेंशन भोगियों चाहे वे कभी भी सेवानिवृत्त हुए हों, [illegible] पेंशन पुनरीक्षण की व्यवस्था निहित है। इस हेतु की जाने वाली कार्यवाही का उल्लेख शासनादेश के भाग-2 में दिया गया है। अतः जिन पेंशन भोगियों की पेंशन पुनरीक्षण शासनादेश दिनांक 13-4-2000 के प्रस्तर-2 के अनुसार किया जाना है उनमें समयबद्ध गति से कार्यवाही की जाये।

(2)(1) शासनादेश संख्या-सा-3-384/दस-300/99, दिनांक 13-4-2000 में यह आदेश प्रसारित है कि दिनांक 1-1-1996 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्ति के मामलों में कर्मचारी की पेंशन उसके पद के वेतनमान के पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम नहीं होगी, बशर्ते कि कर्मचारी की अर्हकारी सेवा 33 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। यह जिज्ञासा की गयी है कि उपरोक्त प्रकार के संशोधन के फलस्वरूप क्या पेंशन के अन्तर की धनराशि का राशिकरण अनुमन्य होगा। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक01-01-1996 को अथवा उसके उपरान्त सेवानिवृत्ति के मामलों में शासनादेश दिनांक 13-4-2000 के अनुसार पुनरीक्षण के फलस्वरूप पेंशन में अन्तर की धनराशि के एक भाग का राशिकरण अनुमन्य होगा जो पूर्व पेंशन तथा उसके राशिकृत भाग के अनुपात में ही अनुमन्य होगा। (उल्लेखनीय है कि राशिकरण विगत 1-1-96 को या उसके उपरान्त सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को मूल पेंशन का अधिकतम 40% ही

....4/...

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

अनुमन्य है§ और यह अनुपात अंतर की धनराशि के एक भाग के राशिकरण हेतु परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। राशिकरण हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी:-

क- कोषाधिकारी द्वारा पेंशन का पुनरीक्षण किया जायेगा ।

ख- उपरोक्त§क§ के अनुसार पुनरीक्षित पेंशन और मूलतया स्वीकृत पेंशन की धनराशि के अन्तर की धनराशि के एक भाग का राशिकरण कराने के इच्छुक पेंशनर अपने पेंशन स्वीकर्ताधिकारी को सादे कागज पर प्रार्थना पत्र देगें। पेंशन स्वीकर्ताधिकारी उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर परीक्षण करके पेंशन राशिकरण के भुगतान का प्राधिकार पत्र निर्गत करेगें ।

ग- राशिकरण का मूल्य वही रहेगा जैसा कि मूल राशिकरण स्वीकृत करते समय उसकी आयु के आधार पर अनुमन्य था ।

घ- शासनादेश दिनांक 13-4-2000 के अनुसार पेंशन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अन्तर की धनराशि का राशिकरण कराने के लिये स्वास्थ्य परीक्षण कराने की आवश्यकता नहीं होगी ।

ङ.- उपरोक्त प्रकार के राशिकरण के मामलों में पेंशन की धनराशि से कटौती भुगतान की तिथि से की जाएगी तथा राशिकृत धनराशि के पुर्नस्थापन हेतु हेतु ऐसे भुगतान की तिथि से 15 वर्ष की गणना की जाएगी। अर्थात इस प्रकार के मामलों में राशिकरण के पुर्नस्थापन की दो तिथियां होगीं अर्थात पहली तिथि मूल पेंशन के राशिकरण की तिथि के 15 वर्ष बाद होगी तथा दूसरी तिथि वर्तमान राशिकरण के भुगतान की तिथि से 15 वर्ष होगी ।

अ- यदि किन्हीं मामलों में पुनरीक्षित पेंशन के एक अंश का राशिकरण कराने का विकल्प देने से पूर्व पेंशनर की मृत्यु हो चुकी है/ हो जाती है तो उसके परिवार को राशिकरण की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी ।

2-§11§

शासनादेश संख्या-सा-3-384/दस-300/99, दिनांक 13-5-2000 के भाग-1 के प्रस्तर-9 एवं भाग -2 के प्रस्तर-1§111§ में यह व्यवस्था है कि कोषाधिकारी पेंशन/ पारिवारिक पेंशन का संशोधन करके उसकी एक प्रति महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस आशय से भेजेगें कि वे किये गए संशोधन के सही/ गलत होनेकी पुष्टि 6 माह की अवधि में कर दें । इस संदर्भ में पुनर्विचार किया गया और यह पाया गया कि क्योंकि दिनांक 1-8-1985 से शनैः-शनैः पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार महालेखाकार उत्तर प्रदेश से लेकर

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संबंधित विभागों को दिया जा चुका है, अतएव संबंधित संशोधित प्राधिकार पत्र की प्रति उसी प्राधिकारी को भेजेंगें जिनके द्वारा मूल भुगतानादेश निर्गत किये गये हैं, अर्थात यदि मूल भुगतानादेश महालेखाकार उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने निर्गत किये है तो महालेखाकार उत्तर प्रदेश को अन्यथा अन्य उस अधिकारी को जिसने भुगतानादेश निर्गत किये है। जो 6 माह के अन्दर पेंशन पुनरीक्षण के सही / गलत होने की पुष्टि संबंधित कोषाधिकारी को करेगें ।

2§III§

शासनादेश संख्या-सा-3-384/दस-300/99, दिनांक 13-4-2000 के भाग -2 के प्रस्तर-1 में व्यवस्था है कि " दिनांक 1-1-1996 से सभी पेंशन भोगियों के मामलों में पूर्ण पेंशन उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख का ध्यान किये बिना, पेंशन भोगी द्वारा अन्तिम धारित पद के दिनांक 1-1-1996से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50 % से कम नहीं होगी । तथापि पूर्ण पेंशन के लिये अर्हकारी सेवा और न्यूनतम पेंशन को विनियमित करने वाले उपबन्ध उसी प्रकार प्रभावी रहेंगें। इसी प्रकार दिनांक 1-1-96 से पारिवारिक पेंशन, पेंशन भोगी/ मृतक सरकारी कर्मचारी के द्वारा धारित अन्तिम पद के 1-1-1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 30 % से कम नहीं होगी। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाना है कि यदि भविष्य में किसी कर्मचारी के अन्तिम दस माह के औसत के आधार पर पूर्ण पेंशन उसके 1-1-1996 के पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम आती है तो उसे मूल प्राधिकार पत्र निर्गत करते समय ही इस सीमा तक बढ़ा दिया जायेगा, किन्तु अर्हकारी सेवा पूर्ण §33 वर्ष§ न होने पर यह अनुपातिक रूप से कम स्वीकृत की जायेगी ।यही प्रक्रिया पारिवारिक पेंशन हेतु अपनायी जायेगी ।

3- शासनादेश संख्या-सा-3-6 1/दस-308/97, दिनांक 5-5-2000 के संदर्भ में ।

दिनांक 1-1-1996 से जिन सरकारी सेवकों ने पुनरीक्षित वेतनमान को वरण करने का विकल्प दिया है और नये वेतनमान में 10 माह की पूर्ण अवधि का लाभ पाने के पूर्व ही सेवानिवृत्त हो गए है उन्हें दिनांक 1-1-96 के पूर्व के माहों में आहरित वेतन पर 40 % प्रतिशत पेंशेज का लाभ नहीं दिया गया था । जिसके फलस्वरूप 10 माह के औसत वेतन की धनराशि कम हो रही थी और पेंशन में हानि हो रही है। शासनादेश दिनांक 5-5-2000 से उक्त प्रकार के मामलों में औसत वेतन की गणना हेतु 40 % का लाभ दे दिया गया है।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

अतएव ऐसा विचार व किया जाता है कि कर्मचारी की पेंशन में हो रही हानि की पूर्ति हो जाएगी । परन्तु यह भी संभावना है कि कुछ ऐसे भी मामले हो सकते हैं जिनमें 40 % वेटेज का लाभ देने के उपरान्त भी पुनरीक्षित पूर्ण पेंशन, पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 50% तक न पहुंचे । अतएव यह स्पष्ट किया जाता है कि पेंशन पुनरीक्षित करते समय यदि ऐसी स्थिति आती है कि 40 % वेटेज का लाभ देने के बावजूद भी पूर्ण पेंशन की धनराशि पुनरीक्षित वेतनमान के न्यूनतम के 50 % से कम आती है तो उसे 50 % तक कर दिया जाए । यदि अर्हकारी सेवा 33 वर्ष से कम है तो पेंशन आनुपातिक रूप से कम स्वीकृत की जाएगी । संबंधित प्राधिकारी पेंशन संशोधित करते समय उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ।

अनुरोध है कि आप कृपया उपरोक्त स्पष्टीकरण के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

§ सुशील चन्द्र त्रिपाठी §
प्रमुख सचिव ।

संख्या सा-3-(1029)(1)/दस-308/97तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश,
2. सचिव, विधान सभा, विधान परिषद, विधान भवन, लखनऊ।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
4. निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान 24/3, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद।
6. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. उप सचिव, इरला चेक अनुभाग ।
8. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

§ शिव प्रकाश §
संयुक्त सचिव।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या : सा-3-712/दस-2001-305(4)/2000

प्रेषक,

भोलानाथ तिवारी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 17 मई, 2001

विषय : सेवानैवृत्तिक लाभों का समय से भुगतान न्यायिक / विभागीय कार्यवाहियों की समाप्ति पर ग्रेच्युटी के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज का भुगतान ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार अपने पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन प्रकरणों एवं यथा अनुमन्य देयों को समय से भुगतान करने के सम्बन्ध में समय-समय पर विस्तृत आदेश निर्गत करती रही है । ग्रेच्युटी की अनुमन्य धनराशि को समय से भुगतान न होने पर ब्याज दिए जाने की भी व्यवस्था की गयी है तथा समय से भुगतान न करने के लिए दोषी कार्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही एवं ब्याज के रूप में भुगतान की गयी धनराशि की वसूली के भी आदेश निर्गत किए गए हैं । इस सन्दर्भ में शासनादेश संख्या - सा-3-684/दस-971/80, दिनांक - 29-04-1983, शासनादेश संख्या - सा-3-1776/दस-971/80, दिनांक - 30-11-1984, शासनादेश संख्या - सा-3-2102/दस-971/80, दिनांक - 06-12-1994 एवं अर्द्धशासकीय पत्र संख्या - सा-3-902/दस-99-303/99, दिनांक - 28-09-1999 भी निर्गत किए गए है । विभिन्न विभागों से इस आशय की जिज्ञासा की जा रही है कि जिन कर्मचारियों के विरूद्ध न्यायिक / विभागीय कार्यवाही लम्बित होने के कारण उपादान एवं राशिकृत धनराशि के भुगतान में विलम्ब होता है, उन प्रकरणों में ब्याज किस प्रकार अनुमन्य होगा । इस सन्दर्भ में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि :-

1 यदि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि को उसके विरूद्ध अनुशासनिक अथवा न्यायिक कार्यवाही लम्बित है, तो उसे ग्रेच्युटी की धनराशि का भुगतान तब तक नहीं किया जाता है, जब तक उक्त कार्यवाही समाप्त करके अन्तिम आदेश निर्गत नहीं हो जाते हैं । ऐसे प्रकरणों में, यदि ग्रेच्युटी के भुगतान का निर्णय लिया जाता है तो भुगतान की तिथि वही होगी जिस तिथि में सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश निर्गत किए जाते हैं । जिन प्रकरणों में सरकारी सेवक के विरूद्ध चल रही कार्यवाही में अन्तिम निर्णय के फलस्वरूप उसे पूर्णतया दोषमुक्त किया जाता है, उन प्रकरणों में सेवानिवृत्तिकी तिथि से ग्रेच्युटी की अनुमन्यता मानी जाएगी और ऐसे तीन माह से अधिक के विलम्ब की अवधि हेतु अनुमन्य हो जाएगा । परन्तु जिन प्रकरणों में विभागीय / न्यायिक कार्यवाही लम्बित रहते हुए सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाती है, उन प्रकरणों में ब्याज अनुमन्य नहीं होगा ।

2 उपरोक्त व्यवस्था केवल उन प्रकरणों में लागू होगी जो अभी तक निर्णित नहीं हो सके हैं, परन्तु जिन प्रकरणों में निर्णय लिया जा चुका है उन्हें पुर्नउदघाटित नहीं किया जाएगा ।

3 सेवानिवृत्त कर्मचारी के सेवानैवृत्तिक लाभों के भुगतानादेश सेवानिवृत्ति की तिथि को ही निर्गत किए जाने के प्राविधान है तथा इस ओर समय-समय पर शासनादेश भी निर्गत किए गए हैं । सेवानैवृत्तिक लाभों को समय से भुगतान करने के सन्दर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन उत्तर प्रदेश पेंशन के मामलों का (प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन) नियमावली वर्ष 1995 निर्गत की जा चुकी है । उक्त नियमावली में पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु समय सारिणी भी निर्धारित है तथा विलम्ब के लिए दोषी कार्मिकों के विरूद्ध दण्ड दिए जाने की भी व्यवस्था है । यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त नियमावली का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि को सेवानैवृत्तिक लाभों के भुगतानादेश निर्गत किए जाए तथा यदि पेंशन निर्धारण में विलम्ब की सम्भावना हो तो उनमें अनान्तिम पेंशन का भुगतान किया जाए । यदि सेवानैवृत्तिक लाभों के भुगतानादेश सम्बन्धित कार्मिक की सेवानिवृत्ति की तिथि को

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

निर्गत नहीं हो सकें हैं तो उसकी जानकारी भुगतानादेश निर्गत न हो सकने के कारणों सहित, उच्चतर अधिकारी को दिया जाना अपेक्षित होगा जो पेंशन प्रकरण का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करेगें ।

4 यदि प्रशासनिक कारणों से ग्रेच्युटी का भुगतान निर्धारित तिथि से तीन माह बाद किया जाता है तो भुगतान अनुमन्य होने की तिथि से तीन माह की अवधि के बाद से निर्धारित दर पर ब्याज दिया जायेगा । यदि यह निर्णित हो जाता है कि ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाना है तो इसका भुगतान तुरन्त कर दिया जाए और ब्याज की मद पर शीघ्र निर्णय लेकर कार्यवाही की जाए । ऐसा करने से ब्याज के मद में दी जाने वाली धनराशि में बचत की जा सकेगी । परन्तु यह ब्याज केवल उन्हीं परिस्थितियों में दिया जाएगा जहाँ यह स्पष्ट रूप से सिद्ध हो कि ग्रेच्युटी के भुगतान में विलम्ब प्रशासनिक त्रुटि के कारण अथवा उन कारणों से हुआ है जो सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी के नियंत्रण के बाहर हो । ब्याज के भुगतान के प्रत्येक मामले में शासन के प्रशासनिक विभाग द्वारा विचार किया जाएगा और ब्याज का भुगतान शासन द्वारा ही प्राधिकृत किया जाएगा । जिन मामलों में ब्याज का भुगतान किया जाना होगा उन सभी मामलों में विलम्ब के लिए दोषी अधिकारी / कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी तथा ब्याज के रूप में भुगतान की गयी धनराशि की वसूली दोषी व्यक्तियों से उसके वेतन के अनुपात में की जाए ।

5 प्रायः सेवानिवृत्त कार्मिक उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन कम्यूटेशन रूल्स के अधीन अपनी पेंशन के एक भाग के राशिकरण की धनराशि को विलम्ब से भुगतान किए जाने पर भी ब्याज की मांग करते हैं । इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त नियम के अधीन देय धनराशि को विलम्ब से भुगतान पर कोई ब्याज देय नहीं है क्योंकि पेंशन के एक भाग की राशिकृत मूल्य की स्वीकृति हो जाने पर भी उसके भुगतान की तिथि तक पूर्ण पेंशन का भुगतान होता रहता है तथा भुगतान की तिथि के उपरान्त ही पेंशन कम होती है । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि को उसके विरूद्ध विभागीय / न्यायिक कार्यवाही लम्बित है तो उसे उस कार्यवाही के लम्बित रहते पेंशन के एक भाग का राशिकरण अनुमन्य नहीं होगा ।

अनुरोध है कि उपरोक्त प्रस्तरों में स्पष्ट की गयी स्थिति के अनुसार कार्यवाही सुनिचित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(भोलानाथ तिवारी)
मुख्य सचिव ।

संख्या : सा-3-712(1)/दस-305(4)/2000, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2 निदेशक पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3 महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लेखा एवं हकदारी, इलाहाबाद ।
4 समस्त मण्डलीय संयुक्त निदेशक कोषागार एवं पेंशन उत्तर प्रदेश ।
5 समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश ।
6 समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7 वित्त विभाग के समस्त अधिकारी ।
8 सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
9 विधान सभा सचिवालय / विधान परिषद् सचिवालय ।
10 राज्यपाल सचिवालय ।
11 निदेशक वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान 24/3, इन्दिरानगर, लखनऊ ।

आज्ञा से,

(विजय कुमार शर्मा)
सचिव, वित्त ।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 20 सा० वित्त—22-5-2001—(314)—2001—12,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा–3-1380/दस–2001-301(40)–2001

प्रेषक,

विजय कुमार शर्मा,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 31 जुलाई, 2001

विषय : सरकारी सेवकों के सेवानिवृत्त किये जाने पर सेवानैवृत्तिक लाभों की अनुमन्यता।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग-3

आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या सा-3-1152/दस-915-89, दिनांक 01 जुलाई, 1989 द्वारा अस्थायी रहते हुए सेवानिवृत्त हो जाने वाले सरकारी सेवकों को पेंशन एवं ग्रेच्युटी उसी प्रकार तथा उन्हीं दरों के अन्तर्गत अनुमन्य कराई गयी थी जैसा कि स्थायी कर्मचारियों को उन्हीं परिस्थितियां में संगत नियमों के अन्तर्गत होती है, बशर्ते कि उन्होंने कम से कम 10 वर्ष की न्यूनतम अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो। इसी शासनादेश के प्रस्तर–3 में यह कहा गया था कि "यह व्यवस्था उन मामलों में भी लागू होगी जहाँ अस्थायी रहते हुए 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने अथवा 45 वर्ष की आयु पूर्ण करने, जो भी पहले हो, के उपरान्त मूल नियम 56 के अन्तर्गत स्वेच्छया सेवानिवृत्त होने की अनुमन्यता प्रदान की गयी हो" । उक्त के क्रम में शासन के समक्ष यह प्रश्न संदर्भित किया गया है कि जिन मामलों में मूल नियम 56 के अन्तर्गत किसी सरकारी सेवक को राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत्त किये जाने की अपेक्षा की जाती हो अर्थात् उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया जाता है उनमें संबंधित सरकारी सेवकों को क्या सेवानैवृत्तिक लाभ अनुमन्य किये जायेंगे। उपरोक्त के संबंध में स्थिति को स्पष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–2 के भाग–2 से 4 के मूल नियम 56 (ङ) के अन्तर्गत "प्रत्येक सरकारी सेवक के जो इस नियम के अधीन सेवानिवृत्त होते हैं या जिससे सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा की जाती है या जिसे सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जाती है, सुसंगत नियमों के अनुसार और उसके प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए सेवानैवृत्तिक पेंशन देय होगी और सेवानिवृत्ति संबंधी अन्य लाभ, यदि कोई हों, उपलब्ध होंगे।" तद्नुसार यदि किसी सरकारी सेवक से मूल नियम 56 के अन्तर्गत सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा की जाती है अर्थात् उसे लोकहित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाता है तो उसे सेवानैवृत्तिक लाभ अनुमन्य होंगे।

भवदीय,
विजय कुमार शर्मा,
सचिव, वित्त।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा-3-1380(1)/दस-2001-301(40)-2001, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

2— सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, सचिवालय ।

3— राज्यपाल सचिवालय।

4— समस्त संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।

5— महालेखाकार, द्वितीय (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

6—निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7—निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।

8—निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान, 24/3, इन्दिरानगर, लखनऊ ।

9—समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश ।

10—सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

11—समस्त मुख्य लेखा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

12—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

13—निर्धारित सूची के अनुसार पेंशन संघों को ।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

पी० एस० यू० पी०-ए०पी०-49 सा० दिनांक 9.8.2001 (667)-2001-15(40)-[illegible]

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा–3-1380/दस–2001-301(40)–2001

प्रेषक,

विजय कुमार शर्मा,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 31 जुलाई, 2001

विषय : सरकारी सेवकों के सेवानिवृत्त किये जाने पर सेवानैवृत्तिक लाभों की अनुमन्यता।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग-3

आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या सा-3-1152/दस-915-89, दिनांक 01 जुलाई, 1989 द्वारा अस्थायी रहते हुए सेवानिवृत्त हो जाने वाले सरकारी सेवकों को पेंशन एवं ग्रेच्युटी उसी प्रकार तथा उन्हीं दरों के अन्तर्गत अनुमन्य कराई गयी थी जैसा कि स्थायी कर्मचारियों को उन्हीं परिस्थितियां में संगत नियमों के अन्तर्गत होती है, बशर्ते कि उन्होंने कम से कम 10 वर्ष की न्यूनतम अर्हकारी सेवा पूर्ण कर ली हो। इसी शासनादेश के प्रस्तर–3 में यह कहा गया था कि "यह व्यवस्था उन मामलों में भी लागू होगी जहाँ अस्थायी रहते हुए 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने अथवा 45 वर्ष की आयु पूर्ण करने, जो भी पहले हो, के उपरान्त मूल नियम 56 के अन्तर्गत स्वेच्छया सेवानिवृत्त होने की अनुमन्यता प्रदान की गयी है" । उक्त के क्रम में शासन के समक्ष यह प्रश्न संदर्भित किया गया है कि जिन मामलों में मूल नियम 56 के अन्तर्गत किसी सरकारी सेवक को राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत्त किये जाने की अपेक्षा की जाती है अर्थात् उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया जाता है उनमें संबंधित सरकारी सेवकों को क्या सेवानैवृत्तिक लाभ अनुमन्य किये जायेंगे। उपरोक्त के संबंध में स्थिति को स्पष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–2 के भाग–2 से 4 के मूल नियम 56 (ङ) के अन्तर्गत "प्रत्येक सरकारी सेवक के जो इस नियम के अधीन सेवानिवृत्त होते हैं या जिससे सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा की जाती है या जिसे सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी जाती है, सुसंगत नियमों के अनुसार और उसके प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए सेवानैवृत्तिक पेंशन देय होगी और सेवानिवृत्ति संबंधी अन्य लाभ, यदि कोई हों, उपलब्ध होंगे।" तद्नुसार यदि किसी सरकारी सेवक से मूल नियम 56 के अन्तर्गत सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा की जाती है अर्थात् उसे लोकहित में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाता है तो उसे सेवानैवृत्तिक लाभ अनुमन्य होंगे।

भवदीय,
विजय कुमार शर्मा,
सचिव, वित्त।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा-3-1380(1)/दस-2001-301(40)-2001, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

2— सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, सचिवालय ।

3— राज्यपाल सचिवालय।

4— समस्त संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।

5— महालेखाकार, द्वितीय (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

6—निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7—निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश।

8—निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान, 24/3, इन्दिरानगर, लखनऊ ।

9—समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश ।

10—सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

11—समस्त मुख्य लेखा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

12—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

13—निर्धारित सूची के अनुसार पेंशन संघों को ।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव ।

पी० एस० यू० पी०-ए०पी०-49 सा० दिन 9-8-2001 (667)-2001-15,000

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा–3-911/दस–2001-933-89 टी०सी०

प्रेषक,

श्री वी०के० शर्मा,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 16 जुलाई, 2001

विषय : पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

उपरोक्त विषय पर शासनादेश संख्या सा–3-1713/दस–87-933-89, दिनांक 28 जुलाई, 1989 द्वारा पेंशन प्रकरणों को अंतिम रूप देने में होने वाले अनेक प्रकार के विलम्बों में कमी लाने के उद्देश्य से विस्तृत आदेश निर्गत किये गये हैं किन्तु अब भी अनेक मामलों में विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों के स्तर पर पेंशन प्रपत्रों को प्रेषित करने में विभिन्न कारणों से काफी विलम्ब किया जाता है जिसके कारण पेंशन के अनेक प्रकरणों में सेवानिवृत्ति के दिनांक के तत्काल बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन एवं अन्य देय प्राप्त नहीं हो पाते हैं। पेंशन के मामलों के सही तरीके से निस्तारित करने के संबंध में शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारी के सेवाकाल के मध्य गलत वेतन निर्धारण,सेवा पुस्तिका का पूर्ण न होना तथा अदेयता प्रमाण-पत्र निर्गत न होने के कारण पेंशन प्रकरण निस्तारित करने में विलम्ब होता है। अतः सम्यक् रूप से विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्न प्रकार और सरलीकृत प्रक्रिया अपनाने के आदेश प्रदान करते हैं :–

1—पेंशन प्राधिकार-पत्र जारी करने से पूर्व पेंशन प्राधिकर्ता अधिकारी सामान्यतया संबंधित सरकारी सेवक की अन्तिम 10 माह की परिलब्धियों की संनिरीक्षा करेंगे और पूरी अवधि के सही वेतन निर्धारण एवं भुगतान का दायित्व संबंधित कार्यालयाध्यक्षों/आहरण वितरण अधिकारियों का रहेगा। अदेयता प्रमाण-पत्र के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि कार्यालयाध्यक्ष निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वयं स्थिति स्पष्ट करते हुए अदेयता प्रमाण-पत्र निर्गत करेंगे। यदि किन्ही कारणों वश सेवानिवृत्ति की तिथि तक अदेयता की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तो संबंधित पेंशनर से निर्धारित बन्धक-प्रपत्र पर बन्धक-पत्र भरवाकर सेवानैवृत्तिक लाभ अवमुक्त कर दिया जाए तथा बन्धक-पत्र की निर्धारित अवधि के भीतर अदेयता की स्थिति को पूर्णतया स्पष्ट करा लिया जाए ताकि शासकीय क्षति न हो।

2—जिन मामलों में लम्बित विभागीय कार्यवाही के कारण अदेयता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना संभव न हो उन मामलों में स्वयं से कर्मचारी को अनन्तिम पेंशन स्वीकृत करते हुए विभागीय कार्यवाही यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर ली जाये।

3—अतएव अनुरोध है कि आप कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि सेवानिवृत्ति सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति की तिथि को ही पेंशन भुगतान आदेश प्राप्त हो सके।

भवदीय,
वी०के० शर्मा,
सचिव, वित्त।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा–3-911(1)/दस–2001-933-89 टी०सी०, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—महालेखाकार, द्वितीय (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2—प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

3—निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4—निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5—समस्त संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं कोषागार, उत्तर प्रदेश।

6—समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश।

7—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

9—विधान सभा सचिवालय/विधान परिषद् सचिवालय।

10—राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

11—निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी०-45 सा० वित्त-23-7-2001-(619)-12,0 -क-पृटर/आफसेट।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा–3-911/दस–2001-933-89 टी०सी०

प्रेषक,

श्री वी०के० शर्मा,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 16 जुलाई, 2001

विषय : पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग–3

उपरोक्त विषय पर शासनादेश संख्या सा–3-1713/दस–87-933-89, दिनांक 28 जुलाई, 1989 द्वारा पेंशन प्रकरणों को अंतिम रूप देने में होने वाले अनेक प्रकार के विलम्बों में कमी लाने के उद्देश्य से विस्तृत आदेश निर्गत किये गये हैं किन्तु अब भी अनेक मामलों में विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों के स्तर पर पेंशन प्रपत्रों को प्रेषित करने में विभिन्न कारणों से काफी विलम्ब किया जाता है जिसके कारण पेंशन के अनेक प्रकरणों में सेवानिवृत्ति के दिनांक के तत्काल बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन एवं अन्य देय प्राप्त नहीं हो पाते हैं। पेंशन के मामलों के सही तरीके से निस्तारित करने के संबंध में शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारी के सेवाकाल के मध्य गलत वेतन निर्धारण,सेवा पुस्तिका का पूर्ण न होना तथा अदेयता प्रमाण-पत्र निर्गत न होने के कारण पेंशन प्रकरण निस्तारित करने में विलम्ब होता है। अतः सम्यक् रूप से विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्न प्रकार और सरलीकृत प्रक्रिया अपनाने के आदेश प्रदान करते हैं :–

1—पेंशन प्राधिकार-पत्र जारी करने से पूर्व पेंशन प्राधिकर्ता अधिकारी सामान्यतया संबंधित सरकारी सेवक की अन्तिम 10 माह की परिलब्धियों की संनिरीक्षा करेंगे और पूरी अवधि के सही वेतन निर्धारण एवं भुगतान का दायित्व संबंधित कार्यालयाध्यक्षों/आहरण वितरण अधिकारियों का रहेगा। अदेयता प्रमाण-पत्र के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि कार्यालयाध्यक्ष निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वयं स्थिति स्पष्ट करते हुए अदेयता प्रमाण-पत्र निर्गत करेंगे। यदि किन्ही कारणों वश सेवानिवृत्ति की तिथि तक अदेयता की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तो संबंधित पेंशनर से निर्धारित बन्धक-प्रपत्र पर बन्धक-पत्र भरवाकर सेवानैवृत्तिक लाभ अवमुक्त कर दिया जाए तथा बन्धक-पत्र की निर्धारित अवधि के भीतर अदेयता की स्थिति को पूर्णतया स्पष्ट करा लिया जाए ताकि शासकीय क्षति न हो।

2—जिन मामलों में लम्बित विभागीय कार्यवाही के कारण अदेयता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना संभव न हो उन मामलों में स्वयं से कर्मचारी को अनन्तिम पेंशन स्वीकृत करते हुए विभागीय कार्यवाही यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर ली जाये।

3—अतएव अनुरोध है कि आप कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि सेवानिवृत्ति सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति की तिथि को ही पेंशन भुगतान आदेश प्राप्त हो सके।

भवदीय,
वी०के० शर्मा,
सचिव, वित्त।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा–3-911(1)/दस–2001-933-89 टी०सी०, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—महालेखाकार, द्वितीय (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2—प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

3—निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4—निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5—समस्त संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं कोषागार, उत्तर प्रदेश।

6—समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश।

7—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

9—विधान सभा सचिवालय/विधान परिषद् सचिवालय।

10—राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

11—निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

पी०एम०यू०पी०–ए०पी०–45 सा० वित्त–23-7-2001–(619)–12.0 – क. यूटर/आफसेट।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा–3-911/दस–2001-933-89 टी०सी०

प्रेषक,

श्री वी०के० शर्मा,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 16 जुलाई, 2001

विषय : पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग–3

उपरोक्त विषय पर शासनादेश संख्या सा–3-1713/दस–87-933-89, दिनांक 28 जुलाई, 1989 द्वारा पेंशन प्रकरणों को अंतिम रूप देने में होने वाले अनेक प्रकार के विलम्बों में कमी लाने के उद्देश्य से विस्तृत आदेश निर्गत किये गये हैं किन्तु अब भी अनेक मामलों में विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों के स्तर पर पेंशन प्रपत्रों को प्रेषित करने में विभिन्न कारणों से काफी विलम्ब किया जाता है जिसके कारण पेंशन के अनेक प्रकरणों में सेवानिवृत्ति के दिनांक के तत्काल बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी को पेंशन एवं अन्य देय प्राप्त नहीं हो पाते हैं। पेंशन के मामलों के सही तरीके से निस्तारित करने के संबंध में शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारी के सेवाकाल के मध्य गलत वेतन निर्धारण,सेवा पुस्तिका का पूर्ण न होना तथा अदेयता प्रमाण-पत्र निर्गत न होने के कारण पेंशन प्रकरण निस्तारित करने में विलम्ब होता है। अतः सम्यक् रूप से विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्न प्रकार और सरलीकृत प्रक्रिया अपनाने के आदेश प्रदान करते हैं :–

1—पेंशन प्राधिकार-पत्र जारी करने से पूर्व पेंशन प्राधिकर्ता अधिकारी सामान्यतया संबंधित सरकारी सेवक की अन्तिम 10 माह की परिलब्धियों की संनिरीक्षा करेंगे और पूरी अवधि के सही वेतन निर्धारण एवं भुगतान का दायित्व संबंधित कार्यालयाध्यक्षों/आहरण वितरण अधिकारियों का रहेगा। अदेयता प्रमाण-पत्र के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि कार्यालयाध्यक्ष निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वयं स्थिति स्पष्ट करते हुए अदेयता प्रमाण-पत्र निर्गत करेंगे। यदि किन्ही कारणों वश सेवानिवृत्ति की तिथि तक अदेयता की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तो संबंधित पेंशनर से निर्धारित बन्धक-प्रपत्र पर बन्धक-पत्र भरवाकर सेवानैवृत्तिक लाभ अवमुक्त कर दिया जाए तथा बन्धक-पत्र की निर्धारित अवधि के भीतर अदेयता की स्थिति को पूर्णतया स्पष्ट करा लिया जाए ताकि शासकीय क्षति न हो।

2—जिन मामलों में लम्बित विभागीय कार्यवाही के कारण अदेयता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना संभव न हो उन मामलों में स्वयं से कर्मचारी को अनन्तिम पेंशन स्वीकृत करते हुए विभागीय कार्यवाही यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कर ली जाये।

3—अतएव अनुरोध है कि आप कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि सेवानिवृत्ति सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति की तिथि को ही पेंशन भुगतान आदेश प्राप्त हो सके।

भवदीय,
वी०के० शर्मा,
सचिव, वित्त।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा–3-911(1)/दस–2001-933-89 टी०सी०, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—महालेखाकार, द्वितीय (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2—प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

3—निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4—निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5—समस्त संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं कोषागार, उत्तर प्रदेश।

6—समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश।

7—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

9—विधान सभा सचिवालय/विधान परिषद् सचिवालय।

10—राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

11—निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

पी०एम०यू०पी०–ए०पी०–45 सा० वित्त–23-7-2001–(619)–12,0[illegible]–क, कृटर/आफसेट।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा–3–953/दस–2001–308/97-टी० सी०

प्रेषक,

शिव प्रकाश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 17 जुलाई, 2001

विषय :–(1) वर्ष 1986 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण के संदर्भ में कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा–3–1062/दस–308/97, दिनांक 24–8–1998 एवं सा–3–340/दस-308/97, दिनांक 26–3–1999, शासनादेश संख्या–सा–3–1304/दस–308/97, दिनांक 6 नवम्बर, 1999 तथा शासनादेश संख्या–सा–3–1721/दस–308/97 टी० सी०, दिनांक 18–10–2000 के अधीन आवेदन-पत्र देने की तिथि में वृद्धि।

(2) दिनांक 1–1–1986 के बाद किन्तु दिनांक 1–1–1996 से पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की कुटुम्ब पेंशन के संशोधन/अद्यतन करने हेतु एवं दिनांक 1–1–1996 से सभी पेंशनभोगियों की पेंशन दिनांक 1–1–1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम न होने के संबंध में कार्यवाही हेतु आवेदन-पत्र देने की तिथि में वृद्धि।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग–3

कार्यालय-ज्ञाप संख्या–सा–3–1062/दस–308/97, दिनांक 24–8–98 में दिनांक 1–1–1986 के पूर्व के पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु आवेदन-पत्र देने के लिए 180 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गयी थी। उक्त समय-सीमा दिनांक 24–2–1999 तक थी। उसके उपरान्त कार्यालय-ज्ञाप संख्या–सा–3–340/दस–308/97, दिनांक 26–3–1999 द्वारा पूर्व निर्धारित तिथि को 90 दिन अर्थात् 24–5–1999 तक और बढ़ा दिया गया था। तत्पश्चात् यह समय-सीमा शासनादेश संख्या–सा–3–1304/दस–308/97, दिनांक 6 नवम्बर, 1999 द्वारा दिनांक 31–3–2000 तक और बढ़ा दी गयी थी और अन्तिम बार शासनादेश संख्या–सा–1721/दस–308/97 टी० सी०, दिनांक 18–10–2000 द्वारा दिनांक 31–3–2001 तक यह समय-सीमा बढ़ा दी गयी थी। उक्त समय-सीमा समाप्त हो चुकी है।

2—शासनादेश संख्या–सा–3–384/दस–300/99, दिनांक 13–4–2000 में दिनांक 1–1–1986 के बाद किन्तु दिनांक 1–1–1996 से पूर्व सेवानिवृत्त/ दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की कुटुम्ब पेंशन के संशोधन/अद्यतन करने हेतु एवं दिनांक 1–1–1996 से सभी पेंशनभोगियों की पेंशन (कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि का ध्यान किए बिना) दिनांक 1-1-1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम न होने के संबंध में कार्यवाही हेतु आवेदन-पत्र देने के लिए 180 दिन अथवा 30–9–2000 तक की समय-सीमा निर्धारित की गयी थी। तत्पश्चात् शासनादेश संख्या–सा–3–जी० आई०–45/दस–308/97, दिनांक 4–12–2000 द्वारा पुनः समय-सीमा दिनांक 31–3–2001 तक और बढ़ा दी गयी थी। उक्त समय-सीमा भी समाप्त हो चुकी है।

3—प्रदेश के विभिन्न पेंशनर संघों एवं पेंशन/पारिवारिक पेंशनर पुनः यह मांग कर रहे हैं कि चूँकि प्रदेश के अन्दर एवं प्रदेश के बाहर निवास कर रहे अनेक पेंशनरों को इस सुविधा की जानकारी अभी भी न होने के कारण वे अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके हैं, अतएव आवेदन-पत्र देने की समय-सीमा बढ़ा दी जाए।

4—उपरोक्त प्रस्तर-1 एवं 2 पर विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रार्थना-पत्र देने की तिथि दिनांक 30–9–2001 तक बढ़ा दी जाएं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश के निर्गत होने एवं दिनांक 31–3–2001 की मध्यावधि में प्राप्त आवेदन-पत्रों को भी वैध माना जाए एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या–सा–3–953 (1)/दस–2001-308/97-टी० सी०, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

भवदीय,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

संख्या–सा–3–953 (2)/दस–2001-308/97-टी० सी०, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

2—सचिव, विधान सभा/परिषद् विधान भवन, लखनऊ।

3—निदेशक, वित्तीय प्रवर्ग प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

4—निदेशक पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा नगर लखनऊ।

5—मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी एवं बैंक लेखा विभाग केन्द्रीय कार्यालय, नया केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह रोड, मुम्बई–400023।

6—सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रचारार्थ।

7—उप सचिव, इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ।

8—समस्त पेंशनर संघ, उत्तर प्रदेश।

9—वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बिक्री कर विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पशुपालन निदेशालय, कृषि विभाग तथा वन विभाग, लखनऊ, पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, उद्योग निदेशालय, कानपुर राजस्व परिषद, लखनऊ।

10—नागरिक उड्डयन निदेशालय, पर्यटन निदेशालय, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, गन्ना तथा चीनी विभाग, राज्यपाल सचिवालय, आयुक्त चकबन्दी, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर, अधीनस्थ सेवा, चयन बोर्ड लखनऊ, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा कारागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ निबंधक सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश, महानिरीक्षक होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश, प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, नैनीताल, आबकारी विभाग, इलाहाबाद, श्रम विभाग कानपुर, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, महानिदेशक स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ, परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा विभाग, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, मेडिकल कालेज, आगरा, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, मेडिकल कालेज, कानपुर, मेडिकल कालेज, मेरठ, मेडिकल कालेज, झाँसी, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।

भवदीय,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 46 सा० वित्त—23-7-2001—(620)—18,000—कम्प्यूटर/आफसेट।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा–3–953/दस–2001–308/97-टी० सी०

प्रेषक,

शिव प्रकाश,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक 17 जुलाई, 2001

विषय :–(1) वर्ष 1986 के पूर्व के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण के संदर्भ में कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा–3–1062/दस–308/97, दिनांक 24–8–1998 एवं सा–3–340/दस-308/97, दिनांक 26–3–1999, शासनादेश संख्या–सा–3–1304/दस–308/97, दिनांक 6 नवम्बर, 1999 तथा शासनादेश संख्या–सा–3–1721/दस–308/97 टी० सी०, दिनांक 18–10–2000 के अधीन आवेदन-पत्र देने की तिथि में वृद्धि।

(2) दिनांक 1–1–1986 के बाद किन्तु दिनांक 1–1–1996 से पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की कुटुम्ब पेंशन के संशोधन/अद्यतन करने हेतु एवं दिनांक 1–1–1996 से सभी पेंशनभोगियों की पेंशन दिनांक 1–1–1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम न होने के संबंध में कार्यवाही हेतु आवेदन-पत्र देने की तिथि में वृद्धि।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग–3

कार्यालय-ज्ञाप संख्या–सा–3–1062/दस–308/97, दिनांक 24–8–98 में दिनांक 1–1–1986 के पूर्व के पेंशनरों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु आवेदन-पत्र देने के लिए 180 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गयी थी। उक्त समय-सीमा दिनांक 24–2–1999 तक थी। उसके उपरान्त कार्यालय-ज्ञाप संख्या–सा–3–340/दस–308/97, दिनांक 26–3–1999 द्वारा पूर्व निर्धारित तिथि को 90 दिन अर्थात् 24–5–1999 तक और बढ़ा दिया गया था। तत्पश्चात् यह समय-सीमा शासनादेश संख्या–सा–3–1304/दस–308/97, दिनांक 6 नवम्बर, 1999 द्वारा दिनांक 31–3–2000 तक और बढ़ा दी गयी थी और अन्तिम बार शासनादेश संख्या–सा–1721/दस–308/97 टी० सी०, दिनांक 18–10–2000 द्वारा दिनांक 31–3–2001 तक यह समय-सीमा बढ़ा दी गयी थी। उक्त समय-सीमा समाप्त हो चुकी है।

2—शासनादेश संख्या–सा–3–384/दस–300/99, दिनांक 13–4–2000 में दिनांक 1–1–1986 के बाद किन्तु दिनांक 1–1–1996 से पूर्व सेवानिवृत्त/ दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की कुटुम्ब पेंशन के संशोधन/अद्यतन करने हेतु एवं दिनांक 1–1–1996 से सभी पेंशनभोगियों की पेंशन (कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि का ध्यान किए बिना) दिनांक 1-1-1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम न होने के संबंध में कार्यवाही हेतु आवेदन-पत्र देने के लिए 180 दिन अथवा 30–9–2000 तक की समय-सीमा निर्धारित की गयी थी। तत्पश्चात् शासनादेश संख्या–सा–3–जी० आई०–45/दस–308/97, दिनांक 4–12–2000 द्वारा पुनः समय-सीमा दिनांक 31–3–2001 तक और बढ़ा दी गयी थी। उक्त समय-सीमा भी समाप्त हो चुकी है।

3—प्रदेश के विभिन्न पेंशनर संघों एवं पेंशन/पारिवारिक पेंशनर पुनः यह मांग कर रहे हैं कि चूँकि प्रदेश के अन्दर एवं प्रदेश के बाहर निवास कर रहे अनेक पेंशनरों को इस सुविधा की जानकारी अभी भी न होने के कारण वे अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके हैं, अतएव आवेदन-पत्र देने की समय-सीमा बढ़ा दी जाए।

4—उपरोक्त प्रस्तर–1 एवं 2 पर विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रार्थना-पत्र देने की तिथि दिनांक 30–9–2001 तक बढ़ा दी जाएं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश के निर्गत होने एवं दिनांक 31–3–2001 की मध्यावधि में प्राप्त आवेदन-पत्रों को भी वैध माना जाए एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

भवदीय,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या–सा–3–953 (1)/दस–2001-308/97-टी० सी०, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

भवदीय,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

संख्या–सा–3–953 (2)/दस–2001-308/97-टी० सी०, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

2—सचिव, विधान सभा/परिषद् विधान भवन, लखनऊ।

3—निदेशक, वित्तीय प्रवर्ग प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

4—निदेशक पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा नगर लखनऊ।

5—मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक सरकारी एवं बैंक लेखा विभाग केन्द्रीय कार्यालय, नया केन्द्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह रोड, मुम्बई–400023।

6—सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रचारार्थ।

7—उप सचिव, इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ।

8—समस्त पेंशनर संघ, उत्तर प्रदेश।

9—वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बिक्री कर विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पशुपालन निदेशालय, कृषि विभाग तथा वन विभाग, लखनऊ, पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, उद्योग निदेशालय, कानपुर राजस्व परिषद, लखनऊ।

10—नागरिक उड्डयन निदेशालय, पर्यटन निदेशालय, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, गन्ना तथा चीनी विभाग, राज्यपाल सचिवालय, आयुक्त चकबन्दी, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर, अधीनस्थ सेवा, चयन बोर्ड लखनऊ, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा कारागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ निबंधक सहकारी समितियाँ, उत्तर प्रदेश, महानिरीक्षक होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश, प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान, नैनीताल, आबकारी विभाग, इलाहाबाद, श्रम विभाग कानपुर, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, महानिदेशक स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ, परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा विभाग, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, मेडिकल कालेज, आगरा, मेडिकल कालेज, इलाहाबाद, मेडिकल कालेज, कानपुर, मेडिकल कालेज, मेरठ, मेडिकल कालेज, झाँसी, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।

भवदीय,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 46 सा० वित्त –23-7-2001–(620)–18,000–कम्प्यूटर/आफसेट।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या–सा–3–384/दस–300/99

प्रेषक,

वी० के० शर्मा,

सचिव, वित्त विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा कार्यालयाध्यक्ष

उत्तर प्रदेश।

लखनऊ दिनांक 13 अप्रैल, 2000

विषय :–दिनांक 1–1–1986 के बाद किन्तु 1–1–1996 से पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी कर्मचारियों की कुटुम्ब पेंशन के संशोधन/अद्ययतन करने हेतु एवं दिनांक 1–1–1996 से सभी पेंशन भोगियों की पेंशन, दिनांक 1–1–1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम न होने के संबंध में कार्यवाही हेतु।

महोदय,

वित्त (सामान्य)

अनुभाग–3

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति उत्तर प्रदेश 1997 की संस्तुतियों, जैसीकि राज्य सरकार द्वारा स्वीकार की गयी है, के अनुपालन में कार्यालय-ज्ञाप संख्या–सा–3–1720/दस–308/97, दिनांक 23–12–1997, कार्यालय-ज्ञाप संख्या–सा–3–1721/दस–308/97, दिनांक 23–12–1997, सा–3–1722/दस–309/97, दिनांक 23–12–1997 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या–सा–3–1062/दस–308/97, दिनांक 24–8–1998 निर्गत किए जा चुके है। वेतन समिति उत्तर प्रदेश 1997 की संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल ने सहर्ष यह आदेश दिए है कि :–

1—दिनांक 1–1–1986 से 31–12–1995 के बीच की अवधि में सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी कर्मचारियों जिनका अन्तिम आहरित वेतन 1500 रुपया से अधिक था के प्रकरण में कुटुम्ब पेंशन का दिनांक 1–1–1996 से संशोधन किया जाएगा। पेंशन संशोधन भाग एक में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

2—दिनांक 1–1–1996 से सभी पेंशन भोगियों के मामले में उनकी पूर्ण पेंशन, उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख का ध्यान किए बिना, पेंशन भोगी द्वारा अन्तिम धारित पद के दिनांक 1–1–1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम नहीं होगी। तथापि पूर्ण पेंशन के लिए अर्ह सेवा और न्यूनतम पेंशन को विनियमित करने वाले उपबन्ध, उसी प्रकार प्रभावी रहेंगे। इसी प्रकार दिनांक 1–1–1996 से पारिवारिक पेंशन, पेंशन भोगी/मृतक कर्मचारी के द्वारा धारित अन्तिम पद के दिनांक 1–1–1996 से लागू संशोधित वेतनमान में न्यूनतम वेतन के 30% से कम नहीं होगी। पेंशन संशोधन भाग, दो में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

भाग–1

कार्यालय-ज्ञाप संख्या–सा–3–1721/दस–308/97, दिनांक 23–12–97 सपठित शासनादेश संख्या–सा–3–984/दस–98–308/97, दिनांक 24–7–1998 के क्रम में दिनांक 1–1–1986 से 31–12–1995 के बीच की अवधि में सेवानिवृत्ति दिवंगत सरकारी कर्मचारियों जिनका अन्तिम वेतन 1500 रुपया से अधिक था के प्रकरण में कुटुम्ब पेंशन, दिनांक 1–1–1996 से निम्न प्रकार से संशोधित की जाएगी :–

1—इन आदेशों के अनुसरण में कुटुम्ब पेंशन में संशोधन कराने के पात्र प्रत्येक पेंशन भोगी/पारिवारिक पेंशन भोगी को पारिवारिक पेंशन संशोधन हेतु अनुबन्ध–1 पर दिए गए प्रपत्र (तीन प्रतियों) में, इन आदेशों के जारी होने की तारीख से 180 दिनों के अन्दर अपने कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष जहां से सेवानिवृत्त हुआ हो या कार्य करते हुए मृत्यु हुई हो, आवेदन करना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में आवेदन न करने पर, यह मान लिया जाएगा

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

कि वे अपनी वर्तमान पारिवारिक पेंशन को ही जारी रखना चाहते है। तथापि, विशिष्ट मामलों में जहां संबंधित प्राधिकारी यह समझते है कि पारिवारिक पेंशन के संशोधन का आवेदन निर्धारित समय से करना आवेदक के वश में नहीं था, ऐसे आवेदन के प्रस्तुतीकरण के विलम्ब को केवल शासन के वित्त विभाग की सहमति से माफ किया जा सकता है।

2—ऐसे प्रकरणों में जहाँ पारिवारिक पेंशन भोगी, दिनांक 1-1-1996 को जीवित था तथा बाद में मृत्यु होने की स्थिति में उसकी/उसका कानूनी वारिस, 1-1-1996 से पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु तक, का बकाया प्राप्त करने के भी हकदार होंगे। कानूनी वारिस भी इस प्रयोजनार्थ उपरोक्त प्राधिकारी को आवेदन कर सकते है।

3—सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्तशासी निकायों आदि में स्थायी संविलियन हुए, सरकारी कर्मचारियों के मामले में, पारिवारिक पेंशन की पात्रता संबंधी आदेश शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किए गए हैं। ऐसे मामलों में, जहां संविलियत दिवंगत कर्मचारी के कुटुम्ब का पात्र सदस्य, इन आदेशों के अनुसरण में 1-1-1996 को पारिवारिक पेंशन ले रहा है/हकदार था, उसकी पारिवारिक पेंशन भी इन आदेशों के अनुसार संशोधित होगी।

4—कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1721/दस-308/97, दिनांक 23-12-1997 के प्रस्तर-4.1 में निहित उपबन्धों के अधीन पारिवारिक पेंशन को समेकित किया जाएगा।

5—पारिवारिक पेंशन की पुनः गणना, पेंशन भोगी/दिवंगत कर्मचारी के द्वारा आहरित अन्तिम वेतन के 30% की दर पर की जाएगी तथा स्लैब प्रणाली के अन्तर्गत पूर्व अनुज्ञेय तथा अन्तिम आहरित वेतन के 30% की दर से पारिवारिक पेंशन का अन्तर निकाला जाएगा।

6—स्लैब प्रणाली के अन्तर्गत पूर्व अनुज्ञेय पारिवारिक पेंशन और अन्तिम आहरित वेतन के 30% की दर के बीच के अन्तर के कारण देय अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन को, उपर्युक्त प्रस्तर-4 के द्वारा निकाली गयी समेकित पेंशन में जोड़ दिया जाएगा। इन दोनों धनराशियों अर्थात् समेकित पारिवारिक पेंशन जमा अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन का कुल योग दिनांक 1-1-1996 से मूल पारिवारिक पेंशन होगी। उपरोक्त प्रकार से निर्धारित मूल पारिवारिक पेंशन पर दिनांक 1-1-1996 शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अधीन महंगाई राहत अनुमन्य होगी। दिनांक 1-1-1996 से पूर्व की अवधि का कोई अवशेष देय नहीं होगा।

7—कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1721/दस-308/97, दिनांक 23-12-1997 सपठित शासनादेश संख्या-सा-3-984/दस-98-308/97, दिनांक 24-7-1998 में निहित अनुबन्धों के अनुसार, अन्तरिम व्यवस्था के रूप में समेकित पारिवारिक पेंशन के कारण, पूर्व में भुगतान की गयी बकाया राशि और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत, इन दोनों का कोषागारों/बैंकों के द्वारा इस आदेश के आधार पर संशोधित पारिवारिक पेंशन और उस पर अनुज्ञेय महंगाई राहत के कारण देय बकाया राशि में समायोजित किया जाएगा।

8—पेंशनर से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष प्राथमिकता के आधार पर उसका परीक्षण करके यह प्रमाणित करेंगे कि :-

- मृत कर्मचारी द्वारा धारित पद क्या था।
- मृत कर्मचारी मृत्यु के समय किस वेतनमान में कार्यरत था तथा उसका अन्तिम आहरित मूल वेतन क्या था।
- मृत्यु के समय धारित पद/वेतनमान का दिनांक 1-1-1996 से पुनरीक्षित वेतनमान क्या है।

उपरोक्त कार्यवाही करके संबंधित प्राधिकारी प्रार्थना पत्र को उसकी प्राप्ति से 30 दिन की, अवधि के भीतर संबंधित कोषाधिकारी को, दो प्रतियों में भेज देंगे। संबंधित कोषाधिकारी 15 दिन की अवधि में उपलब्ध कराई गयी सूचना के आधार पर पारिवारिक पेंशन का आगणन/पुनरीक्षण करके भुगतान पूर्व में भुगतान की गयी धनराशि समायोजित कर आरम्भ कर देंगे। भुगतान दिनांक 1-1-1996 से आरम्भ होगा। इसके पूर्व की तिथि का कोई अवशेष भुगतान नहीं किया जायेगा।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

9—कोषाधिकारी, उक्त प्रकार से पेंशन पुनरीक्षण के प्राधिकार पत्र की एक प्रति, विभागाध्यक्ष से प्राप्त सूचना की प्रति सहित, महालेखाकार, उ० प्र०, (लेखा एवं हकदारी), इलाहाबाद को इस आशय से भेजेंगे कि महालेखाकार, उ० प्र० उक्त पेंशन पुनरीक्षण के सही होने की पुष्टि कर दें। महालेखाकार, उ० प्र० प्राप्त प्रपत्रों की प्राप्ति के छह (06) माह के भीतर यथासम्भव यह सुनिश्चित करके कि पेंशन पुनरीक्षण की धनराशि ठीक है अथवा नहीं, संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/कोषाधिकारी तथा पेंशनर को सूचित कर दें। यदि महालेखाकार से 6 माह की अवधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त न हो, तो किया गया पेंशन पुनरीक्षण अन्तिम माना जायेगा।

भाग–2

1—दिनांक 1-1-1996 से सभी पेंशन भोगियों के मामलों में पूर्ण पेंशन उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख का ध्यान किए बिना, पेंशन भोगी द्वारा अन्तिम धारित पद के दिनांक 1-1-1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 50% से कम नहीं होगी। तथापि पूर्ण पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा और न्यूनतम पेंशन को विनियमित करने वाले उपबन्ध उसी प्रकार प्रभावी रहेंगे। इसी प्रकार दिनांक 1-1-1996 से पारिवारिक पेंशन, पेंशन भोगी/ मृतक सरकारी कर्मचारी के द्वारा धारित अन्तिम पद के 1-1-1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम के 30% से कम नहीं होगी।

(i) दिनांक 1-1-1986 से 31-12-1995 के बीच सेवानिवृत्ति सहित पेंशन भोगियों/कुटुम्ब पेंशन भोगी जो इन आदेशों के अनुसार प्रसुविधा प्राप्त करने के इच्छुक है, उन्हें चाहिए कि वे, अपने कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो, को अनुबन्ध-2 में यथा निर्धारित प्रपत्र (तीन प्रतियों में) भरकर दिनांक 30-9-2000 तक जमा करा दें। सभी संबद्ध प्राधिकारियों के द्वारा यह सुनिश्चित करने के सार्थक प्रयास किए जाएंगे कि जहां तक सम्भव हो, पेंशन संशोधन तत्काल करें।

(ii) पेंशन भोगियों से प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष प्राथमिकता के आधार पर उसका परीक्षण करके यह प्रमाणित करेंगे कि:–

- कर्मचारी द्वारा धारित पद क्या था।
- कर्मचारी किस वेतनमान से सेवानिवृत्ति हुआ तथा उसका अन्तिम आहरित मूल वेतन क्या था।
- कर्मचारी के द्वारा अन्तिम धारित पद/वेतनमान का दिनांक 1-1-1996 से पुनरीक्षित वेतनमान क्या है।
- कर्मचारी की पेंशन हेतु कुल अर्ह सेवा कितनी थी।

उपरोक्त कार्यवाही करके संबंधित प्राधिकारी प्रार्थना-पत्र को उसकी प्राप्ति से 30 दिन की अवधि के भीतर संबंधित कोषाधिकारी को दो प्रतियों में भेज देंगे। संबंधित कोषाधिकारी 15 दिन की अवधि में उपलब्ध कराई गयी सूचना के आधार पर पेंशन का पुनरीक्षण करके भुगतान पूर्व में भुगतान की गयी धनराशि समायोजित कर आरम्भ कर देंगे। भुगतान दिनांक 1-1-1996 से आरम्भ होगा। इसके पूर्व की तिथि का कोई अवशेष का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iii) कोषाधिकारी, उक्त प्रकार से पेंशन पुनरीक्षण के प्राधिकार पत्र की एक प्रति, विभागाध्यक्ष से प्राप्त सूचना की प्रति सहित, महालेखाकार, उ० प्र० (लेखा एवं हकदारी), इलाहाबाद को इस आशय से भेजेंगे कि महालेखाकार, उक्त पेंशन पुनरीक्षण के सही होने की पुष्टि कर दे। महालेखाकार उ० प्र० प्राप्त प्रपत्रों की प्राप्ति के छह (06) माह के भीतर यथासंभव यह सुनिश्चित करके कि पेंशन पुनरीक्षण की धनराशि ठीक है अथवा नहीं, संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/कोषाधिकारी तथा पेंशनर को सूचित कर दें। यदि महालेखाकार से 6 माह की अवधि के भीतर कोई सूचना प्राप्ति न हो तो, किया गया पेंशन पुनरीक्षण अन्तिम माना जाएगा।

(iv) यह स्पष्ट किया जाता है कि जैसी भी स्थिति हो, किसी भी मामले में पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी से उसका मूल पेंशन भुगतान आदेश, संशोधित प्राधिकार पत्र

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

जारी करने हेतु लौटाने के लिए नहीं कहेंगे। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि संशोधित पेंशन भुगतान आदेश की एक प्रति पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी को प्रेषित की जाए।

(v) इस शासनादेश के उपबन्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में आमेलित उन सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, जिन्होंने यथानुपात मासिक पेंशन (एक भाग के संराशीकरण के विकल्प सहित) भी अदायगी का विकल्प दिया था।

2—उपरोक्त संशोधित व्यवस्था के परिपेक्ष्य में पूर्व में निर्गत संबंधित कार्यालय-ज्ञाप नीचे दिए अनुसार संशोधित समझा जाये।

(क) कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1720/दस-308/97, दिनांक 23-12-1997

उपरोक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप में "पेंशन" संबंधी प्रस्तर-4 पेंशन के प्रथम वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए "सभी मामलों में पूर्ण पेंशन की गणना, औसत परिलब्धियों के 50% की दर से की जाती रहेगी, बशर्ते कि न्यूनतम पेंशन 1275 रुपये प्रतिमाह तथा अधिकतम 01-01-1996 से राज्य सरकार के अधिकतम वेतन के 50% तक, से अधिक न हो, किन्तु किसी भी मामले में पेंशन कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के समय उसके द्वारा धारित पद के 01-01-1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम वेतन के 50% से कम नहीं होगी। तथापि ऐसी पेंशन समुचित यथानुपात तरीके से कम हो जाएगी, जहां पेंशन भोगी ने, पेंशन भोगियों पर उसके/उसकी अधिवार्षिकी/सेवानिवृत्ति की तारीख की स्थिति के अनुसार पूर्ण पेंशन हेतु वांछनीय अधिकतम सेवा से कम सेवा की हो और यह किसी भी मामले में 1275 रुपये प्रतिमाह से कम नहीं होगी"।

(ख) कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1721/दस-308/97, दिनांक 23-12-1997

उपरोक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप के पैरा 4.1 के उप पैरा के प्रथम वाक्य "उपरोक्तानुसार आगणित/समेकित.....समझी जायेगी" के बाद निम्नलिखित स्थापित किया जाए:-

"तथापि ऐसे मामलों में, जहां उपरोक्त प्रकार से समेकित पेंशन को अन्तिम पेंशन समझा जाता है तो ऐसी पूर्ण पेंशन, पेंशन भोगी की सेवानिवृत्ति के समय, उसके द्वारा धारित पद के दिनांक 01-01-1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम वेतन के 50% से कम नहीं होगी। ऐसी पेंशन समुचित यथानुपात तरीके सेकम हो जाएगी, जहां पेंशन भोगी ने, पेंशन भोगियों पर उसके/उसकी अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति की तारीख की स्थिति के अनुसार लागू सिविल सर्विल रेग्युलेशन्स के नियमानुसार पूर्ण पेंशन हेतु अपेक्षित अधिकतम सेवा से कम सेवा की हो और यह किसी भी मामले में 1275 रुपये प्रतिमाह से कम नहीं होगी। इसी प्रकार, जहां इस प्रकार समेकित कुटुम्ब पेंशन को अन्तिम पेंशन समझा जाता है तो ऐसी कुटुम्ब पेंशन संबंधित पेंशनभोगी/मृतक सरकारी कर्मचारी के द्वारा धारित अन्तिम पद के 01-01-1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम वेतन के 30% से कम नहीं होगी।

(ग) कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1062/दस-308/97, दिनांक 24-8-98

3—(क) उपरोक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24-8-1998 के प्रस्तर-2 के अन्तिम वाक्य के स्थान पर निम्नानुसार स्थापित किया जाए:-

"इस प्रकार परिकलित पूर्ण पेंशन को, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1721/दस-308/97, दिनांक 23-12-1997 के प्रस्तर-4.1 के निहित उपबन्धों के अनुसार, दिनांक 01-01-1996 की स्थिति के अनुसार समेकित किया जाएगा। तथापि, ऐसी समेकित पेंशन, संबंधित पेंशन भोगी द्वारा धारित अन्तिम पद के 01-01-1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम वेतन का 50% से कम नहीं होगी। इस समेकित पेंशन को भविष्य में, पेंशन पर महंगाई राहत देने के प्रयोजनार्थ मूल पेंशन समझा जायेगा"।

(ख) उपरोक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप, दिनांक 24-08-1998 के प्रस्तर-3 के अन्तिम वाक्य के स्थान पर निम्नानुसार रखा जाए:-

"कुटुम्ब पेंशन को, कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-1721/दस-308/97 दिनांक 23-12-1997 के पैरा-4.1 में निहित उपबन्धों के अनुसार, दिनांक 01-01-1996 की स्थिति के अनुसार समेकित किया जाएगा। तथापि ऐसी समेकित कुटुम्ब पेंशन, संबंधित पेंशन

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

भोगी/मृतक सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित अन्तिम पद के 01-01-1996 से लागू संशोधित वेतनमान के न्यूनतम वेतन के 30% से कम नहीं होगी''।

(ग) उपरोक्त प्रस्तर-3 (क) में संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24-8-98 के प्रस्तर-4 के चौथे वाक्य के बाद निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए।

''इस प्रकार परिकलित मूल कुटुम्ब पेंशन, संबंधित पेंशन भोगी/मृतक सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित अन्तिम पद के 01-01-1996 से लागू संशोधित वेतनमान के, न्यूनतम वेतन के 30% से कम नहीं होगी।

4—संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से यह अपेक्षा की जाती है कि कुटुम्ब पेंशन/पेंशन के पुनर्निर्धारण के संदर्भ में शासनादेश एवं इसमें निहित भाग–1 एवं भाग-2 में निहित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करें। प्रत्येक दशा में यह सुनिश्चित करें कि पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को यथासम्भव किसी बी असुविधा से बचाया जाए।

भवदीय,

विजय कुमार शर्मा,

सचिव, वित्त।

संख्या–सा–3–384/दस–300/99, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

2—सचिव, विधान सभा, परिषद्, विधान भवन, लखनऊ।

3—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

4—निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

5—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लेखा एवं हकदारी, इलाहाबाद।

6—सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रचारार्थ।

7—उप सचिव, इरला चेक अनुभाग, सचिवालय, लखनऊ।

8—निदेशक कोषागार, उ० प्र० लखनऊ।

9—निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ० प्र०, लखनऊ।

आज्ञा से,

शिव प्रकाश,

संयुक्त सचिव।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

पारिवारिक पेंशन हेतु-अनुबन्ध

शासनादेश संख्या–सा–3–384/दस–300/99

दिनांक 13 अप्रैल, 2000

आवेदन का प्रपत्र

सेवा में,

.....

.....

.....

.....

कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष

विषय :–शासनादेश संख्या–सा–3–384/दस–300/99, दिनांक 13 अप्रैल, 2000 के अनुसरण में कुटुम्ब पेंशन का संशोधन।

महोदय,

शासनादेश संख्या–सा–3–384/दस–300/99, दिनांक 13 अप्रैल, 2000 के अनुसरण में, मेरे पेंशन भुगतान आदेश (फोटो प्रति संलग्न) में दर्शायी गयी पात्रतानुसार मेरी कुटुम्ब पेंशन संशोधित करने की कृपा करें। अपेक्षित ब्यौरे नीचे दिये हैं :–

1—आवेदक का नाम तथा पूरा पता

(स्पष्ट अक्षरों में)

2—दिवंगत सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी का नाम

3—सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तारीख

4—तारीख, जिससे कुटुम्ब पेंशन आहरित की जा रही हो।

5—पेंशन भुगतान आदेश संख्या

6—पेंशन भोगी/दिवंगत सरकारी कर्मचारी (पेंशनभोगी) के अन्तिम कार्यालय/विभाग का नाम तथा उसके द्वारा धारित पदनाम

7—अंतिम धारित पद का वेतनमान तथा अंतिम आहरित वेतन

8—मृत्यु के समय धारित पद के वेतनमान का दिनांक 01-01-1996 से पुनरीक्षित वेतनमान क्या है?

9—पेंशन भुगतान आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम

10—पेंशन संवितरण प्राधिकारी का नाम

(बचत खाता संख्या, जहां लागू हो)

दिनांक : (पेंशनभोगी/कुटुम्ब पेंशनभोगी के हस्ताक्षर) उन्हीं मामलों में लागू होगा, जहां आवेदक कुटुम्ब पेंशनभोगी है।

नोट :–उपरोक्त क्रमांक 7 एवं 8 की सूचना यदि पेंशनर द्वारा दिया जाना सम्भव नहीं है/नहीं दी गयी है, तो कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष अपने अभिलेखों के आधार पर उक्त सूचना अंकित करके अग्रेतर कार्यवाही करेंगे।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या–सा–4–4/दस-2000

प्रेषक,

श्री विजय कुमार शर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में;

1–समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

2–समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश शासन।

लखनऊ। दिनांक : 1 मार्च, 2000

विषय :––सेवानिवृत्ति अभिदाता की सामान्य भविष्य निधि की धनराशि का भुगतान न रोकने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–4

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मा0 लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995 द्वारा यह बात शासन के संज्ञान में लाई गयी है कि बहुत विभागों द्वारा सेवानिवृत्ति के पश्चात अभिदाताओं की सामान्य भविष्य निधि में जमा धनराशि रोक ली जाती है और कहा जाता है कि कर्मचारी ने शासन को क्षति पहुंचायी है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राविडेन्ट फन्ड ऐक्ट, 1925 की धारा–3 के अन्तर्गत सामान्य भविष्य निधि को संरक्षण प्राप्त है। अत: सेवाकाल में अधिकारी/कर्मचारी द्वारा की गयी अनियमितताओं के कारण उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि का भुगतान रोका नहीं जायेगा। अभिदाताओं के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि से किसी प्रकार की वसूली नहीं की जा सकती है। अत: सामान्य भविष्य निधि (उ0 प्र0) नियमावली, 1985 के नियम–24 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सामान्य भविष्य निधि में जमा धनराशि का भुगतान सेवानिवृत्ति/मृत्यु पर अभिदाताओं को निर्धारित समयावधि म जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
विजय कुमार शर्मा,
सचिव।

संख्या–सा–4–4(1)/दस–2000 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1––महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय उ0 प्र0, इलाहाबाद,
2––समस्त मण्डायुक्त उत्तर प्रदेश।
3––समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4––समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5––सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी0 एस0 यू0 पी0––ए0 पी0 1 सा0 वित्त––1–4–2000––(14)––2000––10,000 (मेफ0)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग–4

संख्या सा–4-41/दस–2000–500(1)/99
लखनऊ : दिनांक : 19 फरवरी, 2000

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2000

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2000 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 24 का संशोधन

2—सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 में नियम 24 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये उप नियम (4) और (5) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उप नियम रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 वर्तमान उप नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(4) जहां अभिदाता समूह "घ" का कर्मचारी हो, वहां चतुर्थ अनुसूची में दिये गये प्रपत्र 425–ख में आवेदन, अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में साधारण तथा सेवानिवृत्ति के दिनांक के छः मास पूर्व और अन्य मामलों में उस दिनांक से जब धनराशि देय हो जाय, एक मास के भीतर लेखा अधिकारी को दिया जायेगा। लेखा अधिकारी समायोजन यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए उसके सामान्य भविष्य निधि पास बुक में अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान धनराशि का भुगतान अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के दिनांक को और अन्य मामलों में धनराशि देय हो जाने के दिनांक से तीन मास के भीतर करेगा।	(4) किसी अभिदाता के मामले में, जो समूह "घ" का कर्मचारी है लेखा अधिकारी प्रपत्र 425–ख में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना समायोजन यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि पास बुक में उसके नाम विद्यमान धनराशि का भुगतान अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में, सेवानिवृत्ति के दिनांक को और अन्य मामलों में धनराशि देय हो जाने के दिनांक से तीन मास के भीतर करेगा।
(5) (क) अन्य अभिदाताओं के मामले में चतुर्थ अनुसूची में दिये गये प्रपत्र 425-क में दो आवेदन-पत्र, तीन प्रतियों में, एक सामान्य भविष्य निधि पास बुक में अतिशेष के 90 प्रतिशत भुगतान करने के लिए और दूसरी अवशिष्ट धनराशि के लिए, आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रस्तुत किये जायेंगे। साधारणतया आवेदन-पत्र अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के दिनांक के छः मास पूर्व और अन्य मामलों में धनराशि देय होने के दिनांक से एक मास के भीतर प्रस्तुत किये जायेंगे।	(5) (क) समूह "घ" के कर्मचारियों से भिन्न अभिदाताओं के मामले में आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रपत्र 425-क या 425-ख में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना विहित प्रपत्र पर चालू और पूर्ववर्ती पांच वित्तीय वर्षों की परिकलन शीट तीन प्रतियों में तैयार करेगा और धनराशि देय हो जाने के दिनांक से एक मास के भीतर परिकलन शीट की दो प्रतियां सामान्य भविष्य निधि पास बुक के साथ विभागाध्यक्ष से सम्बद्ध लेखे का मामला निपटाने वाले वरिष्ठतम अधिकारी को अग्रसारित करेगा। जो उनकी समुचित जांच करके उन्हें एक मास के भीतर

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

स्तम्भ–1 वर्तमान उप नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
	द्वितीय अनुसूची के पैरा-2 में उल्लिखित स्वीकृत प्राधिकारी को सामान्य भविष्य निधि पास बुक के 90 प्रतिशत अतिशेष का भुगतान करने के लिए अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करेगा और उसकी सूचना परिशिष्ट 'ग' में दिये गये प्रपत्र में सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी, कोषागार अधिकारी और लेखा अधिकारी को देगा जिससे कि पाने वाला अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के दिनांक को और अन्य मामलों में धनराशि के देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर भुगतान प्राप्त कर सकें।
	टिप्पणी :—जहां किसी विभाग में लेखा का निपटारा करने वाला कोई अधिकारी न हो, वहां परिकलन शीट की जांच सम्बद्ध जिले के कोषागार के प्रभारी अधिकारी द्वारा की जायेगी।
(ख) आहरण एवं वितरण अधिकारी तदुपरान्त विहित प्रपत्र पर चालू तथा पूर्ववर्ती पांच वित्तीय वर्षों का परिकलन शीट तीन प्रतियों में तैयार करेगा और आवेदन-पत्रों को प्राप्ति के दिनांक से एक मास के भीतर परिकलन शीट की दो प्रतियों तथा आवेदन-पत्रों की दो प्रतियां और सामान्य भविष्य निधि पास बुक विभागाध्यक्ष से सम्बद्ध लेखे का मामला निपटाने वाले वरिष्ठतम अधिकारी को अग्रसारित करेगा जो उनकी समुचित जांच करके उन्हें एक मास के भीतर द्वितीय अनुसूची के पैरा दो में उल्लिखित स्वीकृति प्राधिकारी को सामान्य भविष्य निधि पास बुक के 90 प्रतिशत अतिशेष का भुगतान करने के लिए अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करेगा। ऐसा स्वीकृति प्राधिकारी आवेदन-पत्र पर सामान्य भविष्य निधि के 90 प्रतिशत अतिशेष का भुगतान करने का आदेश देगा और उसकी सूचना परिशिष्ट "ग" में दिये गये प्रपत्र में सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी और कोषागार अधिकारी और लेखा अधिकारी को देगा जिससे कि पाने वाला अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के दिनांक को और अन्य मामलों में धनराशि के देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर भुगतान प्राप्त कर सकें।	(ख) स्वीकृति प्राधिकारी प्रपत्र 425–क या 425–ख में आवेदन की प्रतीक्षा किये बिना 90 प्रतिशत अतिशेष की स्वीकृति आदेश की प्रति और सामान्य भविष्य निधि पास बुक के साथ परिकलन शीट की प्रतियों सहित लेखा अधिकारी को अग्रसारित करेगा जिससे कि वह अवशिष्ट धनराशि का भुगतान प्राधिकृत कर सके। अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में ये अभिलेख सेवानिवृत्ति के दिनांक के तीन मास पूर्व और अन्य मामलों में बिना परिहार्य विलम्ब के अग्रसारित किया जायेगा। लेखा अधिकारी लेखा का समाधान करने के पश्चात् और समायोजन के अधीन रहते हुए यदि कोई हो, अवशिष्ट धनराशि के भुगतान का आदेश देगा जिससे कि पाने वाला अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के दिनांक को या उसके पश्चात् यथासम्भव शीघ्र किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसे दिनांक से तीन मास के भीतर ही और अन्य मामलों में धनराशि के देय होने के दिनांक से तीन मास के भीतर भुगतान प्राप्त कर सकें।
टिप्पणी :—जहां किसी विभाग में लेखा का निपटारा करने वाला कोई अधिकारी न हो, वहां परिकलन शीट की जांच सम्बद्ध जिले के कोषागार के प्रभारी अधिकारी द्वारा की जायेगी।	
(ग) स्वीकृति अधिकारी सम्यक् रूप से भरा हुआ आवेदन-पत्र 90 प्रतिशत अतिशेष के भुगतान आदेश और सामान्य भविष्य निधि पास-बुक के साथ परिकलन शीटों की प्रतियों सहित लेखा अधिकारी को अग्रसारित करेगा जिससे कि वह अवशिष्ट धनराशि का भुगतान प्राधिकृत कर सके अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में आवेदन-पत्र सेवानिवृत्ति के दिनांक के तीन मास पूर्व और अन्य मामलों में बिना परिहार्य विलम्ब के अग्रसारित किया जायेगा।	

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वर्तमान उप नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
लेखा अधिकारी लेखा का समाधान करने के पश्चात् और समायोजन के अधीन रहते हुए यदि कोई हो; अवशिष्ट धनराशि के भुगतान का आदेश देगा जिससे कि पाने वाला अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के दिनांक को या उसके पश्चात् यथासम्भव शीघ्र किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसे दिनांक से तीन मास के भीतर हो, और अन्य मामलों में धनराशि देय होने के दिनांक के तीन मास के भीतर भुगतान प्राप्त कर सकें।	

आज्ञा से,
सुशील चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

संख्या सा-4-41 (1)/दस-2000-500(1)/99, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—महालेखाकार, आडिट/लेखा, प्रथम एवं द्वितीय, उ० प्र०, इलाहाबाद।

2—समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

3—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

4—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, विधान भवन, लखनऊ।

5—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को प्रदेश गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करा दें।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

UTTAR PRADESH SHASAN

VITTA (SAMANYA) ANUBHAG–4

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. Sa.–4-41/X–2000-500 (1)/99, dated February 19, 2000 :

NOTIFICATION

No. Sa.–4-41/X–2000–500(1)/99

Dated Lucknow, February 19, 2000

IN exercise of the powers conferred by the provisio of Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules, 1985.

THE GENERAL PROVIDENT FUND (UTTAR PRADESH) (SECOND AMENDMENT) RULES, 2000.

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the General Provident Fund (Uttar Pradesh) (Second Amendment) Rules, 2000.

(2) They shall come into force atonce.

Amendment of rule 24

2. In the General Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules 1985, in rule 24, *for* sub rules (4) and (5) set out in Column–1 below, the sub rules as set out in Column–2 shall be *substituted*, namely :—

COLUMN–1	COLUMN–2
Existing sub rules	***Sub rules as hereby substituted***
(4) Where the subscriber was a Group "D" employee, an application in Form–425-B set forth in the Fourth schedule shall be made to the Account Officer, ordinarily, in case of retirement on superannuation six months prior to the date of retirement and with in one month from the date on which the amount became payable, in other cases. The Account Officer shall, subject to adjustment if any, make payment of the amount standing to the credit of the subscriber in his G.P.F. pass-book on the date of retirement in case of retirement on superannuation and within three months from the date on which the amount became payable, in other cases.	(4) In case of a subscriber who is a group "D" employee without waiting for the application in Form–425-B the Accounts Officer shall, subject to adjustment, if any, make payment of the amount standing to the credit of the subscriber in his G.P.F. pass-book on the date of retirement in case of retirement on superannuation and within three months from the date on which the amount became payable, in other cases.
(5) *(a)* In the case of other subscribers two applications in Form 425-A set forth in the Fourth schedule shall be made to the Drawing and Disbursing Officer, in triplicate, one for payment of 90 per cent of balance in the G.P.F. pass book and the other for the residual amount. Ordinarily, the applications shall be made six months prior to the date of retirement in case of retirement on superannuation and within one month from the date on which he amount became payable in other cases.	(5) *(a)* In the case of subscribers other then group "D" employees the Drawing and Disbursing Officer shall without waiting for the application in Form 425-A or 425-B prepare calculation sheets on the prescribed form of the current as well as five preceding financial years in triplicate, and forward, within one month from the date on which the amount became payable, two copies of the calculation sheets alongwith G.P.F. pass book to the seniormost officer dealing with accounts attached to the

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

COLUMN–1 *Existing sub rules*	COLUMN–2 *Sub rules as hereby substituted*
	Head of the Department, who, after subjecting them to appropriate checks, forward the same, within one month to the Sanctioning Authority mentioned in paragraph-2 of the Second Schedule with his recommendation for payment of 90 per cent of the balance G.P.F. pass book and communicate the same to the Drawing and Disbursing Officer, the Treasury Officer concerned and the Accounts Officer in the form set forth in appendix "C" so as to enable form the recipient to receive the payment, in case of retirement on superannuation, on the date of retirement and in other cases, within three month from the date on which the amount became payable. **Note**—Where, in any department, there is no officer dealing with accounts the checking of calcula ion sheets shall be done by the Officer-In-charge of the treasury of the concerned district.
(b) The Drawing and Disbursing Officer shall thereupon, prepare calculation sheets on the prescribed form of the current as well as five preceding financial years, in triplicate, and forward, within one month from the date of receipt of the application two copies of the calculation sheets with two copies of the applications and G.P.F. pass book to the senior most officer dealing with accounts attached to the Head of the Department, who, after subjecting them to appropriate checks forward the same, within one month to the Sanctioning Authority mentioned in paragraph-2 of the Second Schedule with his recommendation for payment of 90 per cent of the balance of G.P.F. pass book. Such Sanctioning Authority shall pass an order for the payment of 90 per cent of the balance of G.P.F. on the application and communicate the same to the Drawing and Disbursing Officer, the Treasury Officer concerned and the Account Officer, in the form set forth in appendix 'C' so as to enable to the recipient to receive the payment, in case of retirement on superannuation on the date of retirement, and within three months from the date on which the amount became payable, in the other cases. **Note**—Where, in any department, there is no officer dealing with accounts the checking of calculation sheets shall be done by the Officer-In Charge of the treasury of the concerned district.	*(b)* The Sanctioning Authority shall without waiting for the application in Form 425-A or Form 425-B forward to the Accounts Officer copy of the order of sanction of 90 per cent balance; and the copies of the calculation sheet with the G.P.F. pass book to enable him to authorise payment of the residual amount. In case of retirement on superannuation, these records shall be forwarded three months before the date of retirement, and in other cases, without avoidable delay. The Accounts Officer shall after reconciliation of account and subject to adjustment, if any, issue order for payment of the residual amount so as to enable the recipient to receive the payment, in case of retirement on superannuation, on the date of retirement or as soon thereafter as may be but, in any case, not later than three months after such date, and in other cases, within three months from the date on which the amount became payable.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

COLUMN–1 *Existing sub rules*	COLUMN–2 *Sub rules as hereby substituted*
(c) The Sanctioning Authority shall forward to the Account Officer the application, duly completed, alongwith the order of sanction of 90 per cent balance and the copies of the calculation sheets with the G.P.F. pass book to enable him to authorise payment of the residual amount. In case of retirement on superannuation the application shall be forwarded 3 months before the date of retirement and in other cases without avoidable delay. The Account Officer shall after reconciliation of account and subject to adjustment, if any, issue order for payment of the residual amount so as to enable the recipient to receive the payment, in case of retirement on superannuation on the date of retirement or as soon thereafter as may be but, in any case, not later than three months after such date, and within three months from the date on which the amount became payable, in other cases.	

By order,

SUSHIL CHANDRA TRIPATHI,

Pramukh Sachiv.

No-G-4-41 (1)/X-2000-500 (1)/99, Of dated

Copy forwarded for information and neccessary action of the following :—

1. Accountant General (Audit/Account Ist and IInd), Uttar Pradesh, Allahabad.
2. All Heads of Departments and Principal Heads of Offices, U. P.
3. All sections of the Secretariat.
4. Secretary, Assembly/Council, Uttar Pradesh, Lucknow.
5. Director, Printing and Stationery, Uttar Pradesh, Allahabad with request that the notification may please be printed in the next issue of State *Gazette*.

By order,

SHIV PRAKASH,

Sanyukta Sachiv.

पी० एस० यू० पी० — ए० पी० 176 सा०वित्त — 7-3-2000 — (2278) — 15,000 — कम्प्यूटर/आफसेट।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग-4

संख्या-सा-4-78/दस-2000

लखनऊ, दिनांक 29 फरवरी, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :--अप्रयुक्त वायुयान टिकटों के सम्बन्ध में लोकहित में निरस्त यात्राओं पर निरस्तीकरण प्रभार की प्रतिपूर्ति ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासकीय कार्यवश की जाने वाली वायुयान यात्राओं को लोकहित में रद्द किये जाने की स्थिति में अप्रयुक्त वायुयान टिकटों की वापसी के सम्बन्ध में निरस्तीकरण प्रभार की वापसी के लिए सरकारी सेवकों को अपने दावे स्टेशन मैनेजर इंडियन एयर लाइन्स/स्टेशन मैनेजर एयर इण्डिया (विदेश के लिए) अथवा अन्य एयरलाइन्स के सक्षम अधिकारी को अभिदिष्ट करने पड़ते हैं। इस सम्बन्ध में सरकारी सेवकों को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल महोदय ने सहर्ष यह आदेश प्रदान किये हैं कि शासकीय कार्यवश की जाने वाली यात्राओं को लोकहित में रद्द किये जाने पर वायुयान के अप्रयुक्त टिकटों की वापसी के सम्बन्ध में एयरवेज द्वारा जो धनराशि निरस्तीकरण प्रभार के रूप में काट ली जाती है उसकी प्रतिपूर्ति, नियंत्रक अधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर कि यात्रा पूर्णरूपेण जनहित में रद्द की गयी है, सरकारी सेवक को उस विभाग/कार्यालय द्वारा सीधे प्रासंगिक व्यय की मद से कर दी जाय जहां वह कार्यरत हो। यदि सम्बन्धित सरकारी सेवक अपने यात्रा भत्ते के सम्बन्ध में स्वयं नियंत्रक अधिकारी हो, तो इस प्रकार का प्रमाण-पत्र उसके द्वारा स्वयं दिया जायेगा ।

2--यह आदेश ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जिनमें निरस्तीकरण प्रभार की प्रतिपूर्ति सम्बन्ध में दावे स्टेशन मैनेजर इण्डियन एयर लाइन्स/स्टेशन मैनेजर एयर इण्डिया (विदेश के लिए) अथवा अन्य सम्बन्धित एयर लाइन्स को अभिदिष्ट किये गये हों ।

3--ये आदेश तत्काल प्रभावी होंगे ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

वी० के० शर्मा,
सचिव।

संख्या-सा-4-78(1) दस-2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1--महालेखाकार, आडिट प्रथम एवं द्वितीय, उ० प्र०, इलाहाबाद ।
2--महालेखाकार, द्वितीय, उ० प्र०, लखनऊ ।
3--सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उ० प्र०, लखनऊ ।
4--निदेशक, वित्तीय एवं प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ ।
5--शासन के समस्त विशेष सचिव/सचिव/प्रमुख सचिव ।
6--सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
7--समस्त कोषाधिकारी ।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव ।

यू०पी०पी० --एम०पी० 8 सा० वित्त० --10-4-2000--(91)--2000 --10,000 (सैकेण्ड) ।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या–सा–4–825/दस–99

प्रेषक,

श्री वी० के० शर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

लखनऊ: दिनांक 11 जनवरी, 2000

विषय :–सामान्य भविष्य निधि से स्वीकृत अस्थाई अग्रिम/प्रत्याहरण के देयकों का भुगतान।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग–4

शासनादेश संख्या सा-4-357/दस-99/502/85, दिनांक 15-5-99 तथा शासनादेश संख्या सा-4-387/दस-99, दिनांक 8-10-99 द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि सामान्य भविष्य निधि से अस्थायी अग्रिम/निष्कासन सामान्य भविष्य निधि (उ०प्र०) नियमावली, 1985 के प्राविधानों का पूर्ण अनुपालन कराते हुए ही स्वीकृत किये जाये। उपरोक्त शासनादेशों को निर्गत करने में शासन की केवल यही मंशा थी कि सामान्य भविष्य निधि (उ०प्र०) नियमावली, 1985 के प्राविधानों का पूर्ण अनुपालन कराते हुए वित्तीय अनुशासन लागू किया जाय। इस प्रकार अस्थायी अग्रिम/अन्तिम निष्कासन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया था।

2—अभिदाताओं द्वारा शासन के संज्ञान में यह बात लाई गयी है कि कोषाधिकारियों द्वारा स्वीकृत अस्थायी अग्रिम/अन्तिम निष्कासन के देयकों का भुगतान नहीं किया जा रहा है जिससे अभिदाताओं को अत्यन्त कठिनाई हो रही है।

अतः उपरोक्त शासनादेशों के अनुक्रम में मुझे पुनः यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि सामान्य भविष्य निधि से विभिन्न प्रयोजनों हेतु अस्थायी अग्रिम/अन्तिम निष्कासनों का सामान्य भविष्य निधि (उ०प्र०) नियमावली, 1985 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत गहन परीक्षण करने एवं प्रस्तुत साक्ष्यों से संतुष्ट होने पर ही अपरिहार्यता को देखते हुए स्वीकृत किया जाय ताकि कर्मचारियों में यह अवधारणा न बने कि अग्रिमों/निष्कासनों के भुगतान पर कोई प्रतिबन्ध है।

भवदीय,
वी० के० शर्मा,
सचिव।

संख्या सा-4-825(1)/दस-99, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, प्रथम व द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2—समस्त सचिव तथा प्रमुख सचिव, उ०प्र०, शासन।
3—सचिव, विधान सभा/परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
4—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5—निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 160 सा० वित्त—(2066)—5-2-2000—10,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या-सा-4-912/ दस-98-502/85

प्रेषक,

श्री शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक 3 दिसम्बर, 1998

विषयः—सामान्य भविष्य निधि से विशेष परिस्थितियों में अस्थाई अग्रिम तथा अंतिम निष्कासन की स्वीकृति।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग—4

विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत किये जाने वाले सामान्य भविष्य निधि से अस्थाई अग्रिम/अन्तिम प्रत्याहरण की सरसरी तौर पर अत्यन्त सतही कारणों के आधार पर स्वीकृति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या–सा–4–817/दस–98–502/85, दिनांक 12 नवम्बर, 1998 निर्गत किया गया था। किन्तु शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि कतिपय विभागों में अत्यन्त अपरिहार्य प्रयोजनों यथा–विवाह, बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती होने पर भी विशेष परिस्थितियों में अस्थायी अग्रिम एवं अन्तिम निष्कासन स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति शासन की अवधारणा के अनुरूप नहीं है।

2—इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 12 नवम्बर, 1998 से शासन की यह मंशा नहीं है कि अस्थाई अग्रिम/अन्तिम निष्कासन स्वीकृत ही न किये जायें। अपितु यह मंशा है कि प्रयोजनों की अपरिहार्यता/आवश्यकता का आंकलन स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा सही ढंग से किया जाये तथा स्वीकृति प्रदान करते समय अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि तथा उसकी आर्थिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाये। अतः अनुरोध है कि उपरिसंदर्भित शासनादेश दिनांक 12 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर–4 में उल्लिखित सक्षम अधिकारियों द्वारा सामान्य व विशिष्ट परिस्थितियों का सूक्ष्मता से गहन परीक्षण किया जाये तथा पुष्ट प्रमाणों के आधार पर ही विशिष्ट परिस्थितियों में अपरिहार्य एवं असामान्य रूप में ही अभिदाता की जमा धनराशि का सम्यक् विचार करते हुए तथा जिन कारणों से परिस्थितियां विशेष मानी गयी हैं, के विषय में स्वतः स्पष्ट आदेश अभिलिखित करते हुए ही विशेष परिस्थितियों में भविष्य निधि से अस्थाई अग्रिम/अन्तिम प्रत्याहरण की स्वीकृति प्रदान की जाये।

भवदीय,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या–सा-4-912(1)/दस–98-502/85. तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1— महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम व द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2— समस्त सचिव तथा प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

3— सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4— सचिवालय के समस्त अनुभाग।

5— निदेशक, वित्तीय प्रबंध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ०प्र०, लखनऊ।

6— समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–141 सा० वित्त—5-12-98—(1796)—1998—10,000—कम्प्यूटर/आफसेट।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा–4-817/दस—98–502-85

प्रेषक,

शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक 12 नवम्बर, 1998

विषय :–विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत किये जाने वाले अस्थायी अग्रिम/अन्तिम प्रत्याहरण की सरसरी तौर पर अत्यन्त सतही कारणों के आधार पर स्वीकृति।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग--4

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 में कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि खाते में अनिवार्य अभिदान तथा निधि से अग्रिम/निष्कासन की व्यवस्था की गई है। यह भविष्य निधि, परिवार के कठिन दिन के लिये व्यवस्था है। इस निधि में अभिदान करना इसलिए आवश्यक किया गया है, ताकि सरकारी सेवक अथवा उसका परिवार भविष्य की विषम आर्थिक परिस्थितियों में इससे अपनी अपरिहार्य आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पारिवारिक दायित्वों का समुचित ढंग से निर्वहन कर सके। सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण की उक्त निहित भावना को दृष्टिगत रखते हुए ही इस निधि को पूर्ण संरक्षण भी प्रदान किया गया है तथा इस निधि से किसी भी दशा में शासकीय क्षति की पूर्ति भी नहीं की जा सकती है और न ही इसे कोर्ट के आदेश या डिक्री के साथ सम्बद्ध किया जा सकता है।

2—"सामान्य भविष्य निधि (उ० प्र०) नियमावली, 1985" के नियम—13(2) में उल्लिखित प्रयोजनों हेतु नियम—13(4) की व्यवस्था के अनुसार विशेष कारणों के सिवाये कोई अग्रिम—

(एक) अभिदाता के तीन मास के वेतन या निधि में उसके खाते में जमा धनराशि के आधे से, इनमें जो भी कम हो, अधिक नहीं होगा, या

(दो) तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि समस्त पूर्ववर्ती अग्रिमों का अन्तिम प्रतिदान करने के पश्चात् कम से कम बारह मास व्यतीत न हो जायें।

इसी प्रकार अंतिम निष्कासन के मामलों में भी नियम—16(1) (क), (ख) एवं (ग) में उल्लिखित प्रयोजनों हेतु एक समय में प्रत्याहृत कोई धनराशि साधारणतया ऐसी धनराशि के आधे या छः मास के वेतन, जो भी कम हो, से अधिक स्वीकृत नहीं की जानी चाहिए। किन्तु विशेष मामलों में स्वीकृत प्राधिकारी ऐसे उद्देश्य जिसके लिये प्रत्याहरण किया जा रहा हो और अभिदाता के जमा खाते में विद्यमान धनराशि का सम्यक् ध्यान रखते हुए उपर्युक्त निर्धारित सीमा से अधिक तथा अभिदाता के जमाखाते में अतिशेष के तीन चौथाई तक प्रत्याहरण स्वीकृत कर सकता है।

3—प्रायः यह देखा गया है कि स्वीकृति प्राधिकारी सामान्य भविष्य निधि से अस्थायी अग्रिम तथा अन्तिम प्रत्याहरण स्वीकृत करते समय अत्यन्त उदारता बरतते हैं तथा अग्रिम/अन्तिम प्रत्याहरण के लिये दर्शाये गये प्रयोजनों का आंकलन सही ढंग से नहीं करते हैं और अग्रिम नितान्त नैत्यक रूप से स्वीकृत कर रहे हैं। यह भी देखा गया है कि उन प्रयोजनों को भी विशेष कारणों की श्रेणी में रखते हुए अग्रिम/अन्तिम प्रत्याहरण स्वीकृत कर दिया जाता है, जिसके लिए साधारणतया निर्धारित सीमा से अधिक अथवा निर्धारित समय से पूर्व अग्रिम/अन्तिम प्रत्याहरण स्वीकृत करने की अपरिहार्यता/आवश्कता नहीं होती है। फलस्वरूप कर्मचारियों में छोटे-छोटे अन्तराल पर अपने भविष्य निधि खाते से धन आहरित करने की प्रवृत्ति को बल मिल रहा है और अधिकांश अभिदाताओं के खाते में अति अल्प धनराशि ही शेष रह जाती है, जो विषम परिस्थिति आने पर अपर्याप्त सिद्ध होती है,

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

जिससे कर्मचारी का अप्रत्यक्ष रूप से मनोबल टूटता है। कतिपय मामलों में अनुकम्पा निधि आदि से मांग बढ़ी है। निश्चय ही यह स्थिति उपयुक्त नहीं कही जा सकती है।

4—अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामान्य भविष्य निधि का उपयोग सामान्य बचत खाते के रूप में न किया जाये तथा अस्थाई अग्रिम/अन्तिम प्रत्याहरण स्वीकृत करने में स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा विशेष सावधानी व सतर्कता अपनायी जाये। सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से अग्रिम/निष्कासन स्वीकार करने हेतु सक्षम अधिकारियों की सूची सामान्य भविष्य निधि (उ० प्र०) नियमावली, 1985 में दी गई है–केवल इन्हीं अधिकारियों जो साधारणतया विभागाध्यक्ष हैं द्वारा अग्रिम/निष्कासन की नियमानुसार स्वीकृति दी जा सकती है। विभागाध्यक्षों के मुख्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के मामलों में विशिष्ट कारणों से अग्रिम/सभी प्रकार के निष्कासन की स्वीकृति शासन स्तर पर प्रशासकीय विभागों द्वारा दी जायेगी। इन सभी सक्षम अधिकारियों द्वारा भी सामान्य व विशिष्ट परिस्थितियों का सूक्ष्मता से गहन परीक्षण किया जाये तथा पुष्ट प्रमाणों के आधार पर ही विशिष्ट परिस्थितियों में अपरिहार्य एवं आपवादिक रूप में ही अभिदाता की जमा धनराशि का सम्यक् विचार करते हुए तथा जिन कारणों से परिस्थितियां विशेष मानी गयी हैं, के विषय में स्वतः स्पष्ट आदेश अभिलिखित करते हुए ही भविष्य निधि से अस्थाई अग्रिम/अन्तिम प्रत्याहरण की स्वीकृति प्रदान की जाये। उपरोक्त से इतर जारी जी०पी०एफ० अग्रिम की स्वीकृतियां वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में मानी जायेंगी।

भवदीय,

शिव प्रकाश,

संयुक्त सचिव।

संख्या सा—4–817 (1)/दस—98-502-85, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम व द्वितीय, उ० प्र०, इलाहाबाद।

2—समस्त सचिव तथा प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

3—सचिव, विधान सभा/ विधान परिषद् उत्तर प्रदेश लखनऊ।

4—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

5—निदेशक, वित्तीय प्रबंध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ० प्र०, लखनऊ।

6—समस्त कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

शिव प्रकाश,

संयुक्त सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए० पी 116 सा० वित्त–19-11-98–(1651)–10,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-4

संख्या सा-4-642/दस-98-202-70

लखनऊ, 9 अक्तूबर, 1998

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या सा-4-924/दस-97-202-70, दिनांक 20 दिसम्बर, 1997 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों को कैलेण्डर वर्ष में एक बार 15 दिन के उपार्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा शासनादेश निर्गत होने की तिथि से अनुमन्य की गयी थी।

2—उक्त विषय पर पुनर्विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा अब दिनांक 20 दिसम्बर, 1997 के स्थान पर 1 नवम्बर, 1995 से अनुमन्य होगी।

3—उपरिसंदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 20 दिसम्बर, 1997 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा कार्यालय ज्ञाप की शेष शर्तें यथावत् प्रभावी रहेंगी।

शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

संख्या सा-4-642(1)/दस-98-202-70, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—महालेखाकार, लेखा प्रथम व द्वितीय, उ० प्र० इलाहाबाद।
2—महालेखाकार, आडिट प्रथम तथा द्वितीय, उ० प्र० इलाहाबाद।
3—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उ० प्र०, लखनऊ।
4—निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ पीठ।
5—प्रधानाचार्य, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद।
6—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०-137 सा० वित्त—30-11-98—(1752)—1998—10,000 (मेके०)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-4

संख्या सा-4-जी0 आई0-8/दस-98-59-81

लखनऊ, दिनांक 7 अगस्त, 1998

विज्ञप्ति

जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उ0 प्र0) नियमावली, 1985 के नियम-11 (1), कान्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड (उ0 प्र0) रूल्स के नियम-11(1) तथा कान्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड पेंशन-इन्श्योरेन्स रूल्स, 1948 के नियम-9 के प्राविधानों के अनुसार राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उ0 प्र0), कान्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड (उ0 प्र0) तथा उत्तर प्रदेश कान्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट पेंशन-इन्श्योरेन्स फण्ड में अभिदाताओं (सब्सक्राइबर्स) द्वारा वित्तीय वर्ष 1998-99 में जमा की गई तथा उनके नाम अवशेष पर ब्याज की दर उक्त खातों में जमा कुल राशि पर 12% (बारह प्रतिशत) प्रतिवर्ष होगी। यह दर 01 अप्रैल, 1998 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान लागू होगी।

2—ब्याज की गणना हेतु एक सद्योषणक (रेडीरेकनर) संलग्न है।

आज्ञा से,
सुशील चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

संख्या सा-4-जी0 आई0-8(1)/दस-98-59-81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद सहित निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस विज्ञप्ति को सरकारी गजट के अगले अंक में प्रकाशित कर दें।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

संख्या सा-4-जी0आई0-8(2)/दस-98-59-81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1—महालेखाकार, लेखा प्रथम व द्वितीय, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
2—सचिव, विधान सभा/परिषद्, उ0 प्र0, लखनऊ।
3—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4—निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 22/3, इन्दिरानगर, लखनऊ।
5—समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6—समस्त विभागों के वित्त नियंत्रक/वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग के वरिष्ठतम अधिकारी।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

भविष्य निर्वाह निधि में जमा अवशेष पर ब्याज के प्रागणन हेतु सहयोगपत्र

वर्ष 1998-99	ब्याज की दर 12 प्रतिशत ब्याज (रुपये)	वर्ष 1998-99	ब्याज की दर 12 प्रतिशत ब्याज (रुपये)
1	2	1	2
1	0.12	800	96.00
2	0.24	900	108.00
3	0.36	1,000	120.00
4	0.48	2,000	240.00
5	0.60	3,000	360.00
6	0.72	4,000	480.00
7	0.84	5,000	600.00
8	0.96	6,000	720.00
9	1.08	7,000	840.00
10	1.20	8,000	960.00
20	2.40	9,000	1,080.00
30	3.60	10,000	1,200.00
40	4.80	20,000	2,400.00
50	6.00	30,000	3,600.00
60	7.20	40,000	4,800.00
70	8.40	50,000	6,000.00
80	9.60	60,000	7,200.00
90	10.80	70,000	8,400.00
100	12.00	80,000	9,600.00
200	24.00	90,000	10,800.00
300	36.00	1,00,000	12,000.00
400	48.00		
500	60.00		
600	72.00		
700	84.00		

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

FINANCE (GENERAL) SECTION-4

No. G-4-G.I.8/X-98-59-81

Dated Lucknow, August 7, 1998

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN accordance with the provisions of Rule 11 (1) of the General Provident Fund (U. P.) Rules, 1985, Rule 11 (1) of the Contributory Provident Fund (U. P.) Rules and Rule 9 of the (U. P.) Contributory Provident Fund Pension-Insurance Rules, 1948, the Governor is pleased to announce that the rate of interest of deposits and also the balance of the credit of the subscribers to General Provident Fund (U. P.), Contributory Provident Fund (U. P.) and the U. P. Contributory Provident Pension-Insurance Fund shall be 12 per cent (Twelve per cent) per annum during the Financial year 1998-99 on all accounts. This rate shall be in force during the Financial year beginning on April 01, 1998.

2—A ready reckoner for calculation of interest is enclosed.

By order,
SUSHIL CHANDRA TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 72 सा० वित्त-12-9-99-(1080)-1999—10,000 (मेक०)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या-सा-4—179/दस-98-604-82 टी०सी०

प्रेषक,

आलोक रंजन,
सचिव, वित्त (वे० आ०)
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 20 फरवरी, 1998

विषय : सरकारी सेवकों को अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग-4

उपर्युक्त विषयक वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या सा-4—62/दस-96-604-82, दिनांक 18 मार्च, 1996 के अनुलग्नक के प्रस्तर-26 की व्यवस्थानुसार अवकाश यात्रा सुविधा पर होने वाला व्यय (देय अग्रिम सहित) मानक मद "वेतन" के नामे डाला जाता है।

2—उक्त सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मानक मद "01—वेतन" के समक्ष वेतन के अतिरिक्त बोनस, अवकाश यात्रा सुविधा एवं अवकाश के नकदीकरण का व्यय प्रदर्शित किया जाता है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1998-99 के संगत अनुदान के अन्तर्गत अवकाश यात्रा सुविधा पर होने वाले व्यय को मानक मद "01—वेतन" के स्थान पर मानक मद "04—यात्रा व्यय" के समक्ष प्रदर्शित किया जाये।

3—उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश संख्या सा-4—62/दस-96-604-82, दिनांक 18 मार्च, 1996 के अनुलग्नक का प्रस्तर-26 लेखा शीर्षक तदनुसार संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,
आलोक रंजन,
सचिव, वित्त (वे० आ०)।

संख्या-सा-4—179 (1)/दस-98-604-82 टी०सी०, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1—महालेखाकार, आडिट प्रथम तथा द्वितीय, उ० प्र०, इलाहाबाद।
2—महालेखाकार, लेखा प्रथम तथा द्वितीय, उ० प्र०, इलाहाबाद।
3—सचिव, विधान सभा/परिषद्, विधान भवन, लखनऊ।
4—प्रधानाचार्य, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
5—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6—समस्त वित्त नियंत्रक/लेखा संवर्ग के वरिष्ठतम् अधिकारी।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी०-147 सा० वित्त 11-3-98 (2597) 15,000 कम्प्यूटर/आफसेट।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या-सा-4—179/दस-98-604-82 टी०सी०

प्रेषक,

आलोक रंजन,
सचिव, वित्त (वे० आ०)
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 20 फरवरी, 1998

विषय : सरकारी सेवकों को अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग-4

उपर्युक्त विषयक वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या सा-4—62/दस-96-604-82, दिनांक 18 मार्च, 1996 के अनुलग्नक के प्रस्तर-26 की व्यवस्थानुसार अवकाश यात्रा सुविधा पर होने वाला व्यय (देय अग्रिम सहित) मानक मद "वेतन" के नामे डाला जाता है।

2—उक्त सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मानक मद "01—वेतन" के समक्ष वेतन के अतिरिक्त बोनस, अवकाश यात्रा सुविधा एवं अवकाश के नकदीकरण का व्यय प्रदर्शित किया जाता है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1998-99 के संगत अनुदान के अन्तर्गत अवकाश यात्रा सुविधा पर होने वाले व्यय को मानक मद "01—वेतन" के स्थान पर मानक मद "04—यात्रा व्यय" के समक्ष प्रदर्शित किया जाये।

3—उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश संख्या सा-4—62/दस-96-604-82, दिनांक 18 मार्च, 1996 के अनुलग्नक का प्रस्तर-26 लेखा शीर्षक तदनुसार संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,
आलोक रंजन,
सचिव, वित्त (वे० आ०)।

संख्या-सा-4—179 (1)/दस-98-604-82 टी०सी०, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1—महालेखाकार, आडिट प्रथम तथा द्वितीय, उ० प्र०, इलाहाबाद।
2—महालेखाकार, लेखा प्रथम तथा द्वितीय, उ० प्र०, इलाहाबाद।
3—सचिव, विधान सभा/परिषद्, विधान भवन, लखनऊ।
4—प्रधानाचार्य, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
5—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6—समस्त वित्त नियंत्रक/लेखा संवर्ग के वरिष्ठतम् अधिकारी।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी०-147 सा० वित्त 11-3-98 (2597) 15,000 कम्प्यूटर/आफसेट।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा 4–142/दस–99–502-85

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

प्रेषक,

श्री शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 24 फरवरी, 1999

विषय :–विभागाध्यक्षों के मुख्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि से विशेष कारणों से अस्थायी अग्रिम/सभी प्रकार के अन्तिम निष्कासन की स्वीकृति सम्बन्धी अधिकारों का पुनर्स्थापन।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग-4

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या सा–4–817/दस–98-502/85, दिनांक 12 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-4 में यह व्यवस्था की गई थी कि विभागाध्यक्षों के मुख्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के मामलों में सामान्य भविष्य निधि से विशेष कारणों से अग्रिम/सभी प्रकार के निष्कासन की स्वीकृति शासन स्तर पर प्रशा०वि० द्वारा दी जायेगी। उक्त निर्णय से कर्मचारियों के अस्थाई अग्रिम / अन्तिम प्रत्याहरण की स्वीकृति में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि विभागाध्यक्षों के मुख्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के विशिष्ट कारणों से अस्थाई अग्रिम/सभी प्रकार के अन्तिम निष्कासन की स्वीकृति पूर्ववत् सामान्य भविष्य निधि (उ०प्र०) नियमावली, 1985 की अनुसूची-2 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारियों तथा समय-समय पर वित्त विभाग की सहमति से एतदर्थ अधिकृत अधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी। अब ऐसे प्रकरण शासन के प्रशा०वि० को स्वीकृति हेतु संदर्भित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

2—उल्लेखनीय है कि उक्त के अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 12 नवम्बर, 1998 की शेष व्यवस्थायें यथावत् प्रभावी रहेंगी।

भवदीय,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

संख्या सा 4–142 (1)/दस–99–502-85, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम व द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2—समस्त सचिव तथा प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5—निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ०प्र०, लखनऊ।
6—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 182 सा०वित्त—12-3-99—(2406)—10,000—कम्प्यूटर /आफसेट।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

संख्या सा 4-142/दस-99-502-85

प्रेषक,

श्री शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 24 फरवरी, 1999

विषय :—विभागाध्यक्षों के मुख्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि से विशेष कारणों से अस्थायी अग्रिम/सभी प्रकार के अन्तिम निष्कासन की स्वीकृति सम्बन्धी अधिकारों का पुनर्स्थापन।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग-4

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या सा-4-817/दस-98-502/85, दिनांक 12 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-4 में यह व्यवस्था की गई थी कि विभागाध्यक्षों के मुख्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के मामलों में सामान्य भविष्य निधि से विशेष कारणों से अग्रिम/सभी प्रकार के निष्कासन की स्वीकृति शासन स्तर पर प्रशा०वि० द्वारा दी जायेगी। उक्त निर्णय से कर्मचारियों के अस्थाई अग्रिम / अन्तिम प्रत्याहरण की स्वीकृति में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि विभागाध्यक्षों के मुख्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के विशिष्ट कारणों से अस्थाई अग्रिम/सभी प्रकार के अन्तिम निष्कासन की स्वीकृति पूर्ववत् सामान्य भविष्य निधि (उ०प्र०) नियमावली, 1985 की अनुसूची-2 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारियों तथा समय-समय पर वित्त विभाग की सहमति से एतदर्थ अधिकृत अधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी। अब ऐसे प्रकरण शासन के प्रशा०वि० को स्वीकृति हेतु संदर्भित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

2—उल्लेखनीय है कि उक्त के अतिरिक्त शासनादेश दिनांक 12 नवम्बर, 1998 की शेष व्यवस्थायें यथावत् प्रभावी रहेंगी।

भवदीय,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

संख्या सा 4-142 (1)/दस-99-502-85, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम व द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2—समस्त सचिव तथा प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5—निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ०प्र०, लखनऊ।
6—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 182 सा०वित्त—12-3-99—(2406)—10,000—कम्प्यूटर /आफसेट।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या-सा-4-64/दस-99-200/88

प्रेषक,

सुशील चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 29 जनवरी, 1999

विषय : राज्य सरकार के समूह "क" एवं "ख" श्रेणी के अधिकारियों को सेवा अवधि में अवकाश नकदीकरण संबंधी सुविधा समाप्त करने तथा समूह "ग" तथा "घ" श्रेणी के कर्मचारियों के नकदीकरण की धनराशि संबंधित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में अनिवार्य रूप से जमा किया जाना।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग -4

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-1905/दस-81-202/70, दिनांक 30 अक्टूबर, 1981 तथा उक्त विषय पर समय-समय पर निर्गत शासनादेशों की व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य सरकार के सेवारत सरकारी सेवकों को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में उनके मूल वेतन के अनुसार 15/30 दिन के अनुमन्य अर्जित अवकाश के नकदीकरण की धनराशि का नकद भुगतान किया जाता था। शासनादेश संख्या-सा-4-851/दस-98-202/70, दिनांक 12 नवम्बर, 1998 द्वारा समस्त सरकारी सेवकों को अनुमन्य अवकाश नकदीकण की धनराशि का नकद भुगतान न करके सम्पूर्ण धनराशि उनके भविष्य निधि खाते में जमा करने के आदेश निर्गत किये गये थे।

2—एतद्द्वारा राज्यपाल महोदय सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित आदेश प्रदान करते हैं कि :—

(1) राज्य सरकार के समूह "क" एवं "ख" श्रेणी के समस्त अधिकारियों, जिनके अन्तर्गत राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी तथा माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी सम्मिलित हैं को सेवावधि में अनुमन्य अवकाश नकदीकरण की सुविधा समाप्त की जाती है।

(2) समूह "ग" एवं "घ" श्रेणी के कर्मचारियों को सेवावधि में अवकाश नकदीकरण की देय धनराशि का नकद भुगतान न करके उनके भविष्य निधि खाते में दिनांक 31 मार्च, 1999 तक जमा की जायेगी। यदि कोई सरकारी सेवक भविष्य निधि का सदस्य नहीं बन पाया है तो उसे उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सार्टिफिकेट के रूप में ही दी जायेगी। परन्तु धनराशि के जिस अंश का सार्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दे दी जायेगी। जिन सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति में छः माह अथवा उससे कम समय अवशेष है, उन्हें पूर्ववत् अवकाश नकदीकरण का नकद भुगतान किया जायेगा।

3—समूह "क" "ख" "ग" तथा "घ" श्रेणी का निर्धारण कार्मिक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/140/81-कार्मिक-1, दिनांक 27 फरवरी, 1982 में इंगित वेतनमान के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान में निर्धारित सादृश्यता के आधार पर होगा।

4—उपरोक्तानुसार संशोधित व्यवस्था कैलेण्डर वर्ष 1999 में देय अवकाश नकदीकरण से लागू होगी।

भवदीय,
सुशील चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

संख्या सा—4(1)/दस—99—200/88, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय तथा (आडिट) प्रथम व द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उ० प्र०, लखनऊ।

4—रजिस्ट्रार, हाई कोर्ट, इलाहाबाद।

5—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

शिव प्रकाश,

संयुक्त सचिव।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 157 सा० वित्त—3-2-99—(2172)—10,000—कम्प्यूटर/आफसेट।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या–सा –4–337/दस–99–502-85

प्रेषक,

मु० हलीम खां,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 15 मई, 1999

विषय : सामान्य भविष्य निधि से अस्थाई अग्रिम/अन्तिम निष्कासन की स्वीकृति में विलम्ब के कारण **कर्मचारियों में उत्पन्न निराधार आशंकाओं के निवारण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग –4

शासनादेश संख्या–सा–4–817/दस–98–502-85, दिनांक 12 नवंम्बर, 1998 तथा शासनादेश संख्या सा–4–912/दस–98–502-85, दिनांक 3 दिसम्बर, 1998 द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम/निष्कासन सामान्य भविष्य निधि (उ० प्र०) नियमावली, 1985 के प्राविधानों के अनुसार ही स्वीकृत किये जांय। केवल विभागाध्यक्षों के मुख्यालय पर स्थित कर्मचारियों के विशेष परिस्थिति में अग्रिम तथा अन्तिम निष्कासन के प्रकरण शासन में प्रशासकीय विभाग द्वारा स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था की गई थी, जिसे शासनादेश संख्या सा-4–142/दस-99–502-85, दिनांक 24 फरवरी, 1999 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। इसके परिप्रेक्ष्य में शासन की मंशा स्पष्ट रूप से सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम/निष्कासन स्वीकृत करते हुए सामान्य भविष्य निधि (उ० प्र०) नियमावली, 1985 के प्राविधान का पूर्ण अनुपालन कराते हुए वित्तीय अनुशासन लागू करना ही था। इसमें अग्रिम/निष्कासन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाये गये थे।

उपर्युक्त स्पष्ट आदेश होने के उपरान्त भी कतिपय विभागों में कर्मचारियों को अस्थाई अग्रिम/अन्तिम निष्कासन अत्यन्त अपरिहार्य परिस्थितियों में अन्यथा अनुमन्य होने की स्थिति में भी स्वीकृत नहीं किये जा रहे हैं, जिससे कर्मचारियों में यह संदेश जा रहा है कि सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम/निष्कासन पर कोई प्रतिबन्ध लगाया गया है, जो शासन की अवधारणा के अनुरूप नहीं है। वस्तुतः उक्त शासनादेशों की निहित भावना यही थी कि स्वीकृतकर्ता अधिकारी अग्रिम स्वीकृत करते समय नियमावली के संगत प्राविधानों का भली प्रकार अनुपालन सुनिश्चित करें, जिससे कि वित्तीय अनुशासन सुदृढ़ हो सके।

अतः उपरोक्त शासनादेशों के अनुक्रम में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि सामान्य भविष्य निधि खाते से विभिन्न प्रयोजनों हेतु अग्रिमों/निष्कासनों को स्वीकृत किये जाते समय सामान्य भविष्य निधि (उ०प्र०) नियमावली, 1985 में दिये गये प्राविधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्राविधानों से आच्छादित प्रकरणों में नियमानुसार यथाशीघ्र स्वीकृति की कार्यवाही की जाय, जिससे कर्मचारियों में यह धारणा न बने कि **अग्रिमों/निष्कासनों पर कोई प्रतिबन्ध है।**

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,
मु० हलीम खां,
सचिव।

संख्या–सा –4–337(1)/दस–99–502-85, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम व द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2—समस्त सचिव तथा प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उ० प्र०, लखनऊ।
4—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5—निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ० प्र०, लखनऊ।
6—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

संख्या सा. 4.6(1)/हम-99-200/88 तदिनांक

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या–सा -4–356/दस–99–200-88

प्रेषक,

मु० हलीम खां,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 19 मई, 1999

विषय : राज्य सरकार के समूह "ग" एवं "घ" के कर्मचारियों को सेवावधि में अनुमन्य अवकाश नकदीकरण की धनराशि का भुगतान।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग –4

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–सा–4–64/दस–99–200-88, दिनांक 29 जनवरी, 1999 द्वारा समूह "क" एवं "ख" के अधिकारियों को सेवावधि में अनुमन्य नकदीकरण की सुविधा समाप्त कर दी गई थी तथा समूह "ग" एवं "घ" के कर्मचारियों को सेवावधि में अनुमन्य अवकाश नकदीकरण की धनराशि का नकद भुगतान न करके सम्पूर्ण धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा करने की व्यवस्था दिनांक 31 मार्च, 1999 तक के लिए की गई थी।

2—एतद्द्वारा राज्यपाल महोदय सम्यक् विचारोपरान्त यह आदेश प्रदान करते हैं कि कैलेन्डर वर्ष 1999 हेतु समूह "ग" एवं "घ" के सरकारी कर्मचारियों को सेवावधि में अनुमन्य अवकाश नकदीकरण की धनराशि का 50 प्रतिशत नकद भुगतान किया जायेगा तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि सम्बन्धित कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी।

3—यह भी उल्लेखनीय है कि समूह "ग" एवं "घ" श्रेणी के कर्मचारियों के ऐसे प्रकरणों को, जिनमें इस शासनादेश के निर्गत होने के पूर्व अवकाश नकदीकरण स्वीकृत होने के कारण नकदीकरण की धनराशि सम्बन्धित सरकारी सेवक के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा हो चुकी है, पुनरोद्घाटित नहीं किया जायेगा, अर्थात् उन प्रकरणों में 50 प्रतिशत नकद भुगतान पर विचार नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार जिन मामलों में दिनांक 29 जनवरी, 1999 से पूर्व समूह "क" एवं "ख" श्रेणी के अधिकारियों को अवकाश नकदीकरण भुगतान किया जा चुका है, ऐसे प्रकरण यथावत् रहेंगे अर्थात् उन्हें संशोधित/निरस्त नहीं किया जाए, किन्तु जिन मामलों में दिनांक 29 जनवरी, 1999 अथवा उसके उपरान्त उक्त श्रेणी के अधिकारियों को अवकाश नकदीकरण स्वीकृत किया गया है ऐसे मामलों में स्वीकृति सम्बन्धी आदेशों को निरस्त किया जाय तथा अवकाश नकदीकरण की स्वीकृत धनराशि की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित अधिकारी के वेतन से एकमुश्त अथवा दिसम्बर, 1999 तक देय वेतन से समान किश्तों में की जाय। यह भी ध्यान रखा जाय कि ऐसी दशा में अवकाश नकदीकरण के कारण अभ्यर्पित किया गया उपार्जित अवकाश सम्बन्धित अधिकारी के अवकाश खाते में वापस अन्तरित हो जाय।

4—उक्त संशोधित व्यवस्था 1 अप्रैल, 1999 से प्रभावी होगी। शासनादेश दिनांक 29 जनवरी, 1999 की शेष व्यवस्था यथावत् रहेगी।

भवदीय,
मु० हलीम खां,
सचिव।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा–4–356(1)/दस–99–200-88, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय तथा (आडिट) प्रथम व द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

2—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

4—रजिस्ट्रार, हाई कोर्ट, इलाहाबाद।

5—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव ।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 22 सा० वित्त—24-5-99—(217)—10,000—कम्प्यूटर/आफसेट।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–4

संख्या सा-4—395/दस–99–600-99
लखनऊः दिनांकः 11 जून, 1999

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :–यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, उत्तर प्रदेश, 1998 के सातवें प्रतिवेदन पर लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय सरकारी सेवकों (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए) को कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा–4–1307/दस–88-600/88, दिनांक 23 सितम्बर, 1988 तथा इसके बाद समय-समय पर जारी शासनादेशों द्वारा स्वीकृत यात्रा भत्ता की दरों एवं व्यवस्था को निम्न प्रकार से पुनरीक्षित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1—यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ सरकारी सेवकों की अधिकृत श्रेणी :–

यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ सरकारी सेवक अब नये वेतनमानों में वायुयान/रेल से यात्रा करने हेतु निम्न प्रकार से प्राधिकृत होंगे :–

क्र०-संख्या	वेतन सीमा	यात्रा की अधिकृत श्रेणी
1	2	3
1	रुपये 25000 या इससे अधिक प्रतिमाह वेतन पाने वाले।	वायुयान का एक्जीक्यूटिव क्लास
2	रुपये 18400 प्रतिमाह या इससे अधिक वेतन पाने वाले।	वायुयान अथवा रेल का वातानुकूलित कोच (प्रथम श्रेणी) अथवा शताब्दी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास।
3	रुपये 16400 से 18399 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले।	रेल का वातानुकूलित कोच (प्रथम श्रेणी) तथा 500 कि० मी० से अधिक की यात्रा पर वायुयान अथवा शताब्दी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास।
4	रुपये 8000 से 16399 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	रेल की प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कोच (द्वितीय श्रेणी) 2—टियर अथवा शताब्दी एक्सप्रेस में वातानुकूलित चेयर कार।
5	रुपये 5000 से 7999 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले।	रेल की प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कोच 3—टियर/ए० सी० चेयरकार (शताब्दी एक्सप्रेस को छोड़कर)।
6	रुपये 5000 प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले	रेल की द्वितीय श्रेणी (स्लीपर)।

2—आनुषंगिक व्यय :–

(I) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम—23 (1) के अन्तर्गत सरकारी सेवकों को वर्तमान में वेतनमान के आधार पर अनुमन्य आनुषंगिक व्यय नये वेतनमान में निम्न प्रकार अनुमन्य होगा :–

क्र०-संख्या	वेतन सीमा	आनुषंगिक व्यय की दर
1	2	3
1	रुपये 8000 प्रतिमाह या इससे अधिक वेतन पाने वाले।	11.0 पैसे प्रति कि० मी०
2	रुपये 5000 से रुपये 7999 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले।	8.0 पैसे प्रति कि० मी०
3	रुपये 5000 प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले	5.0 पैसे प्रति कि० मी०

(II) हवाई यात्रा के दौरान आनुषंगिक व्यय की दरें रुपये 30 प्रति यात्रा की दर से अनुमन्य होगा।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

3—दैनिक भत्ता :–

(क) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम–23 (सी) (1) के अधीन अनुमन्य दैनिक भत्ते की वर्तमान दरों के स्थान पर निम्नलिखित पुनरीक्षित दरें लागू होंगी :–

सरकारी सेवक का वर्ग	"क" वर्ग के नगरों के लिए दरें जिनमें नगरपालिकायें तथा कन्टोनमेन्ट और निकटवर्ती नोटीफाइड एरियाज जहां कहीं विद्यमान हों, सम्मिलित होंगी :–कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, गोरखपुर, मेरठ, नैनीताल, मंसूरी, देहरादून और गाजियाबाद।	"ख" वर्ग के नगरों के लिये दरें जिनमें नगरपालिकायें तथा कैन्टोनमेन्ट और निकटवर्ती नोटीफाइड एरियाज जहां कहीं विद्यमान हों सम्मिलित होंगी :–मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, सहारनपुर, मथुरा, रामपुर, मिर्जापुर, शाहजहांपुर, हरिद्वार, फैजाबाद, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर और फर्रुखाबाद।	साधारण दर (स्तम्भ 1, 2 में उल्लिखित स्थानों से भिन्न स्थानों के लिये)।

(धनराशि रुपये में)

1	2	3	4
1- रुपये 16400 प्रतिमाह या इससे अधिक वेतन पाने वाले।	155.00	125.00	100.00
2- रुपये 8000 से रुपये 16399 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले।	140.00	110.00	90.00
3- रुपये 6500 से रुपये 7999 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले।	120.00	95.00	80.00
4- रुपये 4100 से रुपये 6499 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले।	100.00	80.00	65.00
5- रुपये 4100 प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले।	65.00	50.00	40.00

उपरोक्त तालिका के "क" वर्ग के नगरों में रुपये 8000 या इससे अधिक प्रतिमाह वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों को जिन्हें अन्य संस्थान अथवा होटल में ठहरना पड़े पूर्व शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नानुसार विशेष दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा :–

(रुपये में)

क्र०-संख्या	वेतन सीमा	विशेष दैनिक भत्ते की दरें
1	2	3
1	रुपये 16400 प्रतिमाह या इससे अधिक वेतन पाने वाले।	400.00
2	रुपये 8000 से रुपये 16399 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले।	300.00

(ख) उत्तर प्रदेश के बाहर के स्थानों पर सरकारी सेवकों को उन्हीं दरों से दैनिक भत्ता अनुमन्य होगा जैसा कि उन स्थानों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अनुमन्य है। यदि सरकारी सेवक को किसी होटल या अन्य संस्थान में जहां ठहरने और/अथवा ठहरने व भोजन की व्यवस्था शेड्यूल्ड टैरिफ पर उपलब्ध है, रहना पड़े तो उसे भारत सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य विशेष दर पर दैनिक भत्ता अथवा वास्तविक व्यय जो भी कम हो देय होगा। वास्तविक व्यय का तात्पर्य ठहरने के लिये दिये गये किराये से है। भोजन पर व्यय इसमें सम्मिलित नहीं होगा। वास्तविक व्यय की पुष्टि में वाउचर प्रस्तुत करना होगा।

(ग) प्रदेश के बाहर स्थानीय यात्राओं पर वास्तविक व्यय तथा निःशुल्क आवास अथवा निःशुल्क आवास एवं भोजन दोनों उपलब्ध होने की दशा में दैनिक भत्ते पर वर्तमान में जो प्रतिबन्ध हैं वे यथावत् रहेंगे।

4—सड़क द्वारा की जाने वाली यात्राओं के लिए सड़क मील भत्ता :–

सरकारी सेवकों को सड़क द्वारा की गई यात्राओं के लिए वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम–23 (बी) (2) के अधीन सड़क मील भत्ता अनुमन्य है। सरकारी सेवकों को नये वेतनमानों में सड़क मील भत्ता अब निम्न प्रकार देय होगा।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

(I) रुपये 10,000 प्रतिमाह या उससे अधिक वेतन पाने वाले सरकारी सेवक :–

(क) मोटर कार, मोटर ट्रक, मोटर कैरियर या जीप कार से प्रतिमाह की गई सड़क यात्राओं के लिए :–

	रुपये प्रति कि० मी०	
	पेट्रोल चालित वाहन	डीजल चालित वाहन
(1) प्रथम 500 कि० मी० तक तय की गई दूरी के लिये	4.50	3.50
(2) 500 कि० मी० से अधिक परन्तु 1200 कि० मी० तक तय की गई दूरी के लिये।	3.25	2.75
(3) 1200 कि० मी० से अधिक तय की गई दूरी के लिये	शून्य	शून्य
(ख) उपरोक्त (क) में वर्णित वाहनों के अलावा पेट्रोल/डीजल चालित अन्य वाहनों तथा मोटर साइकिल/स्कूटर इत्यादि से की गई सड़क यात्राओं के लिये।	रुपये 2.00 प्रति कि० मी० इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिये रुपये 400 से अधिक की धनराशि अनुमन्य न होगी।	
(ग) पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के साधनों के अलावा अन्य वाहनों से/पैदल की गई सड़क यात्राओं के लिये।	रु० 0.60 प्रति कि० मी० इस प्रतिबन्ध के अधीन कि इस मास में ऐसी यात्राओं के लिये रु० 120 से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी।	

(II) रु० 10,000 प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले सरकारी सेवक :—

(क) पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के किसी भी साधन से की गई सड़क यात्राओं के लिये।	रु० 2.00 प्रति कि०मी० इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिये रु० 400 से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी।
(ख) पेट्रोल/डीजल चालित वाहन के साधनों के अलावा अन्य वाहनों से या पैदल की गई सड़क यात्राओं के लिये।	रु० 0.60 प्रति कि० मी० इस प्रतिबन्ध के अधीन कि एक मास में ऐसी यात्राओं के लिये रुपये 120 से अधिक धनराशि अनुमन्य न होगी।

(III) यात्राओं पर जाते समय तथा गन्तव्य स्थान से वापसी में निवास स्थान से बस स्टेशन/रेलवे स्टेशन के बीच की जाने वाले अल्प दूरी की यात्राओं के लिये समस्त सरकारी सेवकों को रु० 1.75 प्रति कि० मी० के स्थान पर अब रु० 4.00 प्रति कि० मी० की दर से सड़क मील भत्ता ग्राह्य होगा। उक्त अल्प दूरियों की गणना पूर्ववत् वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-14 सपठित परिशिष्ट-5 के आधार पर ही की जायेगी।

जनहित में की जाने वाली यात्राओं के सम्बन्ध में शासकीय सेवकों से यह भी अपेक्षित है कि वे टैक्सी इत्यादि के स्थान पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट (रेलगाड़ी या बस) का यथासम्भव अधिकाधिक प्रयोग करें।

स्थानान्तरण की दशा में अन्य सुविधायें :—

(अ) घरेलू सामान की ढुलाई—

सरकारी सेवकों को उनके स्थानान्तरण के अवसर पर व्यक्तिगत सामान की ढुलाई के लिये वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-42 (2) (1) (111) में अंकित भार की सीमा तक ढुलाई पर हुए वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य है। सरकारी सेवकों को उनके नये वेतनमानों में व्यक्तिगत सामान की ढुलाई पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अब निम्न सीमा के अधीन की जायेगी :—

यदि यात्रा परिवार सहित की गई हो :—

सरकारी सेवक/वेतन सीमा	व्यक्तिगत सामान की ढुलाई के लिये अधिकतम सीमा
1—रु० 16400 प्रतिमाह या इससे अधिक वेतन पाने वाले	6000 कि०ग्रा० या 4 पहियों का एक वैगन
2—रु० 8000 से रु० 16399 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	6000 कि०ग्रा० या 4 पहियों का एक वैगन
3—रु० 6500 से रु० 7999 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	3000 कि०ग्रा०
4—रु० 4100 से रु० 6499 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	2500 कि०ग्रा०
5—रु० 4100 प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले	1250 कि०ग्रा०

यदि यात्रा स्वयं अकेले की गई हो :—

यदि स्थानान्तरण के अवसर पर सरकारी सेवक ने स्वयं ही अकेले यात्रा की हो तो उस स्थिति में उल्लिखित भार के 2/3 भाग तक की अधिकतम सीमा तक के व्यक्तिगत सामान की ढुलाई का व्यय ही देय होगा।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

(ब) एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान (कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रान्ट)—

कम्पोजिट ट्रांन्सफर ग्रान्ट प्रदेश के शासकीय सेवकों को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण हाने की दशा में देय होगा तथा इसमें अब तक मिल रहे पैकिंग भत्ता, आवास से रेलवे स्टेशन/बस स्टेशन के लिए सड़क मील भत्ता एवं सरकारी सेवकों तथा उसके परिवार के सदस्यों को स्थानान्तरण पर यात्रा की दशा में मिलने वाले आनुषंगिक व्यय को समाहित माना जायेगा अर्थात् कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रान्ट अनुमन्य होने पर अब उपरोक्त भत्ते देय नहीं होंगे।

एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण होने की दशा में कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रान्ट के रूप में सम्बन्धित सरकारी सेवक को आधे माह के मूल वैतन अधिकतम रु० 10,000/- की सीमा के अधीन धनराशि अनुमन्य होगी।

जिले के अन्तर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण की स्थिति में कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रान्ट के स्थान पर निम्नानुसार पैकिंग भत्ता अनुमन्य होगा :—

क्रम-संख्या	वेतन सीमा	पैकिंग भत्ते की दर (रु० में)
1	रु० 6500 प्रतिमाह या इससे अधिक मूल वेतन पाने वाले	500.00
2	रु० 6499 प्रतिमाह तक मूल वेतन पाने वाले	250.00

स्थानान्तरण यात्रा सम्बन्धी व्यय को सीमिति रखने के उद्देश्य से पत्रावलियों के माध्यम से स्थानान्तरण के जो प्रस्ताव उच्चाधिकारियों/मा० मंत्रिगणों के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हों, उनमें यह अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय कि चालू वित्तीय वर्ष में स्थानान्तरण यात्रा भत्ता के रूप में विभाग में कुल कितनो धनराशि उक्त मद पर देय हो चुकी है और कितनी धनराशि की देयता सृजित हो रही है।

2—ऐसे सरकारी कर्मचारियों को जिनके वेतनमान पुनरीक्षित नहीं हुए हैं/किये गये हैं अथवा जो वर्तमान वेतनमान बनाये रखने का विकल्प प्रस्तुत करते हैं, यात्रा भत्ता की उपरोक्त विभिन्न संशोधित पुनरीक्षित दरों की अनुमन्यता के लिए उनके वेतन स्तर के निर्धारण हेतु "वेतन" का तात्पर्य मूल वेतन के अतिरिक्त दिनांक 1-1-1996 को शासनादेश संख्या वे०आ०–1–297/दस-48 (एम)/88, दिनांक 21-5-96 के अनुसार देय मंहगाई भत्ता और शासनादेश संख्या–वे०आ०-1-2043/दस-93-39 (एम)/93, दिनांक 14-10-1993 तथा शासनादेश संख्या–वे०आ०-1–624/दस-39 (एम)/93 टी०सी०, दिनांक 16-8-1995 के अनुसार देय अन्तिरिम सहायता क्रमशः 100 रुपये प्रतिमाह की प्रथम किस्त तथा वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु कम से कम 100 रुपये प्रतिमाह की द्वितीय किश्त का योग होगा।

3—यह आदेश दिनांक 1 जून, 1999 से प्रभावी होंगे अर्थात् उन सभी यात्राओं के सम्भन्ध में लागू होंगे जोकि उक्त तिथि को या उसके पश्चात् प्रारम्भ हुई हों परन्तु जिन मामलों में इन आदेशों के पूर्व प्रभावी नियमों/दरों के अधीन यात्रा भत्ता आहरित किया जा चुका होगा उन्हें पुनरोद्घाटित नहीं किया जायेगा।

4—वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के सुसंगत नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किये जायेंगे।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

मु० हलीम खां,
सचिव।

संख्या सा-4—395 (1)/दस-99–600-99, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित :—

1—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लेखा-प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
2—महालेखाकार, उ० प्र०, आडिट, प्रथम व द्वितीय, इलाहाबाद।
3—सचिवालय के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
4—सचिव, विधान सभा/परिषद्, विधान भवन, लखनऊ।
5—निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ।
6—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7—वित्त (पदमाप दण्ड निर्धारण) अनुभाग।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 32 सा० वित्त–17-6-99—(425)—15,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4

संख्या-सा-4-392/दस-99-203-86
लखनऊ : दिनांक 1 जुलाई, 1999

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :- अवकाश खाते में उपार्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा में वृद्धि।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना संख्या-सा-4-1071/दस-92-201-76, दिनांक 21-12-1992 एवं सा-4-1072/दस-92-201-76, दिनांक 21-12-1992 द्वारा संशोधित वित्तीय नियमावली खण्ड-2, भाग-2-4 के मूल नियम 81-बी (1) एवं सहायक नियम-157-ए(1) में यह प्रतिबन्ध है कि जब सरकारी सेवक द्वारा अर्जित किये गये कुल उपार्जित अवकाश का योग 240 दिन हो जायेगा तो वह ऐसा अवकाश अर्जित नहीं करेगा।

2-उपर्युक्त के संबंध में वेतन समिति, उत्तर प्रदेश (1998) के सातवें प्रतिवेदन तथा उस पर लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय ने सरकारी सेवकों के अवकाश खाते में उपार्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा 240 दिन के स्थान पर 300 दिन निर्धारित करने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है।

3-यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

4-संबंधित अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय पृथक से किया जायेगा।

मु0 हलीम खां
सचिव।

सेवा में,
समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

संख्या-सा-4-392(1)/दस-99-203-86, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-महालेखाकार, प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2-महालेखाकार, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3-वित्त(वेतन आयोग) अनुभाग-1।

4-सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, विधान भवन, लखनऊ।

5-निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ।

6-सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 47 सा0वित्त-10-7-99-(613)-12,000 प्रतियाँ (इले0/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–4

संख्या सा-4-जी0 आई0-6/दस–99–59-81

लखनऊ, दिनांक 26 अगस्त, 1999

विज्ञप्ति

विविध

जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उ0 प्र0) रूल्स, 1985 के नियम–11 (1); कान्ट्रीब्युट्री प्राविडेन्ट फण्ड (उ0 प्र0) रूल्स के नियम–11(1) तथा कान्ट्रीब्युट्री प्राविडेन्ट फण्ड पेंशन-इन्श्योरेन्स रूल्स, 1948 के नियम–9 के प्राविधानों के अनुसार राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उ0 प्र0); कान्ट्रीब्युट्री प्राविडेन्ट फण्ड (उत्तर प्रदेश) तथा (उत्तर प्रदेश) कान्ट्रीब्युट्री प्राविडेन्ट पेंशन-इन्श्योरेन्स फण्ड में अभिदाताओं (सब्सक्राइबर्स) द्वारा वित्तीय वर्ष 1999–2000 में जमा की गई तथा उनके नाम अवशेष पर ब्याज की दर सभी खातों में जमा कुल राशि पर 12% (बारह प्रतिशत) प्रतिवर्ष होगी। यह दर 1 अप्रैल, 1999 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान लागू होगी।

2—ब्याज की गणना हेतु एक सद्योपणक (रेडीरेकनर) संलग्न है।

आज्ञा से,
सुशील चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

संख्या सा–4-जी0 आई0-6 (I)/दस-99-59=81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद सहित निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस विज्ञप्ति को सरकारी गजट के अगले अंक में प्रकाशित कर दें।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

संख्या सा-4-जी0आई0-6 (II)/दस-99-59-81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—महालेखाकार, लेखा प्रथम व द्वितीय, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
2—सचिव, विधान सभा/परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4—निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 22/3, इन्दिरानगर, लखनऊ।
5—समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

भविष्य निर्वाह निधि में जमा अवशेष पर ब्याज के प्रावधान हेतु सहयोगपक

वर्ष 1999-2000	ब्याज की दर 12 प्रतिशत ब्याज (रुपये)	वर्ष 1999-2000	ब्याज की दर 12 प्रतिशत ब्याज (रुपये)
1	2	3	4
1	0.12	800	96.00
2	0.24	900	108.00
3	0.36	1,000	120.00
4	0.48	2,000	240.00
5	0.60	3,000	360.00
6	0.72	4,000	480.00
7	0.84	5,000	600.00
8	0.96	6,000	720.00
9	1.08	7,000	840.00
10	1.20	8,000	960.00
20	2.40	9,000	1,080.00
30	3.60	10,000	1,200.00
40	4.80	20,000	2,400.00
50	6.00	30,000	3,600.00
60	7.20	40,000	4,800.00
70	8.40	50,000	6,000.00
80	9.60	60,000	7,200.00
90	10.80	70,000	8,400.00
100	12.00	80,000	9,600.00
200	24.00	90,000	10,800.00
300	36.00	1,00,000	12,000.00
400	48.00		
500	60.00		
600	72.00		
700	84.00		

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

FINANCE (GENERAL) SECTION-4

No. G-4-G.I.6/X-99-59-81

Dated Lucknow, August 26, 1999

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN accordance with the provisions of Rule 11 (1) of the General Provident Fund (U. P.) Rules, 1985, Rule 11 (1) of the Contributory Provident Fund (U. P.) Rules and Rule 9 of the (U. P.) Contributory Provident Fund Pension Insurance Rules, 1948, the Governor is pleased to announce that the rate of interest of deposits and also of the balance of the credit of the subscribers to General Provident Fund (U. P.), Contributory Provident Fund (U.P.) and the (U. P.) Contributory Provident Pension Insurance Fund shall be 12 per cent (Twelve per cent) per annum during the Financial year 1999-2000 on all accounts. This rate shall be in force during the Financial year beginning on April 1, 1999.

2. A ready reckoner for calculation of interest is enclosed.

By order,
SUSHIL CHANDRA TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

को० एस० यू० पी०—ए० पी० 73 सा० वित्त -12-9-99-(1081)-1999—10,000 (मेक०)

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

FINANCE (GENERAL) SECTION-4

No. G-4-G.I.6/X-99-59-81

Dated Lucknow, August 26, 1999

NOTIFICATION

MISCELLANEOUS

IN accordance with the provisions of Rule 11 (1) of the General Provident Fund (U. P.) Rules, 1985, Rule 11 (1) of the Contributory Provident Fund (U. P.) Rules and Rule 9 of the (U. P.) Contributory Provident Fund Pension Insurance Rules, 1948, the Governor is pleased to announce that the rate of interest of deposits and also of the balance of the credit of the subscribers to General Provident Fund (U. P.), Contributory Provident Fund (U.P.) and the (U. P.) Contributory Provident Pension Insurance Fund shall be 12 per cent (Twelve per cent) per annum during the Financial year 1999-2000 on all accounts. This rate shall be in force during the Financial year beginning on April 1, 1999.

2. A ready reckoner for calculation of interest is enclosed.

By order,
SUSHIL CHANDRA TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 73 सा० वित्त -12-9-99-(1081)-1999—10,000 (मेक०)

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा-4—387/दस-99-502-85

प्रेषक,

श्री सुशील चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक 8 अक्तूबर, 1999

विषय :–सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से विशेष परिस्थितियों में अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति में सावधानी बरतना।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग–4

भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के नियम 13(4) में यह प्राविधान किया गया है कि विशेष कारणों के सिवाय कोई भी अग्रिम अभिदाता के तीन मास के वेतन या निधि से उसके खाते में जमा धनराशि के आधे से, इनमें जो भी कम हो, से अधिक धनराशि को नहीं स्वीकृत किया जायेगा और ऐसा अग्रिम तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि समस्त पूर्ववर्ती अग्रिमों का अन्तिम प्रतिदान करने के पश्चात् कम से कम 12 मास व्यतीत न हो जाये। उपरोक्त अस्थायी अग्रिमों के अलावा जो अग्रिम विशेष कारणों से स्वीकृत किये जाने होते हैं उनमें स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा विशेष कारणों का उल्लेख अवश्य किया जाना होता है और ऐसे विशेष अग्रिमों की स्वीकृति के संबंध में स्वीकर्ता प्राधिकारियों द्वारा विशेष कारणों की समीक्षा करके ही अग्रिम स्वीकृत किये जाने और भविष्य निधि खाते का उपयोग बैंक खाते की तरह किये जाने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए शासन द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं लेकिन यह देखा गया है कि अभी भी स्वीकर्ता प्राधिकारियों द्वारा विशेष परिस्थितियों के कारण आवेदित अग्रिमों की स्वीकृति में प्रायः उदारता बरती जा रही है जिसका परिणाम यह हो रहा है कि अभिदाता एक अग्रिम की प्रतिपूर्ति कराये बिना ही बार-बार अग्रिम आहरित कर रहे हैं जिससे उनके भविष्य निधि खाते में बहुत कम धनराशि शेष रह जाती है। इस स्थिति की ओर आपका ध्यान पहले भी शासन के वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या–सा–4—817/दस–98-502—85, दिनांक 12-11-1998 द्वारा आकर्षित करते हुए यह अनुरोध किया गया था कि सक्षम अधिकारियों के द्वारा भविष्य निर्वाह निधि से विशेष परिस्थितियों में अग्रिम की स्वीकृति से पहले सूक्ष्मता से गहन परीक्षण किया जाये और पुष्ट प्रमाणों के आधार पर ही अपरिहार्य एवं अपवादिक रूप में अग्रिम की स्वीकृति दी जाये और जिन कारणों से परिस्थितियां विशेष मानी जायें उनके बारे में स्वीकृति के आदेश में स्पष्ट अंकन किया जाये। प्रायः शासन के विभिन्न आदेशों के अन्तर्गत वेतनमानों के पुनरीक्षण के एरियर की धनराशि, बोनस की धनराशि एवं महंगाई भत्ते के एरियर की धनराशि सरकारी सेवकों के भविष्य निर्वाह निधि में जमा कर दी जाती है और ऐसी जमा धनराशियों को निर्दिष्ट समयावधि से पूर्व आहरित करने पर प्रतिबन्ध रहता है। अतः अभिदाताओं के खातों से सामान्य, विशेष एवं अन्तिम अग्रिमों/प्रत्याहरणों की स्वीकृति के लिए ऐसी जमा धनराशियों को कुल जमा धनराशि में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करना स्वीकर्ता अधिकारियों का व्यक्तिगत दायित्व होगा।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

2—आपसे पुनः अनुरोध करने का मुझे निदेश हुआ है कि सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से विशेष कारणों से स्वीकृत किये जाने वाले अग्रिमों के संबंध में अत्यन्त सावधानी बरती जाए एवं और विशेष कारणों की गहन समीक्षा एवं उसके संबंध में प्रस्तुत प्रमाण की पर्याप्तता से संतुष्ट होने के बाद ही ऐसा अग्रिम स्वीकृत किया जाये और अभिदाताओं द्वारा अनावश्यक रूप से बार-बार अग्रिम लिये जाने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाये ताकि अभिदाताओं के हित में उनके वेतन की जो धनराशि भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जमा होती है उसकी फिजूलखर्ची न होने पाये और भविष्य निधि में जमा धन अभिदाताओं के आड़े वक्त में काम आये। यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 12-11-1998 में पहले ही यह स्पष्ट किया जा चुका है कि उक्त शासनादेश में निहित निर्देशों के विपरीत जी०पी०एफ० अग्रिमों की स्वीकृतियों को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में माना जायेगा और इन अनियमितताओं के लिए स्वीकर्ता अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है। अतः आशा है कि सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से विशेष कारणों से स्वीकृत किये जाने वाले अग्रिमों के संबंध में आपके द्वारा पूर्ण सजगता बरती जाएगी और समय-समय पर शासनादेशों में जारी निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

भवदीय,

सुशील चन्द्र त्रिपाठी,

प्रमुख सचिव।

संख्या सा–4—387(1)/दस–99-502-85, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

3— सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, शासन।

4— सचिवालय के समस्त अनुभाग।

5— निदेशक, वित्तीय प्रबंध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ०प्र०, लखनऊ।

6— समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

पीताम्बर भट्ट,

विशेष सचिव।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 100 सा० वित्त—28-10-99—(1360)—12,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा–4—387/दस–99-502-85

प्रेषक,

श्री सुशील चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक 8 अक्तूबर, 1999

विषय :–सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से विशेष परिस्थितियों में अस्थायी अग्रिम की स्वीकृति में सावधानी बरतना।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग–4

भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के नियम 13(4) में यह प्राविधान किया गया है कि विशेष कारणों के सिवाय कोई भी अग्रिम अभिदाता के तीन मास के वेतन या निधि से उसके खाते में जमा धनराशि के आधे से, इनमें जो भी कम हो, से अधिक धनराशि को नहीं स्वीकृत किया जायेगा और ऐसा अग्रिम तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि समस्त पूर्ववर्ती अग्रिमों का अन्तिम प्रतिदान करने के पश्चात् कम से कम 12 मास व्यतीत न हो जाये। उपरोक्त अस्थायी अग्रिमों के अलावा जो अग्रिम विशेष कारणों से स्वीकृत किये जाने होते हैं उनमें स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा विशेष कारणों का उल्लेख अवश्य किया जाना होता है और ऐसे विशेष अग्रिमों की स्वीकृति के संबंध में स्वीकर्ता प्राधिकारियों द्वारा विशेष कारणों की समीक्षा करके ही अग्रिम स्वीकृत किये जाने और भविष्य निधि खाते का उपयोग बैंक खाते की तरह किये जाने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए शासन द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं लेकिन यह देखा गया है कि अभी भी स्वीकर्ता प्राधिकारियों द्वारा विशेष परिस्थितियों के कारण आवेदित अग्रिमों की स्वीकृति में प्रायः उदारता बरती जा रही है जिसका परिणाम यह हो रहा है कि अभिदाता एक अग्रिम की प्रतिपूर्ति कराये बिना ही बार-बार अग्रिम आहरित कर रहे हैं जिससे उनके भविष्य निधि खाते में बहुत कम धनराशि शेष रह जाती है। इस स्थिति की ओर आपका ध्यान पहले भी शासन के वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या–सा–4—817/दस–98-502—85, दिनांक 12-11-1998 द्वारा आकर्षित करते हुए यह अनुरोध किया गया था कि सक्षम अधिकारियों के द्वारा भविष्य निर्वाह निधि से विशेष परिस्थितियों में अग्रिम की स्वीकृति से पहले सूक्ष्मता से गहन परीक्षण किया जाये और पुष्ट प्रमाणों के आधार पर ही अपरिहार्य एवं अपवादिक रूप में अग्रिम की स्वीकृति दी जाये और जिन कारणों से परिस्थितियां विशेष मानी जायें उनके बारे में स्वीकृति के आदेश में स्पष्ट अंकन किया जाये। प्रायः शासन के विभिन्न आदेशों के अन्तर्गत वेतनमानों के पुनरीक्षण के एरियर की धनराशि, बोनस की धनराशि एवं महंगाई भत्ते के एरियर की धनराशि सरकारी सेवकों के भविष्य निर्वाह निधि में जमा कर दी जाती है और ऐसी जमा धनराशियों को निर्दिष्ट समयावधि से पूर्व आहरित करने पर प्रतिबन्ध रहता है। अतः अभिदाताओं के खातों से सामान्य, विशेष एवं अन्तिम अग्रिमों/प्रत्याहरणों की स्वीकृति के लिए ऐसी जमा धनराशियों को कुल जमा धनराशि में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इस बात को सुनिश्चित करना स्वीकर्ता अधिकारियों का व्यक्तिगत दायित्व होगा।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

2—आपसे पुनः अनुरोध करने का मुझे निदेश हुआ है कि सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से विशेष कारणों से स्वीकृत किये जाने वाले अग्रिमों के संबंध में अत्यन्त सावधानी बरती जाए एवं और विशेष कारणों की गहन समीक्षा एवं उसके संबंध में प्रस्तुत प्रमाण की पर्याप्तता से संतुष्ट होने के बाद ही ऐसा अग्रिम स्वीकृत किया जाये और अभिदाताओं द्वारा अनावश्यक रूप से बार-बार अग्रिम लिये जाने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाये ताकि अभिदाताओं के हित में उनके वेतन की जो धनराशि भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जमा होती है उसकी फिजूलखर्ची न होने पाये और भविष्य निधि में जमा धन अभिदाताओं के आड़े वक्त में काम आये। यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 12-11-1998 में पहले ही यह स्पष्ट किया जा चुका है कि उक्त शासनादेश में निहित निर्देशों के विपरीत जी०पी०एफ० अग्रिमों की स्वीकृतियों को वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में माना जायेगा और इन अनियमितताओं के लिए स्वीकर्ता अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है। अतः आशा है कि सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से विशेष कारणों से स्वीकृत किये जाने वाले अग्रिमों के संबंध में आपके द्वारा पूर्ण सजगता बरती जाएगी और समय-समय पर शासनादेशों में जारी निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

भवदीय,

सुशील चन्द्र त्रिपाठी,

प्रमुख सचिव।

संख्या सा–4—387(1)/दस–99-502-85, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

3— सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, शासन।

4— सचिवालय के समस्त अनुभाग।

5— निदेशक, वित्तीय प्रबंध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ०प्र०, लखनऊ।

6— समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

पीताम्बर भट्ट,

विशेष सचिव।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 100 सा० वित्त—28-10-99—(1360)—12,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या : सा—4-966/दस-99-200/88

प्रेषक,

सुशील चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 27 दिसम्बर, 1999

विषय :—राज्य सरकार के समूह ''ग'' एवं ''घ'' के कर्मचारियों को सेवावधि में अनुमन्य अवकाश नकदीकरण को स्थगित किया जाना।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग—4

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-सामान्य-2-64/दस-99-200/88, दिनांक 29 जनवरी, 1999 द्वारा राज्य सरकार के समूह ''क'' एवं ''ख'' श्रेणी के समस्त अधिकारियों, जिनके अन्तर्गत राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी तथा माननीय उच्च न्यायाधीश भी सम्मिलित है, को सेवावधि में अनुमन्य अवकाश नकदीकरण की सुविधा समाप्त कर दी गयी थी तथा शासनादेश संख्या-सा-4-356/दस-99-200/88, दिनांक 19 मई, 1999 द्वारा समूह ''ग'' एवं ''घ'' के कर्मचारियों को सेवावधि में अनुमन्य अवकाश नकदीकरण की धनराशि का 50 प्रतिशत नकद तथा शेष 50 प्रतिशत संबंधित कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे।

2—इस संबंध में राज्य की कठिन आर्थिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में श्री राज्यपाल महोदय द्वारा विचारोपरान्त यह आदेश दिये गये हैं कि राज्य सरकार के समूह ''ग'' तथा ''घ'' के कर्मचारियों तथा राज्य के सार्वजनिक निगमों, उद्यमों, संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों के अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवाकाल में देय अवकाश नकदीकरण की स्वीकृति एवं भुगतान दिनांक 01 जनवरी, 2000 से 31 मार्च, 2000 तक नहीं किया जायेगा। 31 मार्च, 2000 के बाद की स्थिति के संबंध में यथासमय आदेश निर्गत किये जायेगें।

3—कृपया तद्नुसार अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुशील चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

संख्या : सा—4-966/दस-99-200/88, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय तथा (आडिट) प्रथम व द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उ०प्र०, लखनऊ।
4—रजिस्ट्रार, हाई कोर्ट, इलाहाबाद।
5—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6—समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7—प्रबंध निदेशक/निदेशक, समस्त सार्वजनिक उपक्रम/निगमों, स्थानीय निकाय, स्वायतशासी संस्थायें।
8—निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को प्रचारार्थ।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 127 सा०वित्त—7-1-2000—(1772)—12,000—कम्प्यूटर/आफसेट।

4—127 Sa Vitt

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–4

संख्या सा–4-101/दस-2001
लखनऊ, दिनांक 14 फरवरी, 2001

कार्यालय–ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तरांचल राज्य के गठन के फलस्वरूप अभिदाताओं के सामान्य भविष्य निधि के खातों के दोनों राज्यों के मध्य अन्तिम रूप से वर्गीकरण एवं अन्य सम्बद्ध मामलों में परीक्षण कर संस्तुति के लिए एक "वर्किंग ग्रुप" निम्नवत् गठित किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :–

1–उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतिनिधि	निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय (श्री विजय बहादुर सिंह)
2–उत्तरांचल राज्य के प्रतिनिधि	निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल (श्री टी० एन० सिंह)
3–संयोजक	वरिष्ठ उप महालेखाकार/राजकोष (श्री वी० के० वर्मा)

2–उक्त "वर्किंग ग्रुप" द्वारा अपनी रिपोर्ट शासन को एक माह में प्रस्तुत कर दी जाये।

वी० के० शर्मा,
सचिव।

संख्या–सा–4–101(1)/दस–2001, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–मुख्य सचिव, उत्तरांचल राज्य, देहरादून।
2–निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3–महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4–समस्त कोषाधिकारी, उ० प्र०, उत्तरांचल।
5–सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6–वित्त विभाग के समस्त अधिकारी।
7–विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय, उ० प्र०, लखनऊ।
8–राज्यपाल सचिवालय, उ० प्र०, लखनऊ।
9–निदेशक वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ० प्र०, लखनऊ।
10–संयोजक/सदस्य वर्किंग ग्रुप।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

पी० एस०–यू० पी०–ए० पी०–159 सा० वि०–01.02.2001–(7207)–10,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या–सा–4–806/दस–2000

प्रेषक,

श्री विजय कुमार शर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 15 फरवरी, 2001

विषय :–सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के जी० पी० एफ० से 10% भुगतान के लम्बित मामलों का विवरण प्रत्येक छः माह में महालेखाकार, उ० प्र०, इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग-4

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा यह अपेक्षा की गई है कि सरकारी सेवकों के सामान्य भविष्य निधि से अन्तिम 10% धनराशि के भुगतान से संबंधित भुगतान की कठिनाइयों के शीघ्र निराकरण हेतु प्रत्येक छः माह में संबंधित विभागों द्वारा भेजे गये प्रकरणों की एक प्रति अभिदाता के खाता संख्या सहित महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भी उपलब्ध कराई जाय ताकि लम्बित प्रकरणों की उनके द्वारा अपने स्तर पर समीक्षा करके उन्हें शीघ्र निपटाया जा सके।

2–अतः अनुरोध है कि महालेखाकार, उ० प्र०, इलाहाबाद की अपेक्षानुसार 10% भुगतान के लम्बित मामलों की एक सूची अभिदाताओं के खाता संख्या का उल्लेख करते हुए महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ० प्र०, इलाहाबाद को तत्काल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में प्रत्येक 6 माह में इस प्रकार के लम्बित प्रकरणों की सूची उन्हें नियमित रूप से भेजी जाय।

भवदीय,
विजय कुमार शर्मा,
सचिव।

संख्या–सा–4–806 (1)/दस–2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या–म० ले० सचिवालय/01, दिनांक 16.10.2000 के संदर्भ में सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 158 सा० वित्त–1.3.2001–(7206)–10,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या–सा–4–99/दस–2001

प्रेषक,

श्री विजय कुमार शर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 16 फरवरी, 2001

विषय:–उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तरांचल राज्य के गठन के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल राज्य से सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के अवकाश नकदीकरण के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग–4

उत्तर प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप दिनांक 9-11-2000 से एक नया राज्य उत्तरांचल अस्तित्व में आ चुका है। दोनों राज्यों के सरकारी सेवकों के अवकाश नकदीकरण की स्वीकृति के संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 8-11-2000 तक उत्तरांचल_राज्य से सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों/कर्मचारियों के अवशेष अर्जित अवकाश नकदीकरण की स्वीकृति उन प्राधिकारियों द्वारा की जायेगी, जो दिनांक 8-11-2000 तक कर रहे थे। दिनांक 8-11-2000 तक तथा दिनांक 9-11-2000 से उत्तरांचल राज्य में सेवानिवृत्त किन्तु उत्तरांचल राज्य में अन्तिम रूप से अनावंटित अधिकारियों/कर्मचारियों के अर्जित अवकाश के नकदीकरण के मामलों में स्वीकर्ता अधिकारी उपर्युक्तानुसार वहीं बने रहेंगे जो विगत 8-11-2000 तक थे और इस हेतु प्रथमतः उत्तरांचल राज्य द्वारा भुगतान की जाने वाली धनराशि का प्रभाजन जनसंख्या के आधार पर किया जायेगा।

2–उक्त प्राधिकारी नियमानुसार कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति उत्तरदायी बने रहेंगे तथा किसी अनियमितता के संबंध में उत्तरांचल सरकार उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार की संस्तुतियों के अनुरूप कार्यवाही करेगी। यह व्यवस्था दिनांक 30-9-2001 तक बनाये रखी जाये।

3–इसी प्रकार के आदेश उत्तरांचल राज्य द्वारा भी जारी किया जाना अपेक्षित है।

भवदीय,
विजय कुमार शर्मा,
सचिव।

संख्या–सा–4–99(1)/दस–2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–मुख्य सचिव, उत्तरांचल राज्य, देहरादून।
2–निदेशक, कोषागार, उ० प्र०, लखनऊ।
3–महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4–समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5–वित्त विभाग के समस्त अधिकारी।
6–सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7–विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
8–राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9–निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० 161 सा० वित्त-13.2001-(7209) 10,000 (कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या–सा–4–75/दस–2001

प्रेषक,

श्री विजय कुमार शर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 16 फरवरी, 2001

विषयः–उत्तर प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप उत्तरांचल राज्य एवं उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों को सामान्य भविष्य निधि से सम्बद्ध बीमा का भुगतान।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग–4

उत्तर प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप दिनांक 9-11-2000 से नया राज्य उत्तरांचल अस्तित्व में आ चुका है। दोनों राज्यों के सरकारी सेवकों को सामान्य भविष्य निधि से सम्बद्ध बीमा के भुगतान के सम्बन्ध में मुझे आपसे कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 8-11-2000 तक के अवशेष मामलों में स्वीकृति 8-11-2000 तक विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार ही संबंधित अधिकारियों द्वारा दिये जाने की व्यवस्था 30-9-2001 तक लागू रखी जाये। इस प्रकार जारी स्वीकृतियों पर भुगतान उत्तरांचल राज्य द्वारा अपने स्तर से बजट प्राविधानों के अन्तर्गत कराया जायेगा। इस संबंध में व्यय की धनराशि का जनसंख्या के आधार पर प्रतिपूर्ति उत्तरांचल राज्य को अनुमन्य होगी।

2–दिनांक 8-11-2000 के बाद उत्तरांचल राज्य में भविष्य निधि से सम्बद्ध बीमा योजना के मामलों का भुगतान उत्तरांचल राज्य द्वारा किया जायेगा। ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के मामले जो उत्तरांचल राज्य को अन्तिम रूप से आवंटित न हुए हों, के स्वीकर्ता अधिकारी वही बने रहेंगे जो दिनांक 8-11-2000 तक थे और इसका भुगतान भी प्रथमतः उत्तरांचल राज्य द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार किये गये भुगतान का जनसंख्या के आधार पर प्रभाजन करते हुए उत्तरांचल राज्य को प्रतिपूर्ति की जायेगी।

3–प्रस्तर-1 तथा 2 की उपर्युक्त व्यवस्था इस शर्त के अधीन होगी कि संबंधित स्वीकर्ता व भुगतान कर्ता अधिकारी नियमानुसार कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति उत्तरदायी रहेंगे तथा उत्तरांचल सरकार किसी अनियमितता के संबंध में उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार की संस्तुतियों के अनुरूप कार्यवाही करेगी।

4–इसी प्रकार के आदेश उत्तरांचल राज्य द्वारा जारी किया जाना अपेक्षित है।

भवदीय,
विजय कुमार शर्मा,
सचिव।

संख्या–सा–4–75(1)/दस–2001, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–मुख्य सचिव, उत्तरांचल राज्य, देहरादून।
2–निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3–महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4–समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल।
5–वित्त विभाग के समस्त अधिकारी।
6–सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7–विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9–निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 182 सा० वित्त–13.2001–(7210)–10,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा-4-444/दस-2000

प्रेषक,

डा0 ब्रज मोहन जोशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ : दिनांक 14 जून, 2000

विषय:--राज्य सरकार के समूह "ग" एवं "घ" के कर्मचारियों को सेवावधि में अनुमन्य अवकाश नकदीकरण के भुगतान के सम्बन्ध में ।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग-4

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या सा-4-966/दस-1999-200/88, दिनांक 27-12-99 द्वारा राज्य सरकार के समूह "ग" एव "घ" श्रेणी के कर्मचारियों को सेवावधि में अनुमन्य अवकाश नकदीकरण की स्वीकृति एवं भुगतान को दिनांक 1-1-2000 से 31-3-2000 तक स्थगित किया गया था जिसे शासनादेश संख्या सा-4-251/दस-2000-200/88, दिनांक 13 अप्रैल, 2000 द्वारा अग्रेतर आदेशों तक बढ़ा दिया गया है । इस विषय में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि कैलेण्डर वर्ष 1999 के नकदीकरण जो अभी तक स्वीकृत नहीं किये गये हैं अथवा स्वीकृत हो चुकने के उपरान्त भुगतान नहीं किये गये है, के बारे में क्या व्यवस्था अपनाई जाये इस विषय में अब तक विद्यमान नीति के अनुसार यदि किसी कैलेण्डर वर्ष में अनुमन्य नकदीकरण की स्वीकृति कार्यालय की त्रुटि के कारण उस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सकी है अथवा जहां न्यायालय के आदेशानुसार किसी कर्मचारी के निलम्बन/सेवानिवृत्ति/अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश निष्प्रभावी हो गये हों, वहां अगले कैलेण्डर वर्ष में नकदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है ।

2- इस सम्बन्ध में प्राप्त संदर्भों पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 27-12-99 के पूर्व स्वीकृत एवं कोषागार में प्रस्तुत हो चुके अवकाश नकदीकरण की धनराशि के बिलों का भुगतान किया जायेगा। दिनांक 27 दिसम्बर, 1999 या इसके बाद कोषागार में प्रस्तुत नकदीकरण देयकों का भुगतान नहीं किया जायेगा, यदि दिनांक 27 दिसम्बर, 99 के बाद अवकाश नकदीकरण की स्वीकृत का कोई आदेश जारी किया गया हो तो उसे निरस्त करके अर्जित अवकाश सम्बन्धित सरकारी सेवक के अवकाश लेखे में जमा कर दिया जाय ।

3--कृपया तद्नुसार अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
डा0 ब्रज मोहन जोशी,
सचिव, वित्त ।

संख्या सा-4-444 (1)/दस-2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1--महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय तथा (ऑडिट) प्रथम व द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2--समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3--सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उ0 प्र0, लखनऊ ।
4--रजिस्ट्रार, हाईकोर्ट, इलाहाबाद ।
5--सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
6--समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7--प्रबन्ध निदेशक, निदेशक, समस्त सार्वजनिक उपक्रम/निगमों, स्थानीय निकाय, स्वायत्तशासी संस्थायें ।
8--निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को प्रचारार्थ ।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव ।

पी0एस0यू0पी0--ए0 पी0 43 सा0 वित्त -1-7-2000 (892)--2000--12,000 (मेक0) ।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–4

संख्या सा–4–जी0आई0 8/दस-2000-59/81

लखनऊ, दिनांक 15 मई, 2000

विज्ञप्ति

विषय

जनरल प्राविडेन्ट फन्ड (उ0प्र0) रूल्स, 1985 के नियम-11 (1), कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट फन्ड (उ0प्र0) रूल्स के नियम–11 (1) तथा कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट फन्ड पेंशन इन्श्योरेन्स रूल्स, 1948 के नियम-9 के प्राविधानों के अनुसार राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि जनरल प्राविडेन्ट फन्ड (उ0प्र0), कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट फन्ड (उ0 प्र0) तथा उ0 प्र0 कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट पेंशन इन्श्योरेन्स फण्ड में अभिदाताओं (सब्सक्राइबर्स) द्वारा वित्तीय वर्ष 2000-2001 में जमा की गयी तथा उनके नाम अवशेष पर ब्याज की दर सभी खातों में जमा कुल राशि पर 11 प्रतिशत (ग्यारह प्रतिशत) प्रतिवर्ष होगी। यह दर 1 अप्रैल, 2000 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान लागू रहेगी।

आज्ञा से;
वी0 के0 शर्मा,
सचिव, वित्त।

संख्या सा-4-जी0आई0 8 (1)/दस-2000–59/81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद सहित निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस अभियुक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस विज्ञप्ति को सरकारी गजट के अगले अंक में प्रकाशित कर दें।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव, वित्त।

संख्या सा-4-जी0आई0 8 (2)/दस-2000-59/81, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1––महालेखाकार, लेखा प्रथम एवं द्वितीय, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
2––सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उ0 प्र0, लखनऊ।
3––सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4––निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 22/3 इन्दिरा नगर, लखनऊ।
5––समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव, वित्त।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
FINANCE (GENERAL) SECTION—4

No. G-4-G,I 8/X-2000-59/81

Dated Lucknow, May 15, 2000

NOTIFICATION
Miscellaneous

IN accordance with the Provisions of Rule 11(1) of the General Provident Fund, *Uttar Pradesh, 1985,* Rule 11(1) of the Contributory Provident Fund (Uttar Pradesh) *Rules and Rule of the Uttar Pradesh Contributory Provident Fund Pension Insurance Rules, 1948, the Governor* is pleased to announce that the rate of interest of deposits and also of the balance of the credit of the subscribers to General Provident Fund (Uttar Pradesh), Contributory Provident Fund (Uttar Pradesh) and the Uttar Pradesh Contributory Provident Pension Insurance Fund shall be 11% (Eleven per cent) per annum during the Financial Year 2000-2001 on all accounts. This rate shall be in Force during the Financial year beginning on April 01, 2000.

By order,
VIJAY KUMAR SHARMA,
Sachiv, Vitta.

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 38 सा0 वित्त—31-5-2000 (697)—2000—10,000 (मैक0)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा-4-251/दस-2000-200-88

प्रेषक,

सुशील चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 13 अप्रैल, 2000

विषय :- राज्य सरकार के समूह "ग" एवं "घ" के कर्मचारियों को सेवावधि में अनुमन्य अवकाश के नकदीकरण को स्थगित किया जाना।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग-4

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या सा-4-966/दस-99-200-88, दिनांक 27 दिसम्बर, 1999 द्वारा राज्य सरकार के समूह "ग" एवं "घ" श्रेणी के समस्त कर्मचारियों एवं राज्य के सार्वजनिक निगमों, उद्यमों, संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों के कर्मचारी को सेवावधि में अनुमन्य अवकाश नकदीकरण की स्वीकृति एवं भुगतान को दिनांक 1 जनवरी, 2000 से 31 मार्च, 2000 तक स्थगित कर दिया गया था।

2-इस सम्बन्ध में राज्य की कठिन आर्थिक स्थिति के परिप्रेक्ष्य में श्री राज्यपाल महोदय द्वारा विचारोपरान्त यह आदेश दिये गये हैं कि अवकाश नकदीकरण के सम्बन्ध में उक्त स्थगन आदेश अग्रेतर आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

3-कृपया तद्नुसार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुशील चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

संख्या सा-4-251(1)/दस-2000-200-88, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम व द्वितीय तथा आडिट प्रथम व द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) रजिस्ट्रार हाईकोर्ट, इलाहाबाद।
(5) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(6) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(7) प्रबन्ध निदेशक/निदेशक, समस्त सार्वजनिक उपक्रम/निगमों, स्थानीय निकाय, स्वायत्तशासी संस्थायें।
(8) निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(9) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को प्रचारार्थ।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 24 सा0 वित्त-29-4-2000-(323)-12000-(आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

संख्या सा-4-304/दस-2000

प्रेषक,

श्री वी० के० शर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख
कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 4 अप्रैल, 2000।

विषय :-राज्य कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों के सही रख-रखाव के सम्बन्ध में।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग-4

राज्य कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखों का सही रूप से रख-रखाव सुनिश्चित करने, मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति पर सामान्य भविष्य निधि की धनराशि का समय से भुगतान करने के उद्देश्य से महालेखाकार को आवश्यक सहयोग प्रदान करने हेतु शासन द्वारा समय समय पर आदेश निर्गत किये जाते रहे हैं। परन्तु इस ओर आहरण एवं वितरण अधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों द्वारा अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है और प्रायः पासबुक में दर्शायी गयी प्रविष्टियां एवं अन्तिम अवशेष संबंधित वर्ष की महालेखाकार की लेखा पर्ची से मेल नहीं खाती है।

उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामान्य भविष्यनिधि (उ० प्र०) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1997 के नियम-27 (3) में यह व्यवस्था है कि "अभिदाताओं को वार्षिक विवरण की शुद्धता के संबंध में स्वयं अपना समाधान कर लेना चाहिए और गलतियों को सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित की गयी सामान्य भविष्य निधि पासबुक के सुसंगत उद्धरणों सहित उसकी प्राप्ति के दिनांक से तीन मास के भीतर लेखा अधिकारी की जानकारी में लाया जाना चाहिए। प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी का यह भी एक व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे सम्बद्ध अधिष्ठान के समस्त कर्मचारियों के महालेखाकार कार्यालय की लेखा पर्ची/लेजरों की लुप्त प्रविष्टियों को भविष्य निधि पास बुकों की प्रमाणित प्रतियों को भेजकर या पत्र व्यवहार द्वारा या अपने व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से ठीक करायें।" उक्त व्यवस्था से यह स्पष्ट है कि भविष्य निधि के खातों के रख-रखाव का उत्तरदायित्व आहरण एवं वितरण अधिकारियों का ही है।

इन निदेशों का अनुपालन न करने के मामलों को गम्भीरता से लिया जाएगा। भविष्य निधि के आंकड़ों का पास बुक में सही अंकन/महालेखाकार के आकड़ों से मिलान के लिए सम्बन्धित विभागाध्यक्ष अपने स्तर से भी यह सुनिश्चित करें कि भविष्य निधि के खातों का रख-रखाव निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाए।

भवदीय,
वी० के० शर्मा,
सचिव।

संख्या सा-4-304(1)/दस-2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ० प्र०, इलाहाबाद।
2--समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4--समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० 25 सा० वित्त--1-5--2000-(329)--2000--10,000 (मेहे०)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा-4-253,दस-2000

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

प्रेषक;

श्री वी0 के0 शर्मा
सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में;

समस्त मण्डलायुक्त/
जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 4 अप्रैल, 2000

विषय :-कोषागार के माध्यम से वित्तीय संतुलन बनाये रखने के संबंध में जी0 पी0 एफ0 से अग्रिम के देयकों का भुगतान।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग-4

उपर्युक्त विषयक/शासनादेश संख्या-बी-2399/दस-1999, दिनांक 1 नवम्बर, 1999 के प्रस्तर-1(IX) की व्यवस्था के अनुसार केवल शादी/बीमारी के संबंध में जी0 पी0 एफ0 से अग्रिम देयकों का भुगतान प्रतिबन्ध से मुक्त था। इससे अन्य मदों के लिए अग्रिम स्वीकृति के बाद भी उनके देयकों के भुगतान में कठिनाई हो रही थी। अतएव अभिदाताओं की आर्थिक आवश्यकताओं एवं उनकी कठिनाइयों पर विचारोपरान्त शासन द्वारा उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1(IX) की व्यवस्था को संशोधित करते हुए सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से अग्रिम/निष्कासन के देयकों को भुगतान पर प्रतिबन्ध से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। उक्त सीमा तक शासनादेश संख्या-बी-2-2399/दस-1999, दिनांक 1 नवम्बर, 1999 को संशोधित समझा जाएगा तथा अब जी0 पी0 एफ0 से स्वीकृत अग्रिमों/निष्कासनों के देयकों के भुगतान पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

भवदीय,
वी0 के0 शर्मा,
सचिव।

संख्या सा-4-253(1)/दस-2000-502/85, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2—समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0 प्र0।
3—समस्त संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उ0 प्र0।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी0 17 सा0 वित्त—22-4-2000-(229)—2000—1000 (मेडे0)।

...2/--

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-2
संख्या: जी-4-जी.आई.-10/दस-2001-59/81
लखनऊ: दिनांक: 23 मई, 2001

विज्ञप्ति
=========
विविध

जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उ0प्र0) रूल्स 1985 के नियम-11(1), कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड (उ0प्र0) रूल्स के नियम-11(1) तथा कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड पेंशन इन्श्योरेन्स रूल्स, 1948 के नियम-9 के प्रावधानों के अनुसार राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि जनरल प्राविडेन्ट फण्ड (उ0प्र0), कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट फण्ड (उ0प्र0) तथा उ0प्र0 कन्ट्रीब्यूट्री प्राविडेन्ट पेंशन इन्श्योरेन्स फण्ड में अभिदाताओं (सब्सक्राइबर्स) द्वारा वित्तीय वर्ष 2001-2002 में जमा की गयी तथा उनके नाम अवशेष पर ब्याज की दर सभी खातों में जमा कुल राशि पर 9.5 प्रतिशत (साढ़े नौ प्रतिशत) प्रतिवर्ष होगी। यह दर पहली अप्रैल, 2001 से प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष से लागू रहेगी।

आज्ञा से,

(वी0 के0 शर्मा)
सचिव, वित्त।

संख्या: जी-4-जी.आई.-10(1)/दस-2001-59/81, तद्दिनांक
- -

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद सहित निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ0प्र0, इलाहाबाद को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया इस विज्ञप्ति को सरकारी गजट के अगले अंक में प्रकाशित कर दें।

आज्ञा से,

(शिव प्रकाश)
विशेष सचिव।

संख्या-जी-4-जी.आई.-10(2)/दस-2001-59/81, तद्दिनांक
- -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1- महालेखाकार, लेखा प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

...2/--

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

2- सचिव विधान सभा/विधान परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।

3- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

4- निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 22/3 इन्दिरा नगर, लखनऊ ।

5- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से,

(शिव प्रकाश)
विशेष सचिव ।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
FINANCE (GENERAL) SECTION-2

No.G-4-G.L-19/X-2001-59/81

Dated Lucknow, 23 May, 2001

NOTIFICATION

Miscellaneous

In accordance with the Provisions of Rule 11(1) of the General Provident Fund, Uttar Pradesh, 1985, Rule 11(1) of the Contributory Provident Fund (Uttar Pradesh) Rules and Rule of the Uttar Pradesh Contributory Provident FundPension Insurance Rules, 1948, the Governor is pleased to announce that the rate of interest of deposits and also of the balance of the credit of the subscribers to General Provident Fund (Uttar Pradesh), Contributory Provident Fund (Uttar Pradesh), and the Uttar Pradesh Contributory Provident Pension Insurance Fund shall be 9.5% (Nine and a half percent) per annum during the Financial Year 2001-2002 on all accounts. This rate shall be in Force during the Financial year beginning on April 01, 2001.

By order,

(VIJAY KUMAR SHARMA)
Sachiv, Vitta.

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

शीर्ष प्राथमिकता/तत्काल

संख्या सा-4-775/दस-2000

प्रेषक,

श्री वी० के० शर्मा,
सचिव, वित्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक 17 नवम्बर, 2000

विषय :–राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों के सेवानिवृत्ति पर सामान्य भविष्य निधि में जमा धनराशि के भुगतान हेतु आवेदन-पत्र की अनिवार्यता को समाप्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग–4

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामान्य भविष्य निधि (उ० प्र०) नियमावली, 1985 के नियम–24 (4) (5) के अन्तर्गत सेवानिवृत्ति के पश्चात् सामान्य भविष्य निधि में जमा धनराशि के 90% के भुगतान हेतु समूह "घ" तथा इनसे भिन्न अभिदाताओं को क्रमशः प्रपत्र 425 (ख) तथा 425 (क) में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना पड़ता था तभी उनके खाते में जमा धनराशि के भुगतान की कार्यवाही आरम्भ की जाती थी। आवेदन-पत्र देर से प्रस्तुत करने पर भुगतान में अधिक विलम्ब हो जाता था। इस विलम्ब को समाप्त करने के उद्देश्य से अधिसूचना संख्या सा–4–41/दस–2000–500 (1)–99, दिनांक 19 फरवरी, 2000 द्वारा सामान्य भविष्य निधि (उ० प्र०) नियमावली, 1985 के नियम–24 (4) (5) में संशोधन करके अभिदाता द्वारा अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के बाद आवेदन-पत्र प्रेषित किये जाने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है परन्तु शासन के संज्ञान के यह आया है कि अभी भी राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि के 10% अन्तिम भुगतान संबंधी विवरण महालेखाकार उ० प्र०, इलाहाबाद के कार्यालय में समय से प्रेषित नहीं किया जा रहा है।

अतः आप अपने अधीनस्थ समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को यह निर्देशित करने का कष्ट करें कि सेवानिवृत्ति अभिदाताओं के मामलों में समूह (घ) तथा उससे भिन्न अभिदाताओं के मामले में प्रपत्र–425 (क) या 425 (ख) में आवेदन-पत्र की प्रतीक्षा किये बिना समायोजन यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि पासबुक में उसके नाम विद्यमान धनराशि के भुगतान अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के दिनांक को और अन्य मामलों में धनराशि देय हो जाने के दिनांक से तीन माह के भीतर सुनिश्चित किया जाय। समूह "घ" से भिन्न अभिदाताओं के मामले में 90% भुगतान के पश्चात् 10% के भुगतान के लिए समस्त विवरण महालेखाकार को अविलम्ब उपलब्ध कराये जायें ताकि महालेखाकार अभिदाता के आवेदन-पत्र की प्रतीक्षा किये बिना आहरण एवं वितरण अधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कर सकें।

भवदीय,
वी० के० शर्मा,
सचिव, वित्त।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा–4–775 (1)/दस–2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित की अन्तिम 10% भुगतान के संबंध में अब आवेदन-पत्र की प्रतीक्षा किये बिना ही आहरण एवं वितरण अधिकारी से प्राप्त प्रस्ताव पर कार्यवाही की जाए।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

संख्या सा–4–775 (2)/दस–2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ० प्र० शासन, लखनऊ।

2—सचिव विधान सभा/विधान परिषद् उ० प्र०, लखनऊ।

3—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

4—निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

5—निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान उ० प्र०, लखनऊ।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

पी० एस० यू० पी०-ए० पी० 113 स० वित्त—7-12-2000—(4653)—8,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा-4-62/दस-96-604-82

प्रेषक,

श्री पी0 के0 मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ: दिनांक 18 मार्च, 1996

विषय:--सरकारी सेवकों को अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग-4

उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान शासनादेश संख्या सा-4-628/दस-604-82, दिनांक 1-4-82, संख्या सा-4-1647/दस-604/दस-82, दिनांक 30-8-82, संख्या सा-4-2583/दस-82-604-82, दिनांक 20-12-82 संख्या -सा-4-572/दस-604-82, दिनांक 5-3-83 एवं संख्या सा-4-1632/दस-85-604-82, दिनांक 9-10-85 की ओर आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अवकाश यात्रा सुविधा की व्यवस्था को और अधिक उदार बनाने के दृष्टिकोण से राज्यपाल महोदय ने इस शासनादेश के अनुलग्नक के अनुसार इस विषय पर विस्तृत अनुदेश निर्गत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है। उपर्युक्त संदर्भित पूर्व निर्गत शासनादेश तद्नुसार अतिक्रमित समझे जायेंगे।

2--संशोधित रूप में यह सुविधा इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

भवदीय,
पी0 के0 मिश्र,
सचिव।

संख्या सा-4-62 (1)/दस-96-604-82, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1--महालेखाकार, आडिट प्रथम तथा द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2--महालेखाकार, लेखा प्रथम तथा द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3--सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, विधान भवन, लखनऊ।
4--प्रधानाचार्य, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
5--सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6--वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

शासनादेश संख्या सा-4-62(1)/दस-96-604/82 का अनुलग्नक

उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति के सम्बन्ध में अनुदेश :-

1-अवकाश यात्रा सुविधा का अभिप्राय :-

इस सुविधा के अन्तर्गत सरकारी सेवकों को अवकाश के दौरान भारत में स्थित किसी स्थान के भ्रमण हेतु जाने तथा वापस आने के सम्बन्ध में सरकारी सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा की गई यात्राओं के लिए कतिपय शर्तों के अधीन यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

2-पात्रता का क्षेत्र :-

अवकाश यात्रा सुविधा नियमित पूर्णकालिक सरकारी सेवकों को पांच वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण करने के उपरान्त कलेण्डर वर्ष के आधार पर अनुमन्य होगी।

यह सुविधा ऐसे सरकारी सेवकों को भी अनुमन्य होगी जो सार्वजनिक उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर हैं परन्तु जो वरिष्ठ अधिकारी सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष अथवा प्रबन्ध निदेशक के पदों पर जायेंगे उन्हें यह सुविधा नहीं उपलब्ध होगी। प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारियों को यह सुविधा उसी दशा में मिलेगी जब सम्बन्धित उपक्रम उसका पूरा व्यय वहन करने के लिए तैयार हो। यह सुविधा निम्नांकित को अनुमन्य नहीं होगी :-

(1) ऐसे सरकारी सेवक जो राज्य सरकार की पूर्णकालिक सेवा में नहीं हैं।

(2) ऐसे सरकारी सेवक जिनके वेतन/भत्तों का भुगतान आकस्मिक व्यय (कान्टिजेन्सीज) से किया जाता है।

(3) वर्कचार्जड कर्मचारी।

(4) ऐसे सरकारी सेवक जिन्हें राज्य सरकार के नियमों से भिन्न किन्हीं अन्य नियमों के अन्तर्गत पहले से ही अवकाश यात्रा सुविधा अथवा इसी प्रकृति की कोई अन्य सुविधा ग्राह्य है।

3-सुविधा की आवृत्ति :-

यह सुविधा प्रत्येक 10 वर्ष की सेवावधि में एक बार अनुमन्य होगी। इस प्रकार 5 वर्ष से 10 वर्ष की सेवावधि में प्रथम बार, 11 से 20 वर्ष की सेवावधि में दूसरी बार, 21 वर्ष से 30 वर्ष की सेवावधि में तीसरी बार तथा 30 वर्ष से अधिक की सेवा होने की स्थिति में चौथी बार अनुमन्य होगी। प्रतिबन्ध यह भी है कि पूर्व में अप्रयुक्त अवकाश यात्रा सुविधा के आधार पर कोई अतिरिक्त अनुमन्यता देय नहीं होगी।

4-परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्ड (परिचय-पत्र) धारकों को एक अतिरिक्त अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमन्यता :-

ग्रीन कार्ड धारकों को उनके सम्पूर्ण सेवाकाल में एक अतिरिक्त अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य होगी। ग्रीनकार्ड धारक अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति उक्त सुविधा सामान्य नियमों के अन्तर्गत प्राप्त कर सकते हैं। ग्रीन कार्ड के आधार पर अतिरिक्त सुविधा वह किसी भी एक अवसर पर अवकाश यात्रा सुविधा प्राप्त करने के चार वर्ष पश्चात् किसी भी समय किन्तु केवल एक बार सुविधानुसार उपभोग कर सकते हैं।

5-वरीयता तथा 20 प्रतिशत का प्रतिबन्ध :-

यह सुविधा ज्येष्ठता के आधार पर प्रदान की जायेगी अर्थात् ज्येष्ठ सरकारी सेवक को यह सुविधा पहले अनुमन्य होगी और उससे कनिष्ठ सरकारी सेवक को यह सुविधा उसके बाद ग्राह्य होगी।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

किसी कैलेन्डर वर्ष में सरकारी सेवकों के किसी संवर्ग विशेष में इस सुविधा के लिये पात्र सरकारी सेवकों में से 20% से अधिक सरकारी सेवकों को यह सुविधा स्वीकृत नहीं की जायेगी, जिसे संवर्ग विशेष के नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

6–अधिकतम दूरी :–

अवकाश यात्रा सुविधा भारत वर्ष में किसी भी स्थान पर आने-जाने के लिये न्यूनतम दूरी वाले रास्ते के आधार पर अनुमन्य होगी । गन्तव्य स्थान पर जाते समय अथवा वापसी में सरकारी सेवक तथा उसके परिवार द्वारा रास्ते में एक अथवा उससे अधिक स्थानों पर रुकने अथवा अवस्थान किये जाने में आपत्ति नहीं होगी परन्तु उसे किराया निर्धारित दूरी के लिये सीधे टिकट के आधार पर ही अनुमन्य होगा ।

7–परिवार की परिभाषा :–

यह सुविधा सम्बन्धित सरकारी सेवक को सम्मिलित करते हुए परिवार के केवल चार सदस्यों तक ही सीमित रहेगी । इस सुविधा के प्रयोजनों के लिये परिवार की वही परिभाषा मान्य होगी जो वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम–6 में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में दी गयी है जिसका उद्धरण निम्न प्रकार है :––

Family means a government servant's wife or husband, as the case may be, legitimate children and step-children residing with and wholly dependent upon the government servant and it includes, in addition, parents, sisters and minor brothers, if residing with and wholly dependent upon the government servant, but does not include more than one wife for the purpose of these rules.

NOTES—(1) An adopted child shall be considered to be a legitimate child if, under the personal law of the government servant adoption is legally recognised as conferring on it the status of a natural child.

(2) A government servant's legitimate daughters, step-daughters and sisters whose gauna or rukhsat has been performed, shall not be regarded as wholly dependent upon the government servant.

8–अवकाश की प्रकृति एवं नकदीकरण की अनुमन्यता :–

इस सुविधा का उपभोग करने के लिए कर्मचारी द्वारा न्यनतम 15 दिन का उपार्जित अवकाश का उपभोग करना अनिवार्य होगा । जिस कैलेन्डर वर्ष में इस सुविधा का उपभोग कर्मचारी द्वारा किया जायेगा उस कैलेण्डर वर्ष में उसे अर्जित अवकाश का नकदीकरण आधी अवधि के लिये अर्थात् यथास्थिति 15 दिन अथवा 8 दिन के लिए अनुमन्य होगा । नकदीकरण की राशि का आगणन निम्न सूत्र के अनुसार किया जायेगा :––

$$\frac{\text{अभ्यर्पण के दिनांक को अनुज्ञेय वेतन एवं भत्ते}}{30} \times \text{अभ्यर्पित दिनों की संख्या}$$

9–सरकारी सेवक तथा उसके परिवार के सदस्यों के लिये अधिकृत श्रेणी :–

सरकारी सेवक तथा उसके परिवार के सदस्यों को रेल की उस श्रेणी में यात्रा की सुविधा अनुमन्य होगी जिसके लिये सरकारी सेवक यात्रा भत्ता नियमों के अधीन दौरे पर यात्रा करने के लिये सामान्यतः अधिकृत हैं ।

10–वातानुकूलित कोच तथा वायुयान से यात्रा :–

इस सुविधा के अन्तर्गत रेल के वातानुकूलित कोच अथवा वायुयान से यात्रा नहीं की जा सकेगी ।

11–उच्चतर/निम्नतर श्रेणी में यात्रा :–

यदि रेल यात्रा अधिकृत श्रेणी से उच्चतर श्रेणी में की जाती है तो सरकारी सेवक को अधिकृत श्रेणी का किराया अनुमन्य होगा । यदि यात्रा अधिकृत श्रेणी से निम्नतर श्रेणी में की जाती है तो उस स्थिति में रेल की निम्नतर श्रेणी का वास्तविक किराया अनुमन्य होगा ।

12–आनुषंगिक भत्ता तथा दैनिक भत्ता वर्जित :–

इस सुविधा के अन्तर्गत यात्रा पर कोई आनुषंगिक भत्ता तथा दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा ।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

13–रेल मार्ग से सम्बद्ध स्थानों के बीच सड़क यात्रा :–

रेल मार्ग से जुड़े स्थानों के बीच सड़क से यात्रा करने पर सरकारी सेवक को रेल की अधिकृत श्रेणी का किराया (यदि यात्रा वास्तव में रेल से की गई होती) अथवा सरकारी सेवक द्वारा सड़क यात्रा पर किया गया वास्तविक व्यय, इन दोनों में जो भी कम हो, ग्राह्य होगा।

14–ऐसे स्थानों के बीच यात्रा जो रेल मार्ग से सम्बद्ध नहीं हैं :–

ऐसे स्थान जो कि रेल मार्ग से सम्बद्ध नहीं हैं यदि सरकारी सेवक द्वारा उन स्थानों की यात्रा स्टीमर अथवा जलयान/बस द्वारा की जाती है तो ऐसी स्थिति में उक्त यात्रा हेतु रेल की प्रथम श्रेणी के लिए अधिकृत सरकारी सेवकों को स्टीमर अथवा जलयान के प्रथम श्रेणी/केबिन/डीलक्स बस कोच का किराया अनुमन्य होगा तथा अन्य कर्मचारियों को स्टीमर अथवा जलयान/बस की साधारण श्रेणी का किराया अनुमन्य होगा।

15–चार्टर्ड बस अथवा स्पेशल यात्रा रेल गाड़ी से यात्रा :–

यदि यात्रा चार्टर्ड बस अथवा स्पेशल यात्रा रेल गाड़ी से की जाती है तो सरकारी सेवक तथा उसके परिवार के सदस्यों को रेल की अधिकृत श्रेणी का किराया (यदि यात्रा वास्तव में रेल द्वारा की गयी होती) अथवा चार्टर्ड बस अथवा स्पेशल यात्रा रेल गाड़ी का किराया, इन दोनों में जो भी कम हो, ग्राह्य होगा।

16–सड़क मील भत्ता वर्जित :–

इस सुविधा के अन्तर्गत सड़क यात्राओं के लिए सड़क मील भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

17–यदि पति/पत्नी दोनों सरकारी सेवक हों :–

यदि पति तथा पत्नी दोनों ही सरकारी सेवक हों तथा पति और पत्नी दोनों को उक्त सुविधा अनुमन्य हो तो उस स्थिति में यह सुविधा पति अथवा पत्नी में से किसी एक को ग्राह्य होगी।

18–दावे का व्यपगत हो जाना :–

यदि सरकारी सेवक इस सुविधा के सम्बन्ध में अपना दावा वास्तविक यात्रा के एक वर्ष के अन्दर प्रस्तुत नहीं करता है तो उसका दावा व्यपगत हो जायेगा।

19–अग्रिम का स्वीकृति :–

(1) इस सुविधा का उपभोग करने के लिए राजकीय सेवकों को अग्रिम स्वीकृत किया जा सकता है। अग्रिम की अधिकतम धनराशि दोनों ओर की यात्रा के लिए व्यय की अनुमानित धनराशि जिसकी राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति करनी होगी, के 4/5 भाग तक सीमित होगी।

(2) अग्रिम दोनों ओर यात्रा के लिए यात्रा प्रारम्भ करने के पूर्व इस प्रतिबन्ध के साथ आहरित किया जा सकता है कि राजकीय सेवक द्वारा लिये गये अवकाश की अवधि 3 माह या 90 दिन से अधिक न हो। यदि अवकाश की अवधि तीन माह या 90 दिन से अधिक होगी तो केवल गन्तव्य स्थान तक जाने के लिए ही अग्रिम आहरित किया जा सकेगा।

(3) यदि अवकाश की अवधि तीन माह या 90 दिन से अधिक हो जाती है और अग्रिम दोनों ओर की यात्रा के लिए पहले ही आहरित किया जा चुका है तो सरकारी सेवक को आधी धनराशि तत्काल वापस करनी होगी।

(4) अस्थायी राजकीय सेवकों को अग्रिम एक स्थायी राजकीय सेवक की जमानत देने पर स्वीकृत किया जा सकेगा।

(5) अग्रिम कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

(6) अग्रिम की स्वीकृति से 30 दिन के अन्दर यदि यात्रा प्रारम्भ नहीं की जाती है तो अग्रिम की पूर्ण धनराशि एक मुश्त वापस की जायेगी।

(7) आहरित अग्रिम के समायोजन हेतु राजकीय सेवक द्वारा अपना दावा वापसी यात्रा पूर्ण होने के एक माह के अन्दर प्रस्तुत किया जायेगा और चालू वित्तीय वर्ष के अन्दर इसका समायोजन सुनिश्चित किया जायेगा।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

(8) इस योजना के अन्तर्गत आहरित अग्रिम का लेखा यात्रा पूर्ण होने के बाद उसी प्रकार प्रस्तुत किया जायेगा जिस प्रकार से राजकीय सेवक द्वारा सरकारी कार्य से यात्रा के लिए आहरित अग्रिम के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया जाता है।

20–दावा प्रस्तुत करने की विधि :–

इस सुविधा के सम्बन्ध में दावे की प्रतिपूर्ति का बिल यात्रा भत्ता बिल के प्रपत्र पर प्रस्तुत किया जायेगा और बिल के शीर्ष पर "अवकाश यात्रा सुविधा" अंकित कर दिया जायेगा तथा सरकारी सेवक द्वारा इस आशय का सामान्य प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया जायगा कि उसके द्वारा वास्तव में यात्रायें पूर्ण कर ली गयी है। और यात्रायें उस श्रेणी से निम्नतर श्रेणी में नहीं की गयी है जिसके लिये प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया गया है।

21–सुविधा का अभिलेख :–

सरकारी सेवकों द्वारा इस सुविधा का उपभोग किये जाने पर उनकी सेवा पुस्तिकाओं/सेवा पंजिओं में इस आशय] की एक प्रविष्टि अंकित कर दी जानी चाहिये कि उनके द्वारा इस सुविधा का उपभोग कब किया गया है। सेवा पुस्तिका/सेवा पंजी के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी द्वारा यह कार्य सम्पादित किया जायेगा।

22–अनिवार्य साक्ष्य :–

सरकारी सेवक द्वारा यात्रा करने से पूर्व अपने नियंत्रक अधिकारी को उसकी पूर्व सूचना दी जानी चाहिये। सरकारी सेवक द्वारा यात्रा वास्तव में सम्पादित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण जैसे टिकट नम्बर आदि प्रस्तुत किये जाने चाहिए। उपयुक्त मामलों में गुणावगुण के आधार पर नियंत्रक अधिकारी द्वारा यात्रा की पूर्व सूचना दिये जाने तथा टिकट नम्बर आदि प्रस्तुत किये जाने से छूट प्रदान की जा सकती है यदि नियंत्रक अधिकारी दावे की वास्तविकता तथा उसके औचित्य से एवं यात्रा वास्तविक रूप से किये जाने तक तथ्य से अन्यथा पूर्ण रूपेण संतुष्ट हों।

23–गन्तव्य स्थान की पूर्व घोषणा :–

इस सुविधा के अन्तर्गत गन्तव्य स्थान की घोषणा पहले से की जानी चाहिये। यदि बाद में पूर्व घोषित गन्तव्य स्थान से भिन्न किसी स्थान के भ्रमण हेतु सरकारी सेवक द्वारा निश्चय किया जाता है तो आवश्यक परिवर्तन नियंत्रक अधिकारी की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है।

24–नियंत्रक अधिकारी :–

इस सुविधा के सम्बन्ध में नियंत्रक अधिकारी का तात्पर्य उस प्राधिकारी से है जो यात्रा भत्ता नियमों के अन्तर्गत सम्बन्धित सरकारी सेवक के यात्रा भत्ता बिलों के सम्बन्ध में नियंत्रक अधिकारी घोषित है।

25–निर्धारित प्रमाण-पत्र :–

यह सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से कि अवकाश यात्रा सुविधा की समस्त शर्तें संतुष्ट हो गयी हैं, सरकारी सेवक तथा नियंत्रक अधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण-पत्र अवकाश यात्रा सुविधा के बिल के साथ प्रस्तुत किये जाने चाहिये।

(क) सरकारी सेवक द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र:––

(1) प्रमाणित किया जाता है कि मैंने तथा मेरे परिवार के सदस्यों ने पूर्व घोषित स्थान की यात्रा वास्तव में कर ली है और रेल की उस श्रेणी से निम्नतर श्रेणी में यात्रा नहीं की है जिसके किराये की प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

(2) प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अवकाश यात्रा सुविधा के सम्बन्ध में इससे पूर्व अपने तथा अपने परिवार के सम्बन्ध में कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है।

(3) मेरी पत्नी/मेरे पति सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं है/कार्यरत है और उन्होंने स्वयं अपने तथा परिवार के लिये पृथक से अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग नहीं किया है।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

(4) प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पत्नी/मेरे पति, जिसके लिये अवकाश यात्रा सुविधा का दावा प्रस्तुत किया जा रहा है----------(भारत सरकार/अन्य राज्य सरकार/पब्लिक सेक्टर अन्डर टेकिंग/निगम/स्वशासी संस्था आदि का नाम) में कार्यरत हैं जहाँ अवकाश यात्रा की सुविधा अनुमन्य है परन्तु उनके द्वारा अपने सेवायोजक को इस सम्बन्ध में न तो कोई दावा प्रस्तुत किया गया है और न प्रस्तुत किया जायेगा।

सरकारी सेवक के हस्ताक्षर एवं पदनाम

(ख) नियंत्रक अधिकारी द्वारा दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र-

(1) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0----------ने अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत बहिर्गामी यात्रा प्रारम्भ करने की तिथि को राज्य सरकार के अधीन 5 वर्ष या उससे अधिक की अनवरत सेवा पूर्ण कर ली है।

(2) प्रमाणित किया जाता है कि अवकाश यात्रा सुविधा के सम्बन्ध में आवश्यक प्रविष्टियाँ श्री/श्रीमती/कु0----------की सेवा पुस्तिका/पंजी में कर दी गयी है।

नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम

26—लेखा शीर्षक :—

अवकाश यात्रा सुविधा पर होने वाला व्यय (देय अग्रिम सहित) मानक मद "वेतन" के नामे डाला जायगा।

पी0एस0यू0पी0--ए0 पी0 179 सा0 वित्त-25-3-96-(4927)--1996--15,000 (मेक0)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा-4-262/दस-96-604-82

प्रेषक;

श्री पी0 के0 मिश्र,
सचिव;
उत्तर प्रदश शासन।

सेवा में;

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष;
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक: 23 अप्रैल; 1996

विषय : सरकारी सेवकों को अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति।

महोदय;

वित्त (सामान्य) अनुभाग-4

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या सा-4-62/दस-96-604-82, दिनांक 18 मार्च, 1996 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश में यह व्यवस्था की गयी थी कि इस सुविधा का उपभोग करने के लिए कर्मचारी द्वारा न्यूनतम 15 दिन का उपार्जित अवकाश का उपभोग करना अनिवार्य होगा। जिस कलेण्डर वर्ष में इस सुविधा का उपभोग कर्मचारी द्वारा किया जायेगा उस कलेण्डर वर्ष में उसे अर्जित अवकाश का नकदीकरण आधी अवधि के लिए अर्थात् यथास्थिति 15 दिन अथवा 8 दिन के लिए अनुमन्य होगा।

उक्त विषय पर कतिपय स्रोतों से यह जिज्ञासा की गयी है कि यदि किसी कर्मचारी को उपरोक्त शासनादेश निर्गत होने से पूर्व चालू कलेण्डर वर्ष में अर्जित अवकाश का नकदीकरण स्वीकृत किया जा चुका हो, उन्हें अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ अनुमन्य होगा अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि चालू कलेण्डर वर्ष में यदि किसी कर्मचारी ने उपार्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा प्राप्त कर ली है तो अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमन्यता इस शर्त के साथ पुनर्जीवित हो सकती है कि सम्बन्धित कर्मचारी इस हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व अवकाश यात्रा सुविधा के सम्बन्ध में अनुमन्य सीमा से अधिक प्राप्त किये गए उपार्जित अवकाश के नकदीकरण की धनराशि कोषागार में जमा कर दें।

भवदीय,
पी0 के0 मिश्र,
सचिव।

संख्या सा-4-262 (1)/दस-96-604-82, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1--महालेखाकार, आडिट प्रथम तथा द्वितीय, उ0 प्र0, इलाहाबाद,
2--महालेखाकार, लेखा प्रथम तथा द्वितीय, उ0 प्र0 इलाहाबाद,
3--सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, विधान भवन, लखनऊ,
4--प्रधानाचार्य, वित्त एवं लेखा परीक्षण केन्द्र, लखनऊ,
5--सचिवालय के समस्त अनुभाग,
6--वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग।

आज्ञा से;
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी0 ए0 यू0पी0--ए0 पी0 16 सा0 वित्त--20-5-96--(200)--1996--10,000 (मेक0)।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा-4-371 /दस-96-604/82

प्रेषक,

श्री नृपेन्द्र मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 29 अगस्त, 1996

विषय:- सरकारी सेवकों को अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या सा-4-62/दस-96-604/82, दिनांक 18 मार्च, 1996 के प्रस्तर-10 के संदर्भ में शासन को यह प्रश्न संदर्भित हुआ है कि जबकि रेल विभाग द्वारा अधिकांश ट्रेनों में प्रथम श्रेणी के कोच न लगाकर उनके स्थान पर वातानुकूलित कोच लगाये जा रहे हैं इस स्थिति में क्या वातानुकूलित कोच से यात्रा की जा सकती है। इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि अवकाश यात्रा सुविधा हेतु वायुयान एवं रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी से यात्रा नहीं की जा सकती है परन्तु रु0 2800/- प्रतिमाह या उससे अधिक मूल वेतन पाने वाले सरकारी सेवक प्रथम श्रेणी के अतिरिक्त वातानुकूलित कोच द्वितीय श्रेणी II टायर शयनयान (II क्लास, ए0सी02 टायर स्लीपर) तथा रु0 1400-2799 प्रतिमाह तक मूल वेतन पाने वाले सरकारी सेवक प्रथम श्रेणी के अतिरिक्त वातानुकूलित कोच कुर्सीयान (चेयर कार) तथा II क्लास ए0सी0 III टायर स्लीपर से यात्रा करने हेतु अधिकृत होंगे।

...2-

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

2- रेल की वातानुकूलित कोचों में उपर्युक्तानुसार अनुमन्यता "राजधानी एक्सप्रेस" से की जाने वाली यात्राओं के संदर्भ में भी लागू होंगी।

3- उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश संख्या सा-4-62/दस-96-604/82, दिनांक 18 मार्च, 1996 के प्रस्तर-10 की व्यवस्था तद्नुसार संशोधित समझी जायेगी।

4- यह आदेश इस शासनादेश के निर्गत होने के दिनांक से प्रभावी होंगे अर्थात् उन सभी यात्राओं पर लागू होंगे जो उक्त तिथि को या उसके पश्चात प्रारम्भ हुई हों।

भवदीय,

(नृपेन्द्र मिश्र)
प्रमुख सचिव।

संख्या सा-4- 371 (1)/दस-96-604/82तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, आडिट प्रथम तथा द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखकार, लेखा प्रथम तथा द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- सचिव, विधान सभा/परिषद्, विधान भवन, लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
5- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6- समस्त वित्त नियंत्रक/लेखा सेवा संवर्ग के वरिष्ठतम अधिकारी।

आज्ञा से,

(शिव प्रकाश)
संयुक्त सचिव।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा—4-666/दस-98-604-82

प्रेषक,

शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांक 12 अगस्त, 1998

विषय :– सरकारी सेवकों को अवकाश यात्रा सुविधा की स्वीकृति।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग—4

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या सा—4-62/दस-96-604/82, दिनांक 18 मार्च, 1996 के संदर्भ में शासन को यह प्रश्न संदर्भित हुआ है कि अवकाश यात्रा सुविधा के प्रयोजन हेतु आवेदन-पत्र का प्रारूप निर्धारित न होने के कारण राज्य कर्मियों द्वारा प्रश्नगत सुविधा की स्वीकृति हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने में कठिनाई अनुभव की जा रही है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य कर्मचारियों की उक्त कठिनाई के निराकरण हेतु प्रश्नगत सुविधा के प्रयोजनार्थ आवेदन-पत्र का प्रारूप (प्रतिलिपि संलग्न) निर्धारित कर दिया गया है। उक्त शासनादेश निर्गत होने की तिथि से सरकारी सेवकों द्वारा प्रश्नगत प्रयोजन हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र, निर्धारित प्रारूप में ही स्वीकार किये जायेंगे।

भवदीय,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

संख्या सा—4-666(1)/दस—98-604-82, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—महालेखाकार, आडिट प्रथम तथा द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।

2—महालेखाकार, लेखा प्रथम तथा द्वितीय, उ० प्र०, इलाहाबाद।

3—सचिव, विधान सभा/परिषद्, विधान भवन, लखनऊ।

4—निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ।

5—समस्त वित्त नियंत्रक/लेखा संवर्ग के वरिष्ठतम अधिकारी, उ० प्र०।

6—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
प्रकाश चन्द्र सिंह,
अनु सचिव।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

अवकाश यात्रा सुविधा हेतु आवेदन-पत्र

1—आवेदक का नाम .....

2—पदनाम .....

3—विभाग/कार्यालय .....

4—मूल वेतन (जो इस समय मिल रहा हो) .....

5—स्थायी/अस्थायी (पदनाम सहित) .....

6—सेवा प्रारम्भ करने का दिनांक .....

7—इससे पूर्व उपभोग की गई अवकाश यात्रा सुविधा का
पूर्ण विवरण, यदि कोई हो (आदेश संख्या एवं दिनांक) .....

8—(1) वर्तमान कैलेण्डर वर्ष में 30/15/8 दिन का नकदीकरण का
उपभोग कर लिया है/करेंगे/नहीं करेंगे .....

(2) यदि हां, तो किस अवधि का .....

9—ग्रीन कार्ड धारक होने की दशा में :–

(1) क्या वर्तमान आवेदित सुविधा अतिरिक्त अवकाश यात्रा
सुविधा के रूप में चाहते हैं/चाहती हैं .....हां/नहीं .....

(2) यदि हां तो कृपया ग्रीन कार्ड का प्रमाण-पत्र संलग्न करें .....

10—प्रस्तावित यात्रा का पूर्ण विवरण :–

(1) मुख्यालय से ..... तक जाने तथा ..... से मुख्यालय वापस

(2) दिनांक ..... से .....तक की अवधि हेतु

11—प्रस्तावित यात्रा में जाने वाले परिवार के सदस्यों का विवरण :–

क्रम-संख्या	नाम	सम्बन्ध	आयु	विवाहित/अविवाहित	किसी सेवा में हो तो पूर्ण विवरण
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

12—गन्तव्य स्थान का नाम जहां यात्रा की जानी है .....

(1) दूरी कि०मी० में (आना-जाना) .....

(2) किराया समस्त सदस्यों सहित (आना-जाना) .....

(3) यात्रा हेतु आवेदित अग्रिम की धनराशि .....

13—प्रस्तावित यात्रा के लिए अर्जित अवकाश हेतु आवेदन करने की तिथि.....

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

14—पति/पत्नी दोनों सरकारी सेवक होने अथवा दोनों को अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य होने की दशा में :–

(क) पति/पत्नी का नाम .....

(ख) पदनाम .....

(ग) कार्यालय/विभाग का नाम .....

(घ) अवकाश यात्रा सुविधा हेतु विकल्प .....

(ङ) पति/पत्नी द्वारा पूर्व में लिये गये अवकाश यात्रा सुविधा का आदेश संख्या व दिनांक .....

.....

(च) यदि सुविधा नहीं ली गई हो तो संबंधित कार्यालय/विभाग का प्रमाण-पत्र .....

15—अस्थाई कर्मचारी को जमानत देने वाले कर्मचारी के

(1) हस्ताक्षर .....

(2) नाम .....

(3) पदनाम तथा विभाग .....

घोषणा प्रमाण-पत्र

1—उपरोक्त सूचनाएं मेरी जानकारी में सत्य हैं।

2—प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अवकाश यात्रा सुविधा के संबंध में इससे पूर्व इस ब्लाक अवधि में अपने तथा परिवार के संबंध में कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है।

3—मेरा परिवार जिसके लिए उपरोक्त सुविधा स्वीकृत किये जाने हेतु आवेदन किया गया है, पूर्णरूप से मेरे ऊपर आश्रित हैं।

4—मेरी पत्नी/मेरे पति सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं हैं/ कार्यरत हैं और उन्होंने स्वयं अपने तथा परिवार के लिये इस ब्लाक अवधि में पृथक से अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग नहीं किया है और न ही करेंगी/करेंगे (कार्यरत होने की दशा में आवश्यक प्रमाण-पत्र सहित)

5—प्रमाणित किया जाता है कि मेरी पत्नी/मेरे पति जिसके लिये अवकाश यात्रा सुविधा का आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है (भारत सरकार/राज्य सरकार/पब्लिक सेक्टर/अण्डर टेकिंग/निगम/स्वशासी संस्था आदि का नाम) में कार्यरत हैं जहां अवकाश यात्रा सुविधा अनुमन्य है, परन्तु उनके द्वारा इस ब्लाक अवधि में अपने सेवायोजक को इस संबंध में न तो कोई दावा प्रस्तुत किया है और न प्रस्तुत किया जायेगा। (आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न है)

दिनांक .....

आवेदक के हस्ताक्षर .....

नाम तथा पदनाम .....

अग्रसारण अधिकारी की अभ्युक्ति/संस्तुति

दिनांक .....

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 97 सा० वित्त—22-9-98—(1250)—15,000—कम्प्यूटर/आफसेट।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh